Wednesday, 07 July, 1971

लोक-सभा वाद्-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
12-8-92
Fumigated
On 8-2-84
Parliament Library

[दूसरा सत्र
Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 33, बुधवार, 7 जुलाई, 1971/16 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 33, Wednesday, July 7, 1971/Asadha 16, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. No.		
963. श्रीलंका, जापान और बर्मा को निर्यात किये जाने वाले खाद्य पदार्थ	Foodstuff Exported to Ceylon, Japan and Burma	1— 3
967. चीनी तथा पाकिस्तानी जासूसों की पूर्वी राज्यों में घुसपैठ	Infiltration of Chinese and Pak Spies in Eastern States	3— 4
968. योजना व्यय में कमी	Shortfall in Plan Expenditure	4— 5
969. रोड रौलर काण्ड में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी पर लगाये गये आरोप	Charges against an Officer involved in Road Roller Scandal ...	5— 6
970. रोजगार प्रधान योजनाओं का बनाया जाना	Formulation of job oriented Plans ...	6— 9
971. प्रदर्शन के लिए भारत और रूस द्वारा पारस्परिक आधार पर फिल्मों की खरीद और अमरीका के साथ ऐसी व्यवस्था का न होना	Purchase of Films for exhibition on reciprocal basis by India and Soviet Union and no similiar arrangements with USA	9—11
972. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का राज्यों में काम करना	Functioning of IAS Officers in States ...	11—12
973. कैनानोर स्थिति कताई और बुनाई मिल को नियंत्रण में लेना	Taking over of Cannanore Spinning and Weaving Mills ...	12--13
974. भारतीय तैयार शुदा खाद्य पदार्थों, गिरियों तथा मसालों के लिए विदेशी मंडियों की खोज	Exploration of foreign markets for Indian processed food, nuts and spices	13
976. मनीपुर में कताई मिल की स्थापना	Establishment of Spinning Mill in Manipur ...	13—14

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sing + marked above the name of a Member indicate that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. No.

978.	सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के निकट-निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव	Proposal to establish Free Trade Zone near Santa Cruz Air Port	... 14—16
979.	अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षायें	All India Services Examination	... 16—18
985.	डाक तथा तार संहिता का पुनः मुद्रण	Reprinting of Posts and Telegraphs Code	... 18—19
988.	डा० अम्बेदकर के साहित्य के प्रकाशन के लिये सरकारी एजेंसी	Government Agency for publication of Works of Dr. Ambedkar	... 19—20
990.	दिल्ली में कारों, स्कूटरों और साइकिलों की चोरी के मामले	Cases of thefts of Cars, Scooters and Cycles in Delhi	... 20—21

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. No.

961.	रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons	... 21—23
962.	चाय निगम की स्थापना	Setting up of Tea Corporation	23
964.	लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल की खरीद के बारे में जापान और इटली से पूछताछ	Enquiries from Japan and Italy for buying Small Scale Industries Goods	23
965.	मैसूर में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and order situation in Mysore	... 23—24
966.	आयात लाइसेंसों में जालसाजी	Import Licences Racket	24
975.	पिछड़े राज्यों के विकास के लिए योजनाएँ	Schemes for development of Backward States	... 24—25
977.	ऊँचे रक्त चाप तथा हैजे के नियंत्रण के संबंध में खोज	Discoveries re : Controlling High Blood Pressure and Prevention of Cholera	... 25
980.	विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त खोज के कार्य के लिये भारत और रूस में करार	Agreement between India and USSR for Joint Exploration in different fields	... 25—26
981.	केरल में टेलीफोन के तारों को काटे जाने की घटनायें	Incidents of cutting of Telephone Wires in Kerala	26
982.	अलौह धातुओं का आयात	Import of Non-ferrous Metals	... 26—27
983.	निर्यात प्रधान सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of export oriented Textile Mills	... 27—28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
984. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों द्वारा महिला विस्थापितों के साथ कथित बलात्कार	Alleged assault on female evacuees by C. R. P. Personnel	28
986. दिल्ली प्रशासन में कार्य की अदक्षता के बारे में समाचार-पत्र के लेख	Newspaper article on inefficiency in Delhi Administration	... 28—29
987. पूर्वी क्षेत्र में आपात स्थिति की घोषणा	Promulgation of Emergency in Eastern Region	29
989. सिंगापुर द्वारा भारत के कोयले को पाकिस्तान भेजना	Diversion of Indian coal by Singapore to Pakistan	... 29—30
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4104. नई दिल्ली तथा शाहदरा रेलवे स्टेशनों पर चुंगी वसूल करने संबंधी कठिनाइयों की जाँच करने के बारे में नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of Study Team on Implications of Terminal Tax collections at New Delhi and Shahdara Railway Stations	... 30—31
4105. होशंगाबाद तथा पूर्व नीमाड जिलों में नये डाक तथा तार घर	New P & T Offices in Hoshangabad and East Nimad Districts	... 31—32
4106. खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क निर्यात संबंधी नीतियों की क्रियान्विति	Implementation of Manganese Ore Export Policies by MMTC	... 32—33
4107. असम के चाय बागानों को उत्पादन शुल्क में प्राप्त छूट की अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of concessions in Excise Duty to Tea Gardens of Assam	33
4108. पश्चिमी बंगाल राज्य में आपातकालीन स्थिति की आवश्यकता के बारे में वहाँ के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Chief Minister of West Bengal re: need for Emergency in the State	34
4109. एटा और आगरा के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Direct Telephone Link between Etah and Agra	34
4110. सहरसा जिला (बिहार) के सहरसा स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय और तार घर की स्थापना	Setting up of Public Call Offices and Telegraph Offices in Saharsa District, Saharsa (Bihar)	... 34—35
4111. आकाशवाणी कलाकार एसोसिएशन, हैदराबाद को मान्यता दिया जाना	Recognition to AIR Artistes Association, Hyderabad	35
4112. कलाकारों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् प्राप्त होने वाले लाभ	Retirement Benefits to Staff Artistes	36

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4113.	रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषण	Heirloom Jewellery of Late Nawab of Rampur	36
4114.	बिहार के सहरसा जिले में पटसन मिल की स्थापना	Setting of Jute Mill in Saharsa District (Bihar)	37
4116.	दिल्ली के मालखानों में पड़ी प्राचीन कलाकृतियाँ	Antiques lying in Malkhanas in Delhi	37
4117.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते में दमन सेना	Daman Sena in Banaras Hindu University Premises	... 37—38
4118.	गीत और नाटक डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Director of Song and Drama Division	38
4119.	बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में छंटनी किये गये रेलवे विद्युतीकरण श्रमिकों पर लाठी प्रहार	Lathi charge on retrenched Railway Electrification Workers at Bilaspur (Madhya Pradesh)	... 38—39
4120.	मध्य प्रदेश में बिलासपुर के रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Railway Electrification Workers at Bilaspur (Madhya Pradesh)	39
4121.	त्रिपुरा में आदिवासी प्रधान क्षेत्रों का अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने के बारे में अभ्यावेदन	Representation for Tribal Compact Areas to be declared as Scheduled areas in Tripura	... 39—40
4122.	मध्य प्रदेश में बसने वाले केरल के व्यक्तियों की कठिनाइयाँ	Difficulties Faced by Settlers from Kerala in Madhya Pradesh	40
4123.	मूर्तियों की चोरी के परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे होना	Idol thefts resulting in Communal Riots	... 40—41
4124.	राज्य सभा के एक सदस्य श्री रुद्रनारायण झा की मृत्यु के बारे में जाँच	Inquiry into death of Shri Rudranarain Jha, Member of Rajya Sabha	41
4125.	लौह अयस्क का लदान न होने के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम में संकट की स्थिति	Crisis in M. M. T. C. due to non-movement of Iron Ore	... 41—42
4126.	श्री लुजर एलिंग को भारत में रहने की अवधि बढ़ाने की अनुमति न दिया जाना	Refusal of further extension of residence permit to Mr. Ludger Eling	... 42—43
4127.	दिल्ली में विग उद्योग की स्थापना	Setting up of Wig Industry in Delhi	43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4128. समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण	Marine Products Export Development Authority	43
4129. एडवर्ड टैक्सटाइल मिल्स, ब्यावर (राजस्थान) का बन्द होना	Closure of Edward Textile Mills Beawar (Rajasthan)	... 43—44
4130. लुधियाना के डिम्पल उद्योग और रीमक्स उद्योगों को आयात लाइसेंस जारी करने में अनियमितताएँ	Irregularities in Issuing Import Licences to Dimple Industries and Reemax Industries, Ludhiana	44
4131. महाडाकपाल के कार्यालयों के लिए कर्मचारी	Staff for Postmaster General's Office	... 44—45
4132. श्रमिकों की जनगणना	Workers' Census	... 45—46
4133. केन्द्रीय सरकार की महिला कर्मचारियों की संख्या	Strength of Central Government Women Employees	46
4134. फलों और सब्जियों का निर्यात	Export of Fruits and Vegetables	... 46—47
4135. इंजीनियरिंग उद्योग का कार्य सुविधाजनक बनाने के लिए लाइसेंसों का निपटान	Disposal of Licences for Facilitating Engineering Industry	47
4136. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा कैबरे शो पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की माँग	Demand by AIWC to ban Cabaret Shows	... 47—48
4137. योजना आयोग पर व्यय	Expenditure on Planning Commission	48
4138. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिये केरल सरकार को वित्तीय सहायता	Assistance to Kerala Government for giving pension to freedom fighters	48
4139. चौथी योजना के दौरान परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh for Schemes during Fourth Plan	... 49
4140. पाकिस्तानी सैनिक कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Military Personnel	49
4141. राष्ट्रमंडलीय विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग	Economic Cooperation among Commonwealth developing countries	... 49—50
4142. मनीपुरी हथकरघों के डिजाइन और कारीगरी	Design and workmanship of Manipuri Handlooms	... 50—51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

4143. दिल्ली में जनगणना और जनगणना के बाद के सर्वेक्षणों में कुछ परिवारों की गणना न किये जाने के बारे में शिकायत	Complaints re: families not enumerated in Census and Post Census Survey in Delhi	51
4144. विजय मोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम (केरल) का बन्द किया जाना	Closure of Vijaya Mohini Mills, Trivandrum (Kerala)	... 51—52
4145. मुर्शिदाबाद के नवाब के खिताब के बारे में विवाद	Dispute over ownership of title to the Nawabship of Murshidabad	... 52
4146. डा० सी० के० अटल को रोजगार दिया जाना	Employment of Dr. C. K. Atal	... 52—53
4147. भारत में विभिन्न शाखाओं पर से माल न उठाये जाने के कारण राज्य व्यापार निगम को हानि	Loss to STC due to non-clearance of goods at branches in India	53
4148. प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का लागू किया जाना	Implementation of ARC's Recommendations on Personnel Administration	... 53—54
4149. लंका और बंगाल देश की अशान्त स्थिति को देखते हुए चाय के निर्यात में वृद्धि की सम्भावनाएँ	Increasing export of Tea in view of disturbed conditions in Ceylon and Bangla Desh	54
4150. नालमुख भरी बन्दूकों के लाइसेंस समाप्त करने के संबंध में मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित सर्वसम्मत संकल्प	Resolution passed by Madhya Pradesh Legislative Assembly for delicensing Muzzle loading guns	... 54—55
4151. मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों द्वारा अखबारी कागज का दुरुपयोग	Misuse of Newsprint by Madhya Pradesh Dailies	55
4152. दिल्ली प्रशासन में पदों का बनाया जाना	Creation of Posts in Delhi Administration	... 55—56
4153. हिन्दी भाषी राज्यों के उम्मीदवारों का इन्टरव्यू हिन्दी में लेने की माँग	Demand for holding interviews in Hindi for candidates from Hindi speaking States	... 56—57
4154. पटना तार घर से मद्रास और कलकत्ता के लिए टेलीप्रिंटर सेवा	Teleprinter Service for Madras and Calcutta from Patna Telegraph Office	57
4155. पटना टेलीफोन सलाहकार समिति	Patna Telephone Advisory Committee	... 57—58

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4156.	प्रेस कौन्सिल को ज्ञापन	Memorandum to Press Council	58
4157.	मिजो पहाड़ी जिलों का मनीपुर में विलय	Merger of Mizo Hill Districts with Manipur	58
4158.	मध्य प्रदेश में अंग्रेजी और हिन्दी में तार देने की सुविधा वाले डाकखाने	Post Offices in Madhya Pradesh with facilities for sending Telegrams in English and Hindi	59
4159.	विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा फिल्मों का प्रदर्शन	Exhibition of Films by Foreign Missionaries	59
4160.	गया कॉटन एण्ड जूट मिल्स का बन्द किया जाना	Closure of Gaya Cotton and Jute Mills	... 59—60
4161.	असम का फिर से पुनर्गठन	Further Reorganisation of Assam	60
4162.	आयात के संबंध में गैर-सरकारी एककों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Private Units in Imports Field	60
4163.	अमरीका को किये जाने वाले निर्यात में कमी	Decline in Exports to U. S. A.	... 60—61
4164.	साम्प्रदायिकता भड़काने वाले कुछ पत्र और पत्रिकाओं पर लगाई गई कथित रोक	Alleged Ban on certain periodicals and Magazines inciting communal feelings	61
4165.	एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम, कोयम्बटूर तथा मद्रास के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था	S. T. D. system between Ernakulam, Trivandrum, Coimbatore and Madras	... 61—62
4166.	काजू के छिलके से निकलने वाले तरल पदार्थ का औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग	Use of Cashew nut shell liquid as Industrial Raw Material	62
4167.	कच्चे काजू का आयात	Import of Raw Cashew nuts	62
5168.	कुप्रबन्ध वाले रेशम निर्माण एककों को अपने अधिकार में लेना	Take over of Mismanaged Silk Manufacturing Units	63
4169.	नारियल जटा पर निर्यात शुल्क में कमी करने के बारे में नारियल जटा उद्योग संबंधी अध्ययन दल की सिफारिश	Recommendation of Study Group on Coir Industry for reduction of Export Duty on Coir Yarn	63
4170.	त्रिचूर टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन केरल के नैमित्तिक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Casual Workers of Trichur Telegraph Engineering Division, Kerala	... 63—64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4171. पहाड़ी क्षेत्रों में पत्रों, तारों तथा मनी-आर्डरों के वितरण में विलम्ब	Delay in delivery of Letters, Telegrams, Money Orders in Hilly Areas	64
4172. बिहार सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना	Demand for Setting up of a Planning Commission by Bihar Government	65
4173. काजू निर्यात संवर्धन परिषद् में केरल राज्य काजू विकास निगम के प्रतिनिधि का नामांकन	Nomination of Representative of Kerala State Cashew Development Corporation in Cashew Export Promotion Council	65
3174. कोट्टायम डिवीजन, केरल के पी० एम० आर० कर्मचारियों से ज्ञापन	Memorandum from P. M. R. Employees, Kottayam Division, Kerala	... 65—66
4175. केरल में पुलिस आवास योजना के लिए किया गया आबंटन	Allocations made for Police Housing Scheme in Kerala	... 66—67
4176. चौथी योजना का पुनर्मूल्यांकन	Reappraisal of Fourth Plan	67
4177. सस्ते कपड़े का उत्पादन	Production of Cheap Cloth	... 67—68
4178. योजना व्यवस्था के संबंध में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश	ARC's recommondation on Planning Machinery	... 68—69
4179. जयपुर में टेलीफोन केन्द्र का विकास	Development of Telephone Exchange at Jaipur	69
4180. चौथी योजना में बिहार को धन का नियतन	Allocation of Funds to Bihar in Fourth Plan	... 69—70
4181. दिल्ली में मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाताओं के लिए आवासीय सुविधायें	Housing facilities for Accredited Press Correspondents in Delhi	... 70—71
4182. चन्द्रलोक, नई दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के नये भवन में फर्नीचर आदि की व्यवस्था	Furnishing of new STC building at Chandralok, New Delhi	71
4183. पटसन की वस्तुओं के संबंध में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on Tariff Commissions' Report on Jute Goods	... 71—72
4184. कलपक्कम में परमाणु शक्ति परियोजना	Atomic Power Project at Kalpakkam	72
4185. मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था	Provision of Telephone Connections in Morena District (Madhya Pradesh)	72
4187. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में डाकुओं को समाप्त करने संबंधी अभियान	Anti-Dacoit Drive in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan	... 72—73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4188. बिहार में वैध पार-पत्रों के साथ आये पाकिस्तान के नागरिक	Pak. Nationals who came to Bihar on valid Passports	73
4189. मृत्यु-दण्ड पाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत दया याचिकायें	Mercy petitions from persons awarded Death Sentence	... 73—74
4190. राज्यों की राजधानियों में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना	Setting up of T. V. Centres in State Capitals	... 74
4191. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण योजना	Hindi Training Scheme for Central Government Employees	... 74—75
4192. भारतीय काजू निगम में केरल राज्य का प्रतिनिधित्व	Representation to Kerala on Cashew Corporation of India	75
4193. तहसील अलीगंज और एटा (उ० प्र०) के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था का न होना	Lack of Direct Telephone link between Tehsil Aliganj and Etah (U. P.)	75
4194. विदेशियों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किसी फिल्म अथवा वृत्त चित्र बनाने से रोकने वाले आदेश का जारी किया जाना	Issue of Order Prohibiting Foreigners from producing any Film or Documentary for Public Exhibition	... 75—76
4195. मनीपुर में ग्राम स्वयं सेवक दल	Village Volunteer Force in Manipur	76
4196. गीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करना	Staging of classical dances by Song and Drama Division	... 76—77
4197. मनीपुर में नये टेलीफोन एक्सचेंज	New Telephone Exchanges in Manipur	... 77
4198. देश में आत्महत्या के मामले	Cases of suicide in the country	... 77—78
4199. निर्यात बढ़ाने के लिए पटसन उद्योग द्वारा माँगी गयी और छूट और दी गई वित्तीय सहायता	Financial Relief given and further concessions demanded by Jute Industry for boosting Exports	... 78—80
4200. लिनो तथा मोनो मशीनों का आयात करने के मामले में कलकत्ता की कम्पनियों का एकाधिकार	Monopoly in Import of Lino and Mono Machines by Calcutta Firms	... 80—81
4201. उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंजों का असंतोषजनक कार्य	Unsatisfactory Working of Telephone Exchanges at various places in Uttar Pradesh	81
4202. बुलन्दशहर और दिल्ली के मध्य सीधी टेलीफोन लाइन	Direct Telephone line between Bulandshahr and Delhi	82

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
4203.	भावनगर (गुजरात) के डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to P & T Staff at Bhavanagar (Gujarat)	82
4204.	केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन, चण्डीगढ़ द्वारा तैयार किया गया फारेस्ट क्रूजर	Forest Cruiser devised by Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh	83
4205.	केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान द्वारा अधिकृत सोलर वाटर हीटर	Solar Water Heater invented by Central Building Research Institute	... 83—84
4206.	वाणिज्यिक सप्लाई के लिए परमाणु ऊर्जा का उत्पादन	Generation of Atomic Power for Commercial Supply	84
4207.	'चाय बोर्ड' में प्रदर्शकों के रूप में कार्य कर रहे परिचारक	Attenders working as Demonstrators in Tea Board	... 84—85
4208.	'चाय बोर्ड' के दिल्ली में नियुक्त फालतू घोषित किये गये सब-इंस्पैक्टर	Sub-Inspectors of Tea Board posted in Delhi declared surplus	85
4209.	चाय बोर्ड के लिए भवन का निर्माण	Construction of Building for Tea Board	85
4210.	विदेशी अधिनियम के अधीन जेलों में रखे बंगला देश के शरणार्थी	Evacuees from Bangla Desh kept in jails under Foreigners' Act	... 85—86
4212.	भूतपूर्व योधी सैनिक कर्मचारियों को युद्ध सेवा संबंधी लाभ	War Service Benefits for Ex-combatant Personnel	86
4213.	पूंजीगत वस्तुओं के उपकरणों—डाई आदि का आयात	Import of Capital Goods Equipment—Dies, etc.	... 85—87
4216.	लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात	Exports of Iron and Manganese Ores	... 87—88
4217.	प्राकृतिक और निर्मित अभ्रक का निर्यात	Export of Raw and Fabricated Mica	88
4218.	गोआ, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में अस्थाई सरकारी कर्मचारी	Temporary Government Servants in Union Territory of Goa, Daman and Diu	88
4219.	अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूहों के दैनिक व साप्ताहिक समाचार-पत्र	Dailies and Weeklies of Andaman and Nicobar Islands	... 88—89
4220.	मेघालय सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाया जाना	Curfew enforced by Government of Meghalaya	... 89
4221.	ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व शासक द्वारा भूमि तथा अन्य जायदाद का अधिग्रहण तथा उसका निपटान	Acquisition and Disposal of Land and Properties by Former Ruler of Gwalior State	... 89—90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4222. कलपक्कम अणुशक्ति परियोजना स्थल पर बनाये गये क्वार्टर	Quarters constructed at Kalpakkam Atomic Power Project	90
4223. चिंगलपट क्षेत्र के लोगों को कलपक्कम अणुशक्ति परियोजना में काम देना	Employment for People from Chingleput area in Kalpakkam Atomic Power Project ...	91
4224. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवार चुनने के पश्चात् राजपत्रित पदों का समाप्त किया जाना	Abolition of Gazetted Posts after Selection of Candidates by UPSC	91
4225. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा न्यायालयों में ले जाये गये मामले	Court cases instituted by MMTC	92
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा युद्ध विराम रेखा पार किये जाने के समाचार	Reported Pakistani infiltrators in Jammu and Kashmir	... 92—95
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	Papers Laid on the Table	... 95—96
पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re. Railway Accident in the Sealdah Division of Eastern Railway	... 97—98
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	—
समिति के लिए निर्वाचन—	Election to Committee—	
चाय बोर्ड	Tea Board	98
अनुदानों की माँगें, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information & Broadcasting	... 99—126
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra	... 99—100
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar ...	104
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	...105—106
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	...106—107
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	...107—108
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	...108—110
श्री सुधाकर पाण्डेय	Shri Sudhakar Pandey	...110—111
श्री जी० पी० यादव	Shri G. P. Yadav	...111—112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	...112—113
श्री सी० सी० देसाई	Shri C. C. Desai	...113—114
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	... 114
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	...114—115
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...115—116
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	...116—118
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	... 118
श्री पी० वेन्कटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	...118—119
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	... 120
श्री धर्मवीर सिंह	Shri Dharam Bir Sinha	...120—121
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi	121
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	... 122
डा० कैलास	Dr. Kailas	...122—123
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	... 123
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	...123—124
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	Shri R. V. Swaminathan	...124—125
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	125
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	... 125
श्री शंकर देव	Shri Shanker Dev	...125—126
श्रीमती नन्दिनी सत्पथी	Shrimati Nandini Satpathy	126
आधे-घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion—	
कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण हेतु अखिल भारतीय किसान सभा की मांगों के बारे में	Re. Demands by All-India Kisan Sabha for Institutional Credit for Agricultural Sector	...126—130
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	...126—127
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	...128—130

लोक सभा

LOK SABHA

बुद्धवार, 7 **जुलाई**, 1971/16 **आषाढ़**, 1893 (**शक**)

Wednesday, July 7, 1971/Asadha 16, 1893 (Saka)

लोक सभा ग्यारह् बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Foodstuff Exported to Ceylon, Japan and Burma

*963 DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the particulars of the foodstuff being exported to Ceylon, Japan and Burma at present;

(b) the amount of foreign exchange earned as a result thereof during 1969-70 and 1970-71; and

(c) whether Government have under consideration any scheme to boost the export of foodstuff to these countries ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). वाँछित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत से इन देशों को निर्यात किये जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं :

श्रीलंका : मछली, अनाज तथा दलहन, प्याज, लहसुन तथा मसाले ।

जापान : मछली, काजू गिरी, चाय तथा मसाले।

बर्मा : मछली तथा मसाले ।

(ख) श्रीलंका, जापान तथा बर्मा को भारत से खाद्य पदार्थों के निर्यातों का मूल्य ('000 रु० में)—

देश	1968-69	1969-70	1970-71 अप्रैल-नवम्बर 1970	अप्रैल-नवम्बर 1969
श्रीलंका	67262	85129	76970	42115
जापान	62650	112870	100150	79062
बर्मा	161	420	88	407
उपरोक्त का योग	130073	198419	177208	121584

श्रीलंका तथा बर्मा को खाद्य पदार्थों के निर्यात पर इन देशों की विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों और साथ ही उनके आत्मनिर्भर बनने के प्रयत्नों का प्रभाव पड़ता है ।

जापान के विषय में हमारे निर्यातों में वृद्धि करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है । हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् के एक प्रतिनिधिमण्डल ने समुद्री उत्पादों के हमारे निर्यातों में वृद्धि करने के मार्गोपायों का पता लगाने के लिये जापान का दौरा किया था। फरवरी, 1971 में टोकियो में जापान विदेश व्यापार संगठन (जेट्रो) के तत्वावधान में भारतीय उत्पादों के एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें डिब्बाबन्द तथा साधित खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया गया था । व्यापार विकास प्राधिकरण को भी जापान को भारतीय खाद्य-पदार्थों के निर्यात बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है।

DR. LAXMINARAIN PANDEY : The hon. Minister has enumerated certain foreign exchange difficulties. May I know whether the fall in our exports to Ceylon is attributable to our faulty foreign trade policy ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : I do not agree to what the hon. Member has said. We have been exporting onions, chillies etc. to Ceylon. There is nothing wrong with our policy. We are now trying to send in better packing the commodities available here. We are making efforts to boost our exports to Japan. There is good market for these commodities to Japan.

DR. LAXMINARAIN PANDEY : May I know whather Government are making efforts to increase export of foodstuff to Burma and Ceylon on the same lines as in the case of Japan ?

श्री ए० सी० जार्ज : जहाँ तक श्री लंका का संबंध है, वहाँ भुगतान-संतुलन की समस्या है । दूसरे, वे अपने आपको इन वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

DR. LAXMINARAIN PANDEY : Sir, my question has not been replied.

SHRI L. N. MISHRA : I think the hon. Member has misunderstood me. Ceylon has not been purchasing onions from India on account of her economic crisis. But we have now told the Ceylonese Government that we are prepared to sell onions on deferred payment, if they are interested they can purchase it on credit.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : जहाँ तक जापान का समुद्री उत्पादों के निर्यात का संबंध है जापान को इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या सरकार जापान के साथ एक द्विपक्षीय समझौता करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस समय भी हमने उनके साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया हुआ है ।

श्री टी० बालकृष्णैया : क्या आन्ध्र प्रदेश से बर्मा को चावल का निर्यात किया गया है ?

श्री ए० सी० जार्ज : हम चावल का निर्यात इस समय नहीं कर रहे हैं ।

चीनी तथा पाकिस्तानी जासूसों की पूर्वी राज्यों में घुसपैठ

*967. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक चीनी और पाकिस्तानी जासूस हाल ही में भारत के पूर्वी राज्यों में अवैध रूप से घुस आये हैं;

(ख) क्या भारत विरोधी गतिविधियों के सिलसिले में वहाँ पर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है; और

(ग) क्या उनसे कोई गुप्त तथ्य अथवा जानकारी हासिल की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग). सरकार पूरी तरह ऐसी संभावनाओं से अवगत है और सभी संबंधित एजेन्सियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है । शरणार्थियों की जाँच तथा पूछ-ताछ के लिए भी प्रबन्ध किये गये हैं । नागालैण्ड, मणिपुर तथा नेफा में हाल ही में कोई पाकिस्तानी अथवा चीनी जासूस गिरफ्तार नहीं किया गया । उपलब्ध सूचना के अनुसार असम, मेघालय तथा त्रिपुरा में अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनसे पूछ-ताछ की जा रही है ।

SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN : May I know whether it is fact that some spies, who were forced to leave India sometime ago and who were not residents of Assam, have again intruded into Indian territory for espionage purpose and if so, how many of them have been arrested so and on what charge they are facing trial ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, I have just told that some cases of espionage have been brought to the Government's notice and investigation is in progress in those cases. It is true that some such people have been arrested these days, but thorough investigation is being made in such cases.

SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN : On 23rd June about 7 Pakistani youngmen were arrested. They were kept in police cusdody. What is the official report in that regard?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : I require notice for this. A number of persons have been arrested in this connection and they may be some of them. But I cannot tell the nature of investigation in progress without prior notice.

SHRI PRABODH CHANDRA : Is hon. Minister aware that some agents have entered India along with these refugees and they are trying to ignite Hindu-Muslim riots in India ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : We will keep this in mind.

SHRI BHAGIRATH BHANWAR : According to Press reports some Pakistanis who came to Bhopal and some other cities on passports, have suddenly disappeared. I would like to know whether the police is hunting for them and whether they were spies.

MR. SPEAKER : It pertains to Eastern States. Do you want to put any other specific question ?

योजना व्यय में कमी

*968. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों को पत्र लिखे थे जिनमें वर्ष-प्रतिवर्ष योजना व्यय में होने वाली कमी की ओर ध्यान दिलाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने इस संबंध में कुछ सुझाव भी दिये थे; और

(ग) क्या दिये गये सुझावों के संदर्भ में कोई कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। परन्तु सचिवों की एक बैठक में प्रधान मंत्री ने यह मामला उठाया था और इस प्रकार की कमी पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी।

(ख) और (ग). इस बैठक के पश्चात् प्रत्येक मंत्रालय भविष्य में इन कमियों से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों पर कारगर रूप से विचार कर रहा है। योजना आयोग भी इस मामले पर विचार कर रहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या योजना आयोग के अतिरिक्त मंत्रिमंडल द्वारा भी योजना की क्रियान्विति के बारे में प्रति वर्ष मूल्यांकन किया जाता है ?

श्री मोहन धारिया : पहले योजना आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। फिर यह मूल्यांकन मंत्रिमंडल के पास भेज दिया जाता है और मंत्रिमंडल द्वारा भी उस पर विचार किया जाता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : किन कारणों से प्रधान मंत्री को इस बात की चिन्ता हुई कि उन्हें

यह बात सचिवों की बैठक में उठानी पड़ी ? क्या यह कमी बहुत अधिक है; यदि हाँ, तो किन-किन क्षेत्रों में ?

श्री मोहन धारिया : वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कमी क्रमशः 110 करोड़ रुपये और 37 करोड़ रुपये थी । वर्ष 1969-70 में केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में कुल 247·22 करोड़ रुपये की कमी थी किन्तु राज्य-क्षेत्र में 149 करोड़ रुपये की अधिकता थी । कमी मुख्य रूप से केन्द्रीय क्षेत्र में रही । इसके मुख्य कारण ये थे : कच्चे माल के रूप में काम आने वाले इस्पात, अलौह धातुओं और बिजली की कमी, औद्योगिक संबंधों में तनाव; अधिष्ठापित क्षमता का कम या गलत उपयोग; प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयाँ और समन्वय आदि की कमी। सरकार ऐसे उपायों पर विचार कर रही है जिनसे इस कमी को दूर किया जा सके ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : May I know the reasons for not spending the entire amount earmarked for drought relief in drought affected areas, as none of the reasons enumerated above applies to it ?

SHRI MOHAN DHARIA : It comes under the jurisdiction of State sector. But even then I admit that the amounts allotted for different projects could not be spent fully. We are seriously considering the reasons for not spending the full amounts.

SHRI D. N. TIWARI : I would like to know the names of the States where the shortfall has been relatively more. Have the Government taken steps to help those States to enable them to spend the entire sums ?

श्री मोहन धारिया : यह विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए ।

रौड रौलर काण्ड में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी पर लगाये गए आरोप

*969. **श्री बालतन्डायुतम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के रूप में "रौड रौलर काण्ड" में अन्तर्ग्रस्त भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी के विरुद्ध की गई जाँच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ख) क्या इस अधिकारी को महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक भूतपूर्व पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के विरुद्ध आरम्भ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है ।

(ख) और (ग). यह अधिकारी कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व भी सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे ।

श्री बालतन्डायुतम : यह जाँच कब से चल रही है और इसके पूरा होने में कितना समय और लगेगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : केन्द्रीय सतर्कता विभाग के परामर्श से सरकार ने उक्त अधिकारी के मामले में जाँच के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया है और हमें ऐसा आश्वासन दिया गया है कि यह जाँच दो या तीन महीने में पूरी हो जायेगी ।

श्री बालतन्डायुतम् : इस मामले में सरकार ने उक्त अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया है ? क्योंकि ऐसे मामलों में स्वस्थ परम्परा तो यही है कि जाँच के दौरान संबंधित अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाता है ।

श्री राम निवास मिर्धा : ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस मामले में उक्त अधिकारी को निलम्बित न किये जाने से जाँच-कार्य पर किसी प्रकार का अवांछित प्रभाव नहीं पड़ेगा । यही कारण है कि उसे निलम्बित नहीं किया गया है । जाँच-कार्य चल रहा है और यह जाँच कुछ ही महीनों में पूरी हो जायेगी ।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध प्रथम दृष्टि से मामला सिद्ध हो गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : जी, हाँ । अधिकारी को आरोप-पत्र दे दिया गया है और उसके विरुद्ध जाँच पड़ताल चल रही है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : 'रौड रौलर कांड' में एक फर्म ने 2 करोड़ से अधिक रुपयों का गबन किया था और उसने 'रौड रौलर' सप्लाई नई किये थे जिसके लिए उसे यह राशि दी गई थी । उस फर्म से अब तक कितना रुपया वापस ले लिया गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : जाँच में अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सम्मिलित है । इस जाँच के संबंध में अनेक मामले दर्ज कराये गये हैं । यह प्रश्न उस अधिकारी के बारे में है जो इस मामले से संबद्ध है । अतः मैं यह नहीं कह सकता कि क्या कुछ राशि उनसे वसूल की गई है अथवा नहीं । यह जानकारी मेरे पास नहीं है । जाँच-कार्य अलग से चल रहा है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : श्रीमन्, यह मामला 2 करोड़ रुपये का है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि उस फर्म से कितनी राशि वापस ले ली गई है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रोजगार प्रधान योजनाओं का बनाया जाना

*970. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई रोजगार प्रधान योजनाएँ बनाई हैं जिनको चौथी योजना की शेष अवधि में क्रियान्वित किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उनकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—616/71.**]

SHRI B. S. BHAURA : Most of the statistics contained in the Statement laid on the Table by the hon. Minister is mentioned in the Economic Survey and it was also in the Budget, it is a huge statement. According to official statistics the number of the unemployed during the last year was 17,60,600 including ten lakh Matriculates, 4,59,000 undergraduates and 2,68,000 graduates and his reply does not indicate the number of persons who will be provided with jobs. By what time the problem of unemployment will be resolved and what schemes are proposed to be formulated ?

श्री मोहन धारिया : बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कई स्कीमें आरंभ की गई हैं। अभी यह कहना मुश्किल है कि इस समस्या को दूर करने में कितना समय लगेगा। चौथी योजना पर पुनः विचार करते हुए इन सब पहलुओं पर ध्यान रखा जा रहा है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यदि संभव हो तो हम किस प्रकार इस समस्या को दूर कर सकते हैं परन्तु विवरण में जिन स्कीमों का उल्लेख किया गया है, यदि उन्हें सही ढंग से क्रियान्वित किया गया तो निस्सन्देह देश में व्याप्त नैराश्य का वातावरण दूर हो जायेगा।

SHRI B. S. BHAURA : Ours is primarily an agricultural country and the main problem is that of the distribution of land among the landless. But no mention has been made in the Statement about the distribution of land among the landless.

Secondly, the ruling party promised during the elections to bring radical changes by the end of 1971, but the hon. Minister did not make mention of the time nor of the modus operandi in that regard. Are the Government going to bring radical changes in respect of land so that rural unemployment can be removed ?

Apart from that nothing has been stated by him about urban unemployment.

श्री मोहन धारिया : यदि वह विवरण में उल्लेख की गई विभिन्न स्कीमों की ओर ध्यान देंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वे स्कीमें लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों से संबंधित अभिकरण, ग्राम निर्माण कार्यक्रम, बारानी खेती, क्षेत्र विकास स्कीमें, कृषि सेवा केन्द्र, ग्रामीण रोजगार के लिये तूफानी (क्रैश) स्कीम और शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्कीमों के लिये हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक इन सभी क्षेत्रों पर विचार किया गया है। इस समस्या को सुलझाने में भूमि सुधार कार्यक्रम की क्रियान्विति समान रूप से आवश्यक है।

श्री डी० बसुमतारी : क्या सरकार ने बेरोजगार आयोग का गठन किया है और यदि हाँ, तो इसके निदेश पद क्या हैं ?

श्री मोहन धारिया : आयोग की नियुक्ति श्रम मंत्रालय द्वारा की गई है। इसके निदेश पद मुझे ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हैं।

SHRI M. C. DAGA : Will the jobs be provided to such persons in whose families none is an earning member and not to income-tax payers or the persons in whose families someone is an earning member ?

MR. SPEAKER : You have gone in much detail.

श्री मोहन धारिया : सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि रोजगार देते समय, जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाये; परन्तु संवैधानिक और कानूनी कठिनाइयाँ हैं जिनकी सरकार जाँच कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनारायण—मुझे अफसोस है; श्री राम देव।

SHRI RAM DEO SINGH : Mr. Speaker, sir, confusion mostly arises with my name. May I know whether any fund has been made available to the State Government in order to implement the job-oriented schemes and so, the amounts thereof.

श्री मोहन धारिया : यह कहना कठिन है कि कितने राज्यों को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में कई स्कीमें आरम्भ की गई हैं और स्वभावतः इन स्कीमों के लिये राशि केन्द्रीय पूल की ओर से उपलब्ध कराई जाती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री सिद्धार्थ शंकर राय, जिन्हें हाल में प्रधान मंत्री ने यहाँ से पश्चिमी बंगाल का शासन करने के लिये नियुक्त किया है, ने विवरण दिया है जिसके अनुसार हल्दिया पत्तन का कार्य आरम्भ होते ही कम से कम एक लाख लोगों को नये रोजगार दिये जायेंगे। क्या यह विवरण योजना मंत्री से परामर्श करने के बाद दिया गया है अथवा उन्होंने इसे पश्चिमी बंगाल के शासक की हैसियत से दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न से यह प्रश्न तो नहीं बनता है परन्तु यदि मंत्री महोदय उत्तर दें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह असंगत प्रश्न नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सामान्य रूप से बेरोजगार के बारे में है। यदि आप विशिष्ट प्रश्न करना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने विवरण दिया है और प्रधान मंत्री ने हाल में उन्हें पश्चिमी बंगाल का कार्य-भार सौंपा है। अपने विवरण में उन्होंने कहा है कि वह एक लाख लोगों को रोजगार देंगे। मैं प्रधान मंत्री से पूछ रहा हूँ कि क्या यह विवरण योजना मंत्री से परामर्श करके दिया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह बिल्कुल गलत है। श्री सिद्धार्थ शंकर राय न तो बंगाल के शासक हैं और न ही उन्हें बंगाल का कोई विशेष कार्य-भार सौंपा गया है ·····(**व्यवधान**)

MR. SPEAKER : Mr. Kachwai, please do not take the trouble of standing I shall however, accommodate you some other time. I have called the hon. Member standing behind you.

SHRI R. V. BADE : In his statement the hon. Minister has mentioned under the heading "Crash Scheme for Rural Employment" that employment will be provided to 1000 persons in every district. Has the Government received any communication from every State Government in this regard that the fund allotted for this scheme is insufficient ?

श्री मोहन धारिया : राज्य सरकारों द्वारा इस स्कीम की प्रशंसा की गई है और समूचे देश में हमें 281 जिलों से प्रस्ताव मिले हैं। इस बात की प्रशंसा की जा रही है कि स्कीम को शुरू करने के लिये प्रत्येक जिले में 1000 लोगों को रोजगार देने पर विचार किया गया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार को सूचना मिली है कि राज्य विधान सभा में उड़ीसा सरकार ने कहा है कि रोजगार प्रदान करने के लिये तूफानी (क्रैश) कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा कोई धन राशि न दिये जाने के कारण लागू नहीं किया जा सका ?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि सभा को भली-भाँति विदित है, विभिन्न राज्यों को 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। जो प्रतिमान निर्धारित किये गये हैं उसके अनुसार उड़ीसा को अपना भाग मिलेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : राज्य मंत्री ने विधान सभा में कहा था कि उन्हें धन नहीं मिला है। केन्द्रीय सरकार इसे स्पष्ट करे।

श्री मोहन धारिया : यदि उन्हें वाकई कुछ नहीं मिला है तो हम इसकी जाँच करेंगे।

प्रदर्शन के लिए भारत और रूस द्वारा पारस्परिक आधार पर फिल्मों की खरीद और अमरीका के साथ ऐसी व्यवस्था का न होना

*971. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने अपनी जनता को दिखाने के लिये कई भारतीय फिल्में खरीदी हैं;

(ख) क्या 'मेरा नाम जोकर' नामक फिल्म 15 लाख रुपये में बेची गई है;

(ग) क्या पारस्परिक आधार पर रूसी फिल्में खरीदी तथा भारत में प्रदर्शित की जायेंगी; और

(घ) भारत द्वारा केवल अमरीकी फिल्मों को ही प्राथमिकता दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि अमरीका द्वारा भारतीय फिल्मों का आयात नहीं किया जाता ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें जानकारी दी गई है ।

(घ) मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमेरिका के साथ किया गया करार 30 जून, 1971 को समाप्त हो गया है और भारत में चलचित्रों के आयात से संबंधित समग्र प्रश्न इस समय विचाराधीन है । इस दौरान हाल ही के वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय फिल्मों का कुछ आयात किया गया है ।

विवरण

जी हाँ । 19 अगस्त, 1968 को सोवएक्सपोर्ट फिल्म, मास्को तथा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लि०, बम्बई के बीच हुए करार के अनुसार भारत में 25 फीचर फिल्मों और उतने ही वृत्त-चित्रों तथा कार्टून का आयात करने दिया जायेगा और सोवियत संघ कम से कम प्रति वर्ष आठ लाख रु० मूल्य की भारतीय फिल्मों का आयात करेगा । करार 5 वर्ष के लिए वैध है और प्रति वर्ष उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने 'मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसियेशन आफ अमेरिका' के साथ जो करार किया है उसके अन्तर्गत 90 प्रतिशत विदेशी फिल्में भारत में व्यापार के लिये आयात की जाती हैं और वे अमरीकी कम्पनियों के माध्यम से आयात की जाती हैं जबकि एक भी भारतीय फिल्म का न तो निर्यात किया गया है और न ही व्यापार के लिये अमरीका में वितरित की जाती है । यदि हाँ, तो इस करार के अन्तर्गत किस प्रकार की पारस्परिकता बरती जा रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह कहना गलत है कि एक भी भारतीय फिल्म अमरीका को निर्यात नहीं की गई ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : व्यापार के लिये ।

श्री एल० एन मिश्र : मैं इस बारे में बता रहा हूँ । गत चार वर्षों में हमने निम्न मूल्य की फिल्में अमरीका को निर्यात कीं : वर्ष 1967-68 में 2·3 लाख रुपये; 1968-69 में 4·4 लाख रुपये; 1969-70 में 8·9 लाख रुपये; और 1970-71 में 9·2 लाख रुपये । अमरीका की फिल्में इस करार के अन्तर्गत आती हैं जो 30 जून, 1971 को समाप्त हो गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, मुझे आपका संरक्षण चाहिये । मैं कीमत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ । क्या उन फिल्मों को व्यापार के लिये अमरीका भेजा गया था ? मैं निजी प्रदर्शन अथवा अमरीका में रहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा आयात का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ ।

श्री एल० एन० मिश्र : अमरीका में निजी एजेन्सियों द्वारा आयात होता है । इसमें कोई संदेह नहीं है । भारतीय चलचित्र निर्यात निगम सोवियत संघ तथा अन्य देशों को फिल्मों के निर्यात की देख-रेख कर रहा है । अमरीका में यह निजी एजेन्सियों द्वारा किया जाता है । सरकार सारी स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी । यह संभव है कि हम पुरानी व्यवस्था में संशोधन

करें अथवा कोई नयी व्यवस्था करें। हम इस बात के लिये बहुत उत्सुक हैं कि अमरीका भी हमारी वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार करे और ब्रिटेन तथा अमरीका के साथ विशेष व्यवस्था हटाई जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूँ कि पुराने करार के अन्तर्गत, जिससे अमरीकी फर्मों को भारत में एकाधिकार प्राप्त हो गया है और जिसके परिणामस्वरूप इन अमरीकन कम्पनियों ने देश के अधिकांश सिनेमाओं का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है अथवा वो इनके नियंत्रण में आ गये हैं और खंड निधि के अन्तर्गत कुल कितनी आय रखी गई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : प्रत्येक वर्ष अमरीका अपने देश में 25 लाख रुपया ले जाता है अथवा भेज देता है। खंड निधि के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये हैं। जहाँ तक सिनेमा भवनों का प्रश्न है भारत में केवल 96 सिनेमा घरों में विदेशी फिल्में दिखाई जाती हैं अर्थात् यह देश में विद्यमान कुल सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों का केवल 2·1 प्रतिशत है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या कोई ऐसी नीति अथवा मार्ग दर्शक सिद्धान्त का पता लगाया गया है जिससे हम उन्हीं फिल्मों को प्रदर्शित करें जो देश का सच्चा चित्र खींचे या जिनका शिक्षाप्रद महत्व हो।

श्री एल० एन० मिश्र : फिल्मों की किस्मों पर भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा अनुमति देने पर ही फिल्मों का निर्यात किया जाता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का राज्यों में काम करना

*972. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **प्रधान मंत्री** राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति कोटे में वृद्धि के बारे में 9 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच राज्यों के क्षेत्राधिकार में भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को सीमित करने संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और इस बीच उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश से यह विदित होता है कि आठ राज्यों ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को सीमित रखने संबंधी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र और राज्य सरकार के बीच तनाव दूर करने के कारण इस संबंध में कठोर कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : जब मूल प्रश्न का ही उत्तर नहीं दिया गया तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का क्या लाभ ?

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : सरकार को आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की उक्त अथवा अन्य सिफारिश के बारे में ढील बरतने का कोई प्रश्न नहीं है। चूँकि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सिफारिशें मुख्यता राज्य सरकारों से सम्बद्ध हैं अतः इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्य सरकारों से उचित सलाह करने के बाद ही किया जायेगा। हम इस बारे में राज्य सरकारों को लगातार याद दिला रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने उत्तर भेज दिये हैं और कुछ राज्य सरकारें उत्तर भेजने को सहमत हो गई हैं।

कैनानोर स्थित कताई तथा बुनाई मिल को नियंत्रण में लेना

*973. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैनानोर स्थित कताई-बुनाई मिल के कार्यकरण के संबंध में राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और क्या इस प्रतिवेदन में मिल के प्रबन्ध को सरकारी अधिकार में लिये जाने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) केन्द्र ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कैनानोर कताई तथा बुनाई मिल्स लिमिटेड के मामलों की जाँच की गई है तथा उसके अन्तर्विषयों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम और जाँच अधिकारियों ने मिलों को सरकारी अधिकार में लेने के लिए एकमत से सिफारिशें की थीं ? इस बारे में क्या निर्णय हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जाँच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमें इस बारे में जाँच करनी है कि वहाँ मिल किस दशा में है, उसमें कितनी धनराशि का विनियोजन करना है और राज्य सरकार उसमें कितनी पूँजी आदि लगायेगी। इन विषयों में जाँच करनी है तथा उन पर निर्णय लेना है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि मेरा यह प्रयास होगा कि उक्त मिल कार्य आरम्भ करे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या इसका अभिप्राय यह है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य को सूचित किया है कि वह इसमें पूँजी लगाने की जिम्मेदारी ले और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार

को इस बारे में राज्य सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है और क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त मिल को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है । हम इस बारे में जाँच कर रहे हैं । मैं आपको केवल इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ, मेरा यह प्रयास होगा कि उक्त मिल काम करना आरम्भ करे, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान है ।

SHRI ACHAL SINGH : May I know whether the mill will run in profit after its take-over ?

MR. SPEAKER : That is the moot point.

भारतीय तैयारशुदा खाद्य पदार्थों, गिरियों तथा मसालों के लिए विदेशी मंडियों की खोज

*974. **श्री एम० एम० जोज़फ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयारशुदा खाद्य पदार्थों और मसालों के निर्माताओं के एक दल ने भारतीय तैयार शुदा खाद्य पदार्थों, गिरियों तथा मसालों के लिये मंडियाँ खोजने हेतु यूरोपीय तथा अमरीकी नगरों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य में कितनी सफलता मिली है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). इस समय यह दल इन देशों का दौरा कर रहा है और उसकी वापिसी पर ही उनका प्रतिवेदन उपलब्ध होगा ।

श्री एम० एम० जोज़फ : क्या सरकार का विचार भारतीय रबड़ के लिये विदेशों में मंडियों का पता लगाने के लिए एक दल भेजने का है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । फिर भी रबड़ के संबंध में इस समय हम अपनी वर्तमान वाणिज्यिक वार्ता व्यवस्था का ही उपयोग कर रहे हैं ।

श्री एम० एम० जोज़फ : रबड़ का उत्पादन माँग से अधिक है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न खाद्य पदार्थों से संबद्ध है । आप खाद्यान्नों के बारे में प्रश्न पूछें । रबड़ खाद्य पदार्थ नहीं है । यदि आप चाहें तो आप अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

मनीपुर में कताई मिल की स्थापना

*976. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में कताई मिल स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या प्रगति हुई है और उक्त मिल के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). 1964 में तैयार किये गए एक प्रस्ताव को तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल की सलाह पर रद्द कर दिया गया था । परन्तु मनीपुर सरकार के अनुरोध पर, हाल में इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार आरम्भ किया गया है और इसके तकनीकी-आर्थिक पहलू की जाँच की जा रही है ।

श्री एन० टोम्बी सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनीपुर में प्रत्येक मकान में हथकरघा उद्योग स्थापित है और इस कारण उसमें रेशमी धागे का भारी मात्रा में प्रयोग होता है और राज्य में कपास का उत्पादन करने के लिये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, विशेषज्ञ की सलाह लेने के कारण हैं, जिसके आधार पर उक्त प्रस्ताव को रद्द करना पड़ा था ? मैं उक्त सलाह की मुख्य बातें जानना चाहता हूँ ।

श्री एल० एन० मिश्र : विदेश मंत्रालय के सम्मुख उक्त प्रस्ताव वर्ष 1964 में रखा गया था और इस बारे में जाँच करने के लिये एक दल भेजा गया था । उन्होंने यह सलाह दी थी कि वहाँ कताई मिल स्थापित करना लाभप्रद नहीं होगा, मनीपुर सरकार के अनुरोध पर हमने इस मामले में फिर से जाँच आरम्भ की है । मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ कि यद्यपि कताई मिल स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा है तथापि मनीपुर के मामले में मैं इसे अपवाद मानने का प्रयास करूँगा । कपड़ा आयुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हम इस बात पर विचार करेंगे कि इसकी स्थापना मनीपुर में की जा सके ।

श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या विशेषज्ञ समिति ने इसकी जाँच बेमन से की थी जिससे 7 वर्ष बाद उस जाँच पर पुन: विचार करने की आवश्यकता पड़ी । इसकी मनीपुर में काफी समय से और जोरदार माँग की जा रही···

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है ।

श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या दूसरी बार की गई जाँच के बाद भी इसके रद्द किये जाने की संभावना है जिससे इसकी फिर से जाँच की जा सके ?

श्री एल० एन० मिश्र : शायद माननीय सदस्य मेरा उत्तर समझ नहीं पाये । मैंने कहा था कि मुझे कपड़ा आयुक्त से शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है । मैंने यह भी कहा था कि मनीपुर के मामले में वहाँ की स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं इसे अपवाद समझूँगा और शायद इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी ।

सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के निकट निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव

*978. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान्ताक्रुज हवाई अड्डा, बम्बई के निकट 'एयर पोर्ट' इलैक्ट्रानिक प्राजेक्ट के नाम से निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) व्यापार विकास प्राधिकरण, सान्ताक्रुज हवाई अड्डा, बम्बई में इलैक्ट्रानिक उपस्करों और संघटकों के निर्यात संवर्धन के लिए बंधकाधीन प्रसंस्करण सुविधा प्रदान करने की योजना बना रहा है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(1) यह परियोजना मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है । यह सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आजकल दी जाने वाली "मैन्यूफैक्चर इन बोर्ड" सुविधाओं का ही विस्तार है । इस सुविधा में निर्यात के लिए चुने हुए इलैक्ट्रानिक उपस्कर और संघटकों के संयोजन तथा उप-संयोजन तैयार करने की प्रस्थापना है ।

(2) यह सुविधा सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के पास लगभग 100 एकड़ की जमीन पर उपलब्ध कराई जाएगी । इस जमीन का अभिग्रहण राज्य के महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम द्वारा किया जा रहा है ।

(3) यह सुविधा स्वतः पूर्ण होगी । इसमें व्यक्तिगत रूप से साधित करने वाले एककों द्वारा स्थापित किए जाने वाले माल तैयार करने और उनके परीक्षण के कारखानों के अलावा यहाँ सामान्य सुविधाएँ जैसे औजार-कक्ष, विद्युत, पानी और वायवीय सेवाएँ, दूरसंचार सेवाएँ जैसे टैलेक्स और बैंकिंग तथा सीमा शुल्क को प्रलेखीकरण की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी ।

(4) इस सुविधा में उद्यमियों के प्रवेश का निर्णय एक उच्चस्तरीय प्रबंध बोर्ड द्वारा, उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत की गई शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख परियोजनों की तकनीकी और वाणिज्यिक शक्यता के आधार पर, किया जाएगा ।

श्री हरि किशोर सिंह : मुझे पता लगा है कि परियोजना के लिये आयात किये जाने वाले कच्चे माल अथवा उपकरण पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा क्योंकि उसमें उत्पादित सब माल का निर्यात किया जायेगा । सरकार ने इस बात को सुनिश्चत करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि उक्त परियोजना के लिये आवश्यक कच्चा माल या इस परियोजना के उत्पादित माल को देश के काले बाजार में नहीं बेचा जायेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह प्रतिबन्धात्मक क्षेत्र होगा । इससे केवल निर्यात किया जायेगा । शायद सीमा शुल्क के मामले में भी सुविधा दी जायेगी । यह केवल सीमा शुल्क के लिये होगी और यह काम राज्य सरकार का है कि वह इस ओर ध्यान दे कि परियोजना से माल को चोरी छिपे न ले जाया जाये ।

श्री हरि किशोर सिंह : परियोजना को सान्ताक्रुज के निकट स्थापित करने के क्या कारण

हैं और क्या सरकार का विचार उद्योग और कृषि संबंधी वस्तुओं की ऐसी परियोजनाओं को देश के अन्य भागों में भी स्थापित करने का है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हम बिजली के उपकरण और बिजली के पुर्जे भी बनायेंगे क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी मंडी हैं। सर्व प्रथम हमने सान्ताक्रुज में परियोजना स्थापित की है और यदि यह सफल हुई तो देश के अन्य भागों में भी परियोजनाएँ स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षायें

*979. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इस आशय के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि विवाहित महिलाओं को अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एम० (वन) और आई० एफ० एस० (विदेश) की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाये;

(ख) क्या सरकार ने अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है तथा निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० की सेवाओं की भर्ती के शासी नियमों के अनुसार विवाहित महिला इन सेवाओं में नियुक्त किए जाने के लिए अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। यदि कोई महिला जो इन सेवाओं में से किसी सेवा के लिए नियुक्त की जाती है तथा बाद में विवाह कर लेती है तो कार्यदक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर उसे पद त्याग करने के लिए कहा जा सकता है। तथापि, व्यवहारिक रूप से जिस आधार पर इन सेवाओं में सीधी भर्ती की जानी है, विवाहित महिलाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है।

विवाहित महिलाओं या सन्तान वाली विधवाओं को आई० एफ० एस० (विदेश) सेवा में भर्ती नहीं किया जाता है। इस आशय से कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगा रेड्डी : क्या सार्वजनिक सेवा के संबंध में विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाना मूल अधिकारों का हनन नहीं है ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस मामले की अच्छी तरह जाँच की गई है तथा यह सलाह मिली है कि इसमें कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं है।

श्री गंगा रेड्डी : सरकार ऐसा क्योंकर समझती है कि विवाह के पश्चात महिलाएँ प्रशासनिक सेवा के उपयुक्त नहीं रहतीं ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रश्न विवाह के पश्चात् महिलाओं के अकार्यकुशल होने का नहीं है। विदेश सेवा में विवाहित महिला की नियुक्ति के बारे में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि···

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : प्रश्न वास्तव में यह है कि क्या कोई महिला सामान्य नियमों के अन्तर्गत की गई नियुक्ति को स्वीकार करती है अथवा वह यह चाहती है कि उसे वहीं नियुक्त किया जाये जहाँ उसका पति है। इसके कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रधान मंत्री ने प्रश्न का उत्तर दिया है। नियमानुसार पति और पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने पर सामान्यतः उनको एक ही स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अतः मैं प्रधान मंत्री तथा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस आपत्ति के साथ-साथ पुरुष जाति के आई० ए० एस० अधिकारियों ने भी इस संबंध में आपत्ति उठाई है।

महोदय ! जब देश का शासन एक महिला के हाथों में है तब भी महिलाओं के साथ भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं ? क्या हम यह चाहते हैं कि हमारी बहनें जीवन भर अविवाहित ही रहें। यह क्या है ? वास्तव में उन्हें बाध्य होकर ब्रह्मचारिणी रहना पड़ता है जबकि वे ब्रह्मचारिणी बने रहने से इन्कार करती हैं। जब कानून सब के लिये एक है तथा संविधान में भी सभी को समानता का अधिकार दिया गया है तो इस व्यवस्था को भी बदलना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ये नियम मेरे प्रधान मंत्री बनने से पहले बने थे।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह कोई उत्तर नहीं है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं प्रधान मंत्री तथा सभी महिला आई० ए० एस० अधिकारियों का स्वागत करता हूँ।

श्री राम निवास मिर्धा : भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त विवाहित व्यक्तियों की एक राज्य में नियुक्ति करने अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में केडर बदलकर स्थानान्तरित करने की व्यवस्था करने में बहुत उदारता बरती जाती है बशर्ते कि आई० ए० एस०, आई० ए० एस० से ही विवाह करे।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : आश्चर्य की बात है कि देश की बागडोर एक महिला के हाथ में होने पर भी मंत्री महोदय ने महिलाओं की कार्यकुशलता पर संदेह व्यक्त किया है। प्रधान मंत्री ने अभी कहा है कि ये नियम उनके प्रधान मंत्री बनने से पूर्व बने थे। यह सच है कि प्रधान मंत्री होने के नाते उन्हें महिलाओं का पक्षपात नहीं करना चाहिए किन्तु उनके अधिकार की रक्षा तो करनी ही चाहिए।···

अध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों के बारे में क्या है ?

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : संसद-सदस्य विवाहित हैं तथा कुछ संसद-सदस्य मंत्री भी बन गये हैं। यदि उनके लिये इससे कोई बाधा नहीं होती तो अधिकारियों को ही क्यों होनी चाहिए। मैं

जानना चाहती हूँ कि क्या इन अन्यायपूर्ण नियमों को शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया जायेगा क्योंकि···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने बारे में स्पष्ट हो जायें।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ केवल पुरुष ही भ्रम में रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या प्रधान मंत्री मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगी कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाये तथा इन नियमों को वापस लेने के बारे में कुछ कार्यवाही की जाये और महिलाओं के साथ भेदभाव न बरता जाये।

श्री राम निवास मिर्धा : इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। इस बारे में कोई भेदभाव नहीं बरता गया···

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : ये पुराने नियम हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : लेकिन ये बहुत दिनों से लागू हैं···

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है आई० ए० एस० अधिकारियों के एक भी मामले में इस नियम को लागू नहीं किया गया है किन्तु मैं स्वीकार करती हूँ कि दुर्भाग्य से इसकी शब्दावली ठीक नहीं है।

SHRI RAM CHANDRA VIKAL : It has been stated by the hon. Minister that the female candidates are called for the test but they are not appointed. This is a serious problem. The replies made by the Prime Minister are also serious. It would be much better if this issue is discussed in the House.

श्री जगन्नाथ राव : विदेश सेवा के लिये ऐसे अधिकारी को प्राथमिकता दी जाती है जिसकी पत्नी गुणसम्पन्न हो। अतः ऐसी योग्य महिला को जिसका पति भी योग्य तथा गुणसम्पन्न हो विदेश सेवा में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर विचार करना होगा।

डाक तथा तार संहिता का पुनः मुद्रण

*985. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1954 के बाद डाक तथा तार संहिता को पुनः नहीं छापा गया है;

(ख) नियमों में इस बीच कितनी शुद्धियाँ की जा चुकी हैं; और

(ग) क्या इससे विभाग की कार्यकुशलता में बाधा पड़ती है ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) No, Sir. Except P & T Manual, Volume II, P & T Manual Volume XI Part IV and P & T Financial Hand Book Volume II, all other P & T Codes have been re-printed since 1954,

(b) Yes, Sir. A statement showing the number of correction slips issued to the various codes is placed on the Table of the Lok Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT. 617/71].

(c) No, Sir.

SHRI R. V. BADE : Mr. Speaker, sir, in reply to part 'c' of my question the hon. Minister has said 'No sir'. In the statement it has been stated that in the P & T Manual Vol. I Part I the number of correction lists and slips is 22 (122-128), in Vol. II 72 (509), and it is 26 (89) in Vol. VI Part I printed in 1964. I have calculated the number of correction lists and slips and found that each volume contains about one thousand such lists and slips. As a result of which these volumes have become useless because all those corrections are not available in these volumes. I would like to know the reasons for not reprinting these volumes by the Department to make them more useful and easy to refer to.

SHRI H. N. BAHUGUNA : It is a suggestion for action. We did not find any difficulty in this matter so far. The volume with him was reprinted in 1964 and its copies are still available with us. The slips of the corrections made afterward have been pasted and the Department is not experiencing any difficulty in this matter.

SHRI R. V. BADE : Except Volume VI no other volumes are available in the Parliament House. The Department in his charge was requested to send other volumes but those volumes were reported to be out of stock. May I know whether those volumes have not been reprinted so far and whether steps would be taken to get them reprinted very soon ?

SHRI H. N. BAHUGUNA : Certain volumes are available with us and the others have been sent to the Chief Controller of Stationery and Printing for reprint. We will supply those volumes after they are reprinted. If the hon. Member refers to a particular volume I can tell him the correct position.

डा० अम्बेदकर के साहित्य के प्रकाशन के लिए सरकारी एजेंसी

*९८८. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० बी० आर० अम्बेदकर के साहित्य के संकलन, सम्पादन और प्रकाशन हेतु एक सरकारी संस्था स्थापित करने अथवा किसी स्वयं-सेवी संस्था को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). प्रकाशन प्रभाग का 'आधुनिक भारत के निर्माता' पुस्तक माला के अन्तर्गत डा० अम्बेदकर की जीवनी प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। डा० अम्बेदकर के साहित्य के संकलन, सम्पादन और प्रकाशन के लिए एक संगठन स्थापित करने अथवा किसी स्वयं-सेवी संस्था को आर्थिक सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या सरकार गांधी जी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री,

डा० जाकिर हुसैन, कस्तूरबा तथा अन्य व्यक्तियों की भाँति डा० अम्बेदकर की रचनाओं को प्रकाशित करने तथा जनता में उनकी विचारधारा का प्रचार करने के लिए किसी स्मारक संस्था की स्थापना करेगी ।

श्री धर्मवीर सिंह : सरकार ने महात्मा गाँधी के अतिरिक्त किसी भी भारतीय नेता की रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया है । राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, उपराष्ट्रपति तथा ऐसे ही अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भाषणों को प्रकाशित किया गया है । ऐसे व्यक्तियों में सरदार पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, सी० राजगोपालाचारी तथा टी० टी० कृष्णामचारी भी सम्मिलित हैं । प्रकाशन में केवल भाषणों का संग्रह है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : श्री टी० टी० कृष्णामचारी कब से राष्ट्रीय नेता हो गये ?

श्री धर्मवीर सिंह : वह एक विशिष्ट अवसर पर प्रकाशित की गई थी ।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या सरकार ऐसी ऐच्छिक एजेंसियों अथवा ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता देगी जो डा० अम्बेदकर की 'दि बुद्धा एण्ड हिज़ रिलीजन', 'हू आर सूद्राज़', 'दि अनटचेबल्स' आदि जैसी स्मरणीय रचनाओं का प्रकाशन करके उनकी विचारधारा का प्रचार करें ?

श्री धर्मवीर सिंह : इस समय सरकार की इन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : डा० अम्बेदकर की विभिन्न पुस्तकों तथा भाषणों के प्रकाशन के अतिरिक्त क्या किन्हीं ऐच्छिक संगठनों ने उनके जीवन तथा शिक्षाओं के ऊपर वृत्तचित्र बनाने का निवेदन किया है और यदि हाँ तो क्या इस कार्य को इसी वर्ष किये जाने की संभावना है ?

श्री धर्मवीर सिंह : इस समय हमें कोई जानकारी नहीं है । इसके लिए मुझे सूचना चाहिये ।

दिल्ली में कारों, स्कूटरों और साइकिलों की चोरी के मामले

*990. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कारों, स्कूटरों और साइकिलों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत एक वर्ष में कितनी कारों, स्कूटरों और साइकिलों की चोरी हुई और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चोरी की ये घटनायें कम हुई हैं अथवा अधिक;

(ग) इनमें से कितनी कारें, स्कूटर आदि बरामद किये गये हैं और उनके मालिकों को वापिस दिये गये हैं;

(घ) इस अवधि में इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका अन्य ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) राजधानी में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) से (ङ). दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना पर आधारित तीन विवरण (विवरण क, ख और ग) सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—618/71.**]

श्री अमर नाथ चावला : क्या अवैध शराब निकालने वाले तथा तस्करी करने वालों का कारों की चोरी में भी हाथ है ?

श्री मोहसिन : सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है किन्तु कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं।

श्री अमर नाथ चावला : क्या सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है तथा क्या कुछ मामलों को पुलिस जाँच के समय ही समाप्त कर दिया गया है ?

श्री मोहसिन : यह जानकारी विवरण में दे दी गई है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेल के माल डिब्बों का निर्यात

*961. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में रेल के माल डिब्बों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या प्रयास किये गये; और

(ख) वर्ष 1971-72 में इनके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1970-71 में सरकार के प्रमुख प्रयत्न इंजीनियरी माल के, जिनमें रेलवे माल डिब्बे शामिल हैं, निर्यातों में आने वाली अड़चनों को, जो विशेषत: प्रमुख कच्चे माल अर्थात् इस्पात की पूर्ति से संबंधित हैं, दूर करने की दिशा में केन्द्रित रहे । इस दिशा में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

1. इस्पात तथा खान मंत्रालय द्वारा स्वदेशी इस्पात का वितरण सुव्यवस्थित कर दिया गया है।

2. हिन्दुस्तान स्टील लि० के माध्यम से इंजीनियरी माल के निर्यातकों हेतु भारी मात्रा में इस्पात के आयात की व्यवस्था की गई है। विशेषत: माल डिब्बों के उद्योग हेतु अतिरिक्त आयातों की योजना तैयार की गई है।

3. निर्यात क्रयादेशों के आधार पर अनुकूल स्तर के इस्पात के आबंटन के लिये कदम उठाये गये हैं।

4. निर्यातक एककों को पुख्ता क्रयादेशों के आधार पर अपनी पूरी आवश्यकताओं के लिये सभी किस्मों के इस्पात के आयात की अनुमति है।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थायी सुविधाएँ भी प्राप्य हैं :

(1) पोतपर्यन्त मूल्य के 20 प्रतिशत तक आयात प्रतिपूर्ति।

(2) प्रत्येक मामले के आधार पर पृथक मुआवजा सहायता।

(3) अधिमानी ब्याज दरों पर निर्यात हेतु वित्त-पोषण।

(4) प्रत्येक मामले के आधार पर अस्थगित रूप में वसूली के उद्देश्य से ऋण सुविधाएँ।

(5) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से प्रचार, बाजार-सर्वेक्षण, बिक्री तथा अध्ययन दलों, प्रतिनिधि-मंडलों आदि से संबंधित सुविधाएँ।

(6) माल डिब्बों का निर्यात करने वाली एक प्रमुख फर्म का, जो वित्तीय कारणों से बन्द हो गयी थी, प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है और शेष वचनबद्धताओं को, जिनमें निर्यात क्रयादेश भी शामिल हैं, पूरा किये जाने की संभावना है।

(ख) चालू वर्ष, 1971-72, में उपरोक्त स्थायी सुविधाओं के अलावा माल-डिब्बों के निर्यात बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं :

(1) राज्य व्यापार निगम के सहायक समवाय के रूप में अप्रैल, 1971 में भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम नामक एक अलग निगम की स्थापना की गई है जिसका एक प्रधान कार्य रेलवे व्यवस्था के सामान का निर्यात है जिसमें इंजन, डिब्बे आदि भी शामिल हैं।

(2) परियोजना तथा उपस्कर निगम ने विदेशी खरीदारों के बारे में सभी प्रकार की संगत जानकारी के संकलन तथा वर्गीकरण के लिये एक डेटा बैंक शुरू किया है।

(3) विदेशी खरीदारों के साथ वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित किये जा रहे हैं।

(4) विदेशी क्रेता प्रतिनिधिमंडलों को भारत आने तथा प्रगति देखने के लिये आमंत्रित किया जा रहा है।

(5) स्थायी क्रयादेशों को पूरा करने के लिये विशेष आयात तथा अन्य सहायता दी जा रही है।

चाय निगम की स्थापना

*962. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री मुल्की राज सनी :
श्री ब्रजराज सिंह कोटा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड को चाय निगम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो चाय निगम का पूँजीगत ढांचा क्या है, निदेशक मण्डल में रखे गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और संभावित निगम का कार्य क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). चाय बोर्ड को चाय निगम में परिवर्तित करने संबंधी प्रस्थापना को स्वीकार नहीं किया गया है। एक चाय विपणन निगम की स्थापना तथा उसके कार्यकलाप के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल की खरीद के बारे में जापान और इटली से पूछताछ

*964. **श्री रामकंवर :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान और इटली ने लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल खरीदने के बारे में कोई पूछताछ की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनको किस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) जापान ने मुख्यत: मोटरगाड़ियों के पुर्जे, सिलाई मशीनों के पुर्जों, साइकिलों के पुर्जों और इलैक्ट्रानिक संघटकों तथा कुछ अन्य विविध मदों के संबंध में पूछताछ की है। इटली ने केवल मोटर गाड़ियों के अनुषंगी सामान जैसे आटोमोटिव कास्टिंग्स, इंजन वाल्व, विंड स्क्रीन वाइपर तथा कारों के लिये बिजली के उपस्कर के संबंध में पूछताछ की है।

मैसूर में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*965. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में नक्सलवादियों ने अपनी गतिविधियाँ आरम्भ कर दी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). माओ नारों वाले इश्तिहारों के प्रदर्शन के अतिरिक्त, मैसूर राज्य में कोई अन्य नक्सलपंथी गतिविधियाँ देखने में नहीं आई हैं। फिर भी, कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

आयात लाइसेंसों में जालसाजी

*966. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसी जाली फर्मों का पता लगाया है जो मिथ्या उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से बहुत आयात लाइसेंसों का उपयोग कर रही थीं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं तथा उन अपराधी फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पिछड़े राज्यों के विकास के लिए योजनाएँ

*975. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान योजना काल में पिछड़े राज्यों के समन्वित विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने योजना बनायी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य के विचार में कदाचित असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश हैं जिन्होंने राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के अधिक आबंटन पर बल दिया है। इन राज्यों की योजनाओं में संतुलित एवं समन्वित विकास का ध्यान रखा गया है। **विवरण 2** में इन राज्यों की योजनाओं में विभिन्न विकास शीर्षकों के अन्तर्गत की गई व्यय-व्यवस्था दर्शायी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—619/71.**] इसके अतिरिक्त, इन राज्यों में तथा अन्य राज्यों में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों का भी अभिनिर्धारण किया गया है। इन पिछड़े हुए जिलों में छोटे तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक धन्धे प्रारम्भ करने के लिए सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने रियायतें देने की पेशकश की है। इन रियायतों में ब्याज की कम दर तथा ऋण-परिशोधन के लिए अधिक अवधि की व्यवस्था करना भी सम्मिलित है। इन रियायतों के लिए 9 राज्यों में चुने गये जिलों के नाम **विवरण 3** में दिये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—619/71.**] साथ ही यह निर्णय भी किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड,

उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से प्रत्येक में दो जिले तथा शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक जिला केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले सीधे अनुदान अथवा राज सहायता (सब्सिडी) के लिए चुना जाय जिसकी मात्रा उन नए एककों की स्थिर पूँजी के दसवें अंश के बराबर होगी जिनका कुल स्थिर पूँजी निवेश, प्रत्येक के मामले में, 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। उन नये एककों की स्कीमों तथा परियोजनाओं पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है जिनकी स्थिर-पूँजी 50 लाख रुपये से अधिक है। विवरण 3 में इन जिलों के नाम भी दिये गये हैं।

ऊँचे रक्त-चाप तथा हैजे के नियंत्रण के संबंध में खोज

*977. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रयोगात्मक औषध संस्थान, कलकत्ता ने ऊँचे रक्त-चाप और हैजे को रोकने के लिए हाल ही में दो खोजें की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त दोनों औषधियों का निर्माण करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय प्रयोगात्मक औषध संस्थान, (आई० आई० ई० एम०), कलकत्ता ने एलानजियम लेमारको से एक एल्केलाइड औषधि पर कुछ अनुसंधान किये हैं जिसका उच्च रक्त-चाप पर कुछ प्रभाव दिखाई दिया है। लेकिन इसके परिणाम अभी अनिर्णायक हैं। इस पर आगे कार्य चल रहा है।

उपापचय में फोर-कार्बन शक्कर के प्रभाव पर अध्ययन के दौरान संस्थान ने यह भी पता लगाया है कि अपने प्राकृतिक रूप में विद्यमान ऐरिथ्रोज नामक शक्कर, ग्लूकोज के प्रवेश को रोककर हैजे (विब्रिओ कौलेरी) के बढ़ने का निरोध करती है। फिर भी, ऐरिथ्रोज हैजे की बीमारी के उपचार में प्रभावशाली होने लायक नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त खोज के कार्य के लिए भारत और रूस में करार

*980. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस के साथ जैव-उत्पादिता खनिजों के क्षेत्र, महासागरों में अन्य स्थानों से आने वाली व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद मछलियों की संयुक्त खोज के लिए करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक प्रकार की खोज कितने-कितने क्षेत्र में की जायेगी; और

(ग) इस कार्य के लिए भारत और रूस द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में टेलीफोन के तारों को काटे जाने की घटनायें

*981. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत दो वर्षों में टेलीफोन के तार काटे जाने की कितनी घटनायें हुईं;

(ख) इससे सरकार को कुल कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) इस संबंध में कितने आदमी गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 1969-70 और 1970-71 के दौरान ऐसी घटनाओं की संख्या क्रमशः 189 और 177 थी ।

(ख) 1969-70 और 1970-71 के दौरान क्रमशः 89,103 रुपये और 55,436 रुपये मूल्य के सामान की हानि हुई ।

(ग) 1969-70 के दौरान एक और 1970-71 के दौरान भी एक ही अपराधी गिरफ्तार किया गया ।

(घ) 1969-70 के दौरान एक अपराधी दोषी सिद्ध हुआ और उसे दो वर्ष के कारावास का दंड दिया गया । 1970-71 के दौरान एक अपराधी दोषी सिद्ध हुआ ।

अलौह धातुओं का आयात

*982. **श्री दण्डपाणि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातुओं के उद्योग और उसके व्यापार पर 'तांबा नियंत्रण आदेश' का जिसके अंतर्गत तांबे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने, अलौह धातुओं को जो हमारे निर्यात के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से आयात करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) लौह धातुओं का रक्षित भंडार बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). शायद माननीय सदस्य का संकेत औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ताँबा (बिजली केबलों तथा तारों के बनाने में प्रयोग का प्रतिबंध) आदेश से है। सरकार के पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि इस आदेश से अलौह धातु उद्योग तथा व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उपभोक्ता उद्योगों की घरेलू जरूरतों तथा निर्यात माँग की आवश्यकताओं को हर हालत में पूर्णतः पूरा करने के लिए सरकार ने अलौह धातुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात करने के लिए आवश्यक कदम उठा लिये हैं।

(ग) उद्योग को अलौह धातुओं की पूर्ति के लिए प्रबंध सुदृढ़ किये जा रहे हैं ताकि वास्तविक प्रयोक्ताओं को ''तैयार भंडार से'' सुपुर्दगी की जा सके। यदि आवश्यक प्रतीत हुआ तो एक समीकरण भंडार बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

निर्यात-प्रधान सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

*983. **श्री सामिनाथन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती कपड़ा निर्यात करने वाली उन मिलों की संख्या कितनी है जिन्हें अपनी मशीनों को आधुनिक आयातित मशीनों द्वारा बदलने के लिए सहायता दी गई है;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि विदेशी मुद्रा का आबंटन किया गया है; और

(ग) पुरानी मशीनों एवम् आधुनिकीकरण के लिए धन की कमी के कारण कितनी मिलें बंद हो गई हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). वस्त्र उद्योग द्वारा अपेक्षित अधिकांश मशीनें देश में ही निर्मित होती हैं। शेष के आयात की अनुमति, प्रतिवर्ष घोषित आयात व्यापार नियंत्रण नीति में दिये गये उपबंधों के अनुसार दी जाती है। आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कुछ वर्षों के लिए वस्त्र संबंधी मशीनों की जटिल मदों के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तथापि, निर्यात हेतु उत्पादन के प्रतिस्पर्द्धा स्तर में सुधार करने तथा निर्यात प्रयोजनों के लिये उत्पादों के अनुकूलन और विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के विचार से गत वर्ष, कुछ निर्यात बाध्यता वाली पर्याप्त निर्यात करने वाली मिलों को जटिल मशीनरी की कुछ मदों के आयात की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया। तथापि, इससे पहले कि इस संबंध में मिलों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर पूर्ण कार्यवाही की जा सकती, वस्त्र उद्योग ने कठोर निर्यात शर्त के विरोध में जोरदार अभ्यावेदन किया। परिणामस्वरूप, सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और वस्त्र तथा वस्त्र मशीनरी उद्योगों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है और पूर्व निर्यात निष्पादन के आधार पर जटिल वस्त्र मशीनरी संबंधी कुछ मदों के आयात की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है।

यद्यपि पृथक-पृथक उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा पहले से ही नियत करना संभव नहीं होगा पर यह आशा की जाती है कि निर्यातकर्ता मिलों की वास्तविक आवश्यकताओं को विदेशी मुद्रा तथा उनके स्रोतों के आधार पर यथासंभव पूरा किया जायेगा।

मिलों के बंद होने के कई कारण हैं और ऐसी मिलों की संख्या बताना कठिन है जो केवल पुरानी मशीनरी तथा आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित राशि के अभाव के कारण बंद हुई हैं। सोलह बंद पड़ी मिलें, जो बेकार घोषित करने योग्य समझी जाती हैं, उन्हें संभवत: इस श्रेणी के अंतर्गत किया जा सकता है। अन्य बंद पड़ी मिलों के बारे में कई अन्य कारण भी हैं जैसे कुप्रबंध, श्रम संबंधी कठिनाइयाँ, वित्तीय कठिनाइयाँ आदि।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों द्वारा महिला विस्थापितों के साथ कथित बलात्कार

*984. **ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों ने दीवानगंज जूनियर स्कूल कैम्प (जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल) में महिला विस्थापितों के साथ मारपीट की और बलात्कार करने का प्रयत्न किया;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में ऐसा एक आरोप आया है। आरोप राज्य सशस्त्र पुलिस के, जिन्हें स्कूल भवन में स्थान दिया था, विरुद्ध है, न कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के।

(ख) और (ग). आरोप की राज्य सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

दिल्ली प्रशासन में कार्य की अदक्षता के बारे में समाचार-पत्र के लेख

*986. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 13 जून, 1971 के "सन्डे स्टेन्डर्ड" में, रूस में नियुक्त भूत-पूर्व राजदूत श्री के० पी० एस० मेनन की पत्नी श्रीमती सरस्वती मेनन द्वारा दिल्ली प्रशासन में कार्य की अदक्षता के कारण दिल्ली के नागरिकों को होने वाली घोर परेशानी के बारे में लिखे गये लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या लेख में उल्लेख की गई विभिन्न शिकायतों के बारे में सरकार को दिल्ली प्रशासन से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) क्या रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया गया है तथा उसकी जाँच कर ली गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड़) क्या इसी प्रकार की शिकायतें सरकार को अन्य स्रोतों से भी मिली हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ड़). सरकार ने श्रीमती सरस्वती मेनन के लेख को देखा है। दिल्ली प्रशासन द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व), दिल्ली, से इस लेख में कहे गये तथ्यों की जाँच करने को कहा गया है। यह जाँच हो रही है। पहले इस प्रकार की विशिष्ट शिकायतें सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं।

पूर्वी क्षेत्र में आपात-स्थिति की घोषणा

*987. **श्री पी० के० देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1971 के 'मदरलैंड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार देश के तनावपूर्ण पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय-आपात की स्थिति की घोषणा करने वाली है; और

(ख) क्या इस संबंध में, इस बीच, कोई निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार ने समाचार देखा है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात काल की उद्घोषणा किसी राज्य अथवा किसी क्षेत्र के बारे में नहीं हो सकती बल्कि समस्त देश के बारे में होती है। अत: पूर्वी क्षेत्र में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रश्न नहीं उठता।

सिंगापुर द्वारा भारत के कोयले को पाकिस्तान भेजना

*989. **श्री संजीवी राव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर की फर्मों द्वारा भारत से खरीदे गये कोयले को पाकिस्तान भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या ठेके में इस प्रकार का कोई उपबंध था जिससे कि यह संभावना उत्पन्न न हो; और

(घ) क्या सिंगापुर की पार्टियों की ओर से ब्रिटिश फर्मों के प्रतिनिधियों ने बातचीत में भाग लिया था ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जून-जुलाई, 1970 में सिंगापुर को कुछ बीहाइव कोक निर्यात किया था। उसके बाद सिंगापुर को कोयले अथवा कोक का कोई निर्यात नहीं हुआ। निर्यात संविदा में यह व्यवस्था थी कि कोक सिंगापुर/हांगकांग में खपत के लिए होगा इसका अन्य देशों को पुन: निर्यात नहीं किया जायेगा। निर्यात का पाकिस्तान को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में सरकार को कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। निर्यातक देशों के लिए सिंगापुर तथा हांगकांग जैसे आयात-निर्यात केन्द्रों द्वारा आयातित उत्पादों के पुनर्निर्यात को विनियमित करना संभव नहीं है।

(घ) जी नहीं। बीहाइव कोक के उपर्युक्त निर्यातों के संबंध में बिक्री संबंधी वार्ताएँ दो गैर-सरकारी भारतीय पार्टियों के माध्यम से की गई थीं।

नई दिल्ली तथा शाहदरा रेलवे स्टेशनों पर चुंगी वसूल करने संबंधी कठिनाइयों की जाँच करने के बारे में नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशें

4104. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के एक अध्ययन दल ने दिल्ली तथा शाहदरा स्टेशनों पर चुंगी वसूल करने संबंधी कठिनाइयों की जाँच की थी;

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या अध्ययन दल द्वारा सिफारिश की गई प्रणाली वर्तमान चुंगी वसूल करने की प्रणाली से अच्छी है; और

(घ) यदि हाँ, तो नई प्रणाली का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). प्रशासनिक सुधार विभाग के एक अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1970 में दिल्ली सीमा-कर अभिकरण का अध्ययन किया था और 30 अप्रैल, 1971 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन सिफारिशों पर दिल्ली नगर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

विवरण

दिल्ली सीमा-कर अभिकरण के कार्यों पर अध्ययन दल की प्रमुख सिफारिशों का विवरण।

1. परिवाहकों (ट्रांसपोर्टर्स) को पहिचान पत्र देना जिनमें बिना माल लदी गाड़ी का सत्यापित वजन हो।

2. आदेश की तिथि से वर्गीकरण में परिवर्तन 7 दिन के पहले लागू न हो।

3. मूल्यांकन-कर्त्ता और कलेक्टर को अभिकरण श्रेणीबद्ध संगठन से अलग करना।

4. फ्रूट साइडिंग पर फलों के आयात-निर्यात तथा प्रतिदान की स्वीकार्यता के संबंध में कानूनी पहलू पर विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया जाय कि फलों के आयात के बारे में दिये गये दो विकल्पों में से किसे अपनाया जाय।

5. सीमा-कर अभिकरण के रूप में आयुक्त तथा नगर निगम के परस्पर संबंधों की जाँच करना।

6. आयुक्त तथा सीमा-कर अभिकरण के अधिकारियों की प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियाँ।

7. नीति परामर्शदात्री समिति स्थापित करना।

8. शुद्ध भार को निकटतम 10 के गुणक के अन्दर रखना।

9. उत्तरी रेलवे से किए जाने वाले करार के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे बैरियरों पर सीमा-कर एकत्रित करना तथा रेलवे परिसर में मूल्यांकन कर्मचारियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना।

10. दिल्ली, नई दिल्ली और शहादरा स्टेशनों को छोड़कर अन्य स्टेशनों में उतरने वाले यात्रियों के साथ लाए गये सामान पर कर लेना समाप्त किया जाय।

11. सेवा शुल्क आरोपण समेत लेखाधारकों से कर वसूल करने की पद्धति का पुनरीक्षण करना।

12. विस्तारण शुल्क लेने का प्रबन्ध करना।

13. प्रतिदान के मामलों में 5 रुपये प्रक्रिया शुल्क लेना।

14. अभिकरण में उपायुक्त (कर) के कार्यों का स्पष्टीकरण करना।

15. दिल्ली सीमा-कर नियम, 1958 में उत्प्रेरणा और पारितोषिक के लिए व्यवस्था करना।

16. दलालों और मुंशियों को लाइसेन्स देना।

New P. & T. Offices in Hoshangabad and East Nimad Districts

4105. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) Whether Government contemplate to open new Posts and Telegraphs offices in Hoshangabad and East Nimad Districts in Madhya Pradesh during the current year;

(b) If so, the number thereof;

(c) The time by which the new Posts and Telegraphs offices are likely to be opened and their location; and

(d) The number of Posts and Telegraphs offices proposed to be opened in rural and urban areas, separately ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes.

(b) It is proposed to open 4 Post offices and 3 Telegraph offices in Hoshangabad District and 3 Post offices and 2 Telegraph offices in East Nimad District.

(c) The Post offices (Extra Departmental branch offices) are proposed to be opened at (1) Anhai, (2) Kapuri, (3) Panjra, and (4) Rani Piparia in Hoshangabad district and at (1) Pipal Pani, (2) Gambhir and (3) Gulai in East Nimad district. The proposals in Hoshangabad District are under examination and the cases are likely to be finalised by December, 1971. So far as the East Nimad District is concerned, the Post office at Gulai has been sanctioned to be opened already, while the Post offices at Pipal Pani and Gambhir will be opened as soon as the required nonreturnable contribution is deposited by the interested parties.

New Telegraph offices are proposed to be opened at Rahatgaon, Kosla and Purani Basti (Itarsi) in Hoshangabad district and at Detrai and Khalwa in East Nimad District by 31.3.1972.

(d) All the Post offices are proposed to be opened in the rural areas. Out of 5 Telegraph offices proposed to be opened, 4 will be in rural areas and one will be in urban area.

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क निर्यात संबंधी नीतियों की क्रियान्विति

4106. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क निर्यात संबंधी सरकार की नीतियों के बारे में खनिज और धातु व्यापार निगम को भेजे गये डा० पी० सी० एलेक्जेंडर के पत्र, खनिज और धातु व्यापार निगम की प्रेस-घोषणा तथा इस नीति को प्रभावी बनाने वाले एफ० आई० एम० आई०, नई दिल्ली को लिखे गये दिनांक 14 जुलाई, 1969 के पत्र को सरकार सभा पटल पर रखेगी;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति को निगम ने क्रियान्वित किया है तथा इसके परिणामस्वरूप खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम को मध्यम और उत्तम किस्म के अयस्कों पर निर्यात शुल्क वापस लेने की अनुमति दी गई थी तथा खनिज और धातु व्यापार निगम को अलग-अलग कितनी ऐसी राशि वापस मिली तथा 'कैने लाइन्ड' क्रयादेशों पर कितनी राशि अदा की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निम्नोक्त प्रत्येक प्रलेखों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है :

(1) खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रेस-नोट दिनांक 14 जुलाई, 1969।

(2) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा भारतीय खनिज उद्योगों के महासंघ के अध्यक्ष को भेजा गया पत्र दिनांक 14-7-1969।

सरकार तथा निगम के बीच नीति संबंधी विषयों पर हुए पत्र-व्यवहार को सभा पटल पर रखना वांछनीय नहीं समझा जाता है। फिर भी, उपरिलिखित प्रलेखों की विषय-वस्तु सरकार की नीति के अनुसार हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—620/71.**]

(ख) (1) निगम इस संबंध में सरकार की नीति को कार्यान्वित करने का प्रयास करता रहा है।

(2) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई मैंगनीज अयस्क की प्रत्यक्ष बिक्री 1969-70 में 5·67 लाख मे० टन से बढ़कर 1970-71 में 8·24 लाख मे० टन हो गई; और 1971-72 की प्रथम तिमाही में निगम 6·42 लाख मे० टन की प्रत्यक्ष बिक्री तय भी कर चुका है।

(ग) सीमा शुल्क कानून के अन्तर्गत आयात शुल्क पर ही वापिसी दी जा सकती है, निर्यात शुल्क पर नहीं, और तदनुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम को मैंगनीज अयस्क पर उनके द्वारा दिये गये निर्यात शुल्क की वापिसी की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।

असम के चाय बागानों को उत्पादन-शुल्क में प्राप्त छूट की अवधि का बढ़ाया जाना

4107. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के दानरांग, सिब-सागर और लखीमपुर जिलों के चाय बागनों को 70 पैसे प्रति किलोग्राम की घटी दर पर उत्पादन-शुल्क चुकाने और 5 रुपये से कम शुद्ध औसत मूल्य प्राप्त करने के लिए जो छूट दी गई थी, उसकी अवधि 30 जून, 1971 को समाप्त होने जा रही है;

(ख) क्या उक्त चाय बागानों की इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार छूट की इस अवधि को और अधिक समय तक बढ़ाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). चाय के कमजोर बागानों को, जिनमें असम के कतिपय क्षेत्र भी शामिल हैं, उत्पादन-शुल्क में दी जाने वाली रियायत 31 मार्च, 1972 तक बढ़ा दी गयी है।

पश्चिमी बंगाल राज्य में आपातकालीन स्थिति की आवश्यकता के बारे में वहाँ के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

4108. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री, श्री अजय मुखर्जी के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में बंगला देश से बहुत अधिक विस्थापितों के आ जाने से वहाँ लगभग आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकार से अथवा अपने आसूचना स्रोतों से इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी गई अपनी रिपोर्ट के पैरा 8 में इस विषय पर मुख्य मंत्री के विचारों का सार प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रति पश्चिमी बंगाल के संबंध में अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के साथ सदन के पटल पर रखी गई है।

(घ) बंगला देश से शरणार्थियों के अभूतपूर्व आगमन से उत्पन्न समस्याओं तथा बंगला देश में कानून व व्यवस्था संबंधित समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और स्थिति से निपटने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

Direct Telephone Link Between Etah and Agra

4109. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there is no direct telephone link between Etah District and Agra Commissiariat in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken or proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Direct trunk telephone line already exists between Etah and Agra.

(b) Does not arise.

Setting up of Puplic Call Offices and Telegraph Offices in Saharsa District, Saharsa (Bihar)

4110. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether orders have already been issued for the setting up of a Public Call Office and a Telegraph Office at Bhaptiahi in Saharsa District of Bihar;

(b) if so, the date on which the said orders were issued and the reasons for not providing the aforesaid facilities there so far;

(c) the time by which these facilities are likely to be provided there; and

(d) the names of other places in Saharsa District where Public Call Offices and Telegraph Offices are proposed to be set up indicating the time by which they would start functioning ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal to open Telegraph Office Cum Public Call Office at Bhaptiahi was sanctioned on 7.9.70. The work could not be carried out due to non-availability of certain essential items of stores.

(c) Efforts are being made to provide Telegraphs and Telephone facilities at Bhaptiahi at an early date.

(d) There is no proposal to open Public Call Offices at other places in Saharsa District at present. However, Telegraph facility is proposed to be provided at the following stations in Saharsa District :

1. Hardi
2. Mahisi
3. Rajni
4. Mahmadganj
5. Shreepur
6. Sukhasan
7. Jirwa
8. Koriapatti.

Due to the non availability of certain essential items of stores, date of opening of Telegraph Offices at above places cannot be indicated at present.

आकाशवाणी कलाकार एसोसिएशन, हैदराबाद को मान्यता दिया जाना

4111. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी कलाकार ऐसोसिएशन, हैदराबाद को, जो कार्मिक संघ अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था है, मान्यता देने के लिए कोई अभ्यावेदन भेजा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी शतपथी) : (क) जी, हाँ।

(ख) अनुशासन संहिता के अन्तर्गत, यूनियन मान्यता प्राप्ति की पात्रता नहीं रखती ।

कलाकारों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् प्राप्त होने वाले लाभ

4112. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 के बाद कितने स्टाफ आर्टिस्ट सेवा निवृत्त हुए;

(ख) क्या उन्हें केन्द्रीय भविष्य निधि के अतिरिक्त सेवा निवृत्ति के पश्चात् के लाभ और उपदान प्राप्त हुए थे; और

(ग) यदि वह अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो क्या उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद के लाभ और उपदान भूतलक्षी प्रभाव से देने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी शतपथी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान नियमों के अनुसार स्टाफ आर्टिस्ट केवल अंशदायी भविष्य निधि के ही अधिकारी हैं।

(ग) जी, नहीं।

रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषण

4113. **श्री जुल्फिकार अली खाँ** : क्या **गृह** मंत्री रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषणों के बारे में दिनांक 19 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4718 तथा 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न 3662 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात की कोई जाँच की गई है कि क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के वाल्टों में रखे हुए रामपुर के स्वर्गीय नवाब के तथाकथित कुलागत आभूषणों को उनकी मृत्यु के पश्चात् बदला, बेचा अथवा छेड़ा गया;

(ख) यदि इन आभूषणों को बदला अथवा छेड़ा गया था तो क्या संबंधित सरकारी अधिकारियों अथवा स्टेट बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध और आगे कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) क्या तथाकथित कुलागत आभूषणों को, जो रामपुर के नवाब के बकाया कर की वसूली की एवज में आयकर विभाग द्वारा कुर्क कर लिए गये थे अब वापिस कर दिया गया है अथवा वे अभी भी उसके पास हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अभी जाँच पूरी नहीं हुई है।

(ख) ऐसी कार्यवाही के लिए कोई अवसर नहीं आया है।

(ग) कर वसूली अधिकारी, दिल्ली द्वारा की गई कुर्की अभी जारी है।

Setting up of Jute Mill in Saharsa District (Bihar)

4114. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a jute mill at Saharsa or Supaul in the Saharsa District Bihar; and

(b) if so, the time by which the said mill would be set up and the location thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) & (b). The report of the Committee set up to examine the feasibility of establishing new jute mills in the industrially backward jute growing states (including Bihar) is under detailed consideration.

दिल्ली के मालखानों में पड़ी प्राचीन कला-कृतियाँ

4116. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से दिल्ली तथा नई दिल्ली स्थित मालखानों में पड़ी प्राचीन कला-कृतियों की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या किसी भी व्यक्ति ने अब तक इन प्राचीन कला-कृतियों के मालिक होने का दावा नहीं किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनको राष्ट्रीय संग्रहालय में भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) इनमें से किसी के लिए भी दावा नहीं किया गया ।

(ग) पुलिस की हिरासत में प्राचीन कला-कृतियों/मूर्तियों में से कुछ पुलिस थानों में दर्ज किए गये मामलों की प्रकरण-सम्पत्ति हैं और उनके निपटान की कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के पश्चात् की जायगी । अन्य के संबंध में जो बिना दावेदार की सम्पत्ति होने के कारण, राष्ट्रीय संग्रहालय के अधिकारियों से उनका निरीक्षण कर संग्रहालय में रखने के लिए निवेदन किया गया है ।

Daman Sena in Banaras Hindu University Premises

4117. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a terrorist organisation under the name of 'Daman Sena' has been active in the Banaras Hindu University premises; and

(b) if so, the action so far taken by the University authorities in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). According to information received from the Government of Uttar Pradesh, 'Daman Sena' has not been active inside the Banaras Hindu University. This organisation is in a nascent stage, without any strong base inside the University. Its founder leader was refused admission by the University authorities. Further information regarding other action taken by the University authorities to deal with this organisation is being obtained.

गीत और नाटक डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

4118. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीत तथा नाटक डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध विशेषकर दरभंगा केन्द्र के संबंध में और हाल ही में कश्मीर में इनके कार्य के संबंध में संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : **(क) और (ख)**. दरभंगा केन्द्र तथा श्रीनगर में अगस्त, 1970 से नवम्बर, 1970 में प्रस्तुत कार्यक्रमों के बारे में गीत तथा नाटक प्रभाग के निदेशक के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं। तथापि समय-समय पर गीत तथा नाटक प्रभाग के कार्य संचालन के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं जिनमें निदेशक के विरुद्ध कुछ व्यक्तिगत शिकायतें भी शामिल हैं। इन शिकायतों के प्राप्त होते ही इनकी आवश्यक जाँच की गई है। इस ओर पहले कदम के रूप में यह अनुदेश जारी किया गया था कि गीत तथा नाटक प्रभाग में रिहर्सल केवल कार्यालय के सामान्य समय में ही होनी चाहिए और किसी भी अवस्था में सायं 6 बजे के उपरान्त नहीं। गीत तथा नाटक प्रभाग की रिहर्सलों/कार्यक्रमों में किसी भी रूप में अतिथि आर्टिस्टों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति लिये बिना शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्टाफ के कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण भी किया गया था। इस प्रभाग की कमियों को दूर करने के लिए कुछ अन्य उपाय विचाराधीन हैं।

बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में छंटनी किये गये रेलवे विद्युतीकरण श्रमिकों पर लाठी प्रहार

4119. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार के होम-गार्डों ने उन श्रमिकों पर लाठी प्रहार किया था जिन्होंने 8 अप्रैल, 1971 को रेलवे विद्युतीकरण कार्यालय के समक्ष छंटनी के विरुद्ध प्रदर्शन किया था जिससे 40 श्रमिक घायल हो गये थे;

(ख) क्या घायल व्यक्तियों में कई महिलायें भी थीं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जाँच करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) **से (ग)**. मध्य प्रदेश सरकार

से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 अप्रैल, 1971 को एक हिंसक प्रदर्शनकारी भीड़ दक्षिण पूर्वी रेलवे के राउरकेला दुर्ग सैक्शन के विद्युतीकरण के कार्यभारी के मुख्य इन्जीनियर के कार्यालय प्रांगण में घुस गई और कार्यालय के फर्नीचर, टेलीफोनों, खिड़की के शीशों आदि को क्षति पहुँचाने लगी और कार्यालय के अभिलेखों में आग लगा दी। होमगार्डों को, जिन्होंने कार्यालय में उनके प्रवेश को रोकने का प्रयत्न किया, धकेल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कई होमगार्डों को चोट आई। फिर होमगार्डों के साथ पुलिस ने और अधिक क्षति को रोकने के लिए कार्यालय में प्रवेश किया। कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। अतः लाठी चार्ज के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के जख्मी होने का प्रश्न नहीं उठता। चूँकि पुलिस और होमगार्डों के विरुद्ध दुर्व्यवहार के कतिपय आरोप लगाये गये अतः जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर ने इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच किये जाने के आदेश दिये थे, जैसी कि मध्य प्रदेश पुलिस विनियमों में व्यवस्था है।

मध्य प्रदेश में बिलासपुर के रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों की गिरफ्तारी

4120. **श्री गदाधर साहा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 1971 को रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों पर लाठी चार्ज करने की घटना के पश्चात् बिलासपुर के रेलवे कालोनी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है;

(ख) क्या बिलासपुर में रेलवे कर्मचारियों को 8 अप्रैल, 1971 से मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस वाले सम्पूर्ण नगर में उनका लगातार पीछा कर रहे हैं; और

(ग) इस स्थिति के निवारण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दक्षिण पूर्वी रेलवे के राउरकेला दुर्ग सैक्शन के विद्युतीकरण के कार्यभारी मुख्य इंजीनियर के कार्यालय के प्रांगण में एक हिंसक प्रदर्शनकारी भीड़ के प्रवेश करने और कार्यालय के फर्नीचर आदि को क्षति पहुँचाने तथा कार्यालय अभिलेखों में आग लगाने के बाद रेलवे कालोनी क्षेत्र, बिलासपुर में 8 अप्रैल, 1971 की अर्धरात्रि को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दी गई थी किन्तु श्रमिकों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ।

(ख) और (ग). चूँकि पुलिस और होमगार्डों के विरुद्ध दुर्व्यवहार के कतिपय आरोप लगाये गये थे अतः जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर ने इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच किये जाने के आदेश दिये थे, जैसी कि मध्य प्रदेश पुलिस विनियमों में व्यवस्था है। जाँच पड़ताल की रिपोर्ट प्रत्याशित है।

त्रिपुरा में आदिवासी प्रधान क्षेत्रों का अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने के बारे में अभ्यावेदन

4121. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के आदिवासी लोगों से कोई अभ्यावेदन मिला है कि आदिवासी प्रधान क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो त्रिपुरा के आदिवासियों को बाहर जाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). अतीत में इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । संविधान के अनुच्छेद 244 में केवल राज्यों में क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की व्यवस्था है, संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं । फिर भी, मुख्यत: आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी विकास खण्ड स्थापित करने के ढेबर आयोग द्वारा रखे गये वैकल्पिक प्रस्ताव को त्रिपुरा में अपनाया गया है । त्रिपुरा भूराजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 में आदिवासियों के भूमि संबंधी हितों की सुरक्षा की व्यवस्था है । व्यवस्थित कृषि के लिए सरकारी खास भूमि के आबंटन के मामले में आदिवासियों को प्राथमिकता भी दी जाती है ।

मध्य प्रदेश में बसने वाले केरल के व्यक्तियों की कठिनाइयाँ

4122. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय करार के अन्तर्गत 1955 में केरल से मध्य प्रदेश में भोपाल के एक गाँव बसने के लिये भेजे गये व्यक्तियों की कठिनाइयों और कष्टों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को उनकी ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). केरल के कुछ परिवारों की ओर से, जो मध्य प्रदेश में जिला रायसेन के कुछ गाँवों में बस गये थे, कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आदिवासियों ने अन्य बातों के साथ-साथ उस भूमि का स्वामित्व देने जो उनके अधिकार में हैं, ट्यूबवेल लगाने के लिए आर्थिक सहायता देने, बिजली लगाने की व्यवस्था करने तथा उनके बकाया ऋण को बट्टा खाते में डालने की माँग की है । आवेदनों पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

मूर्तियों की चोरी के परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे होना

4123. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों से देश में मूर्तियों के चोर पुन: सक्रिय हो गये हैं;

(ख) क्या ये मूर्ति चोर ही पहले साम्प्रदायिक दंगों के लिये जिम्मेदार रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस गिरोह का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिसमें साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये जिसके लिये पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है, समय पर कार्यवाही की जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब और मेघालय की राज्य सरकारों तथा समस्त संघ राज्य प्रशासनों (दिल्ली तथा गोवा, दमन व दीव के अतिरिक्त) ने सूचित किया है कि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है। किन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मूर्ति चोरी के एक मामले की सूचना दी गई थी और दिल्ली प्रशासन और गोवा, दमन व दीव—प्रत्येक द्वारा दो मामलों की सूचना दी गई थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्, इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Inquiry into Death of Shri Rudranarain Jha, Member of Rajya Sabha

4124. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Shri Karpuri Thakur, the outgoing Chief Minister of Bihar, has appealed to the Central Government for holding an enquiry into the circumstances leading to the death of Shri Rudranarain Jha, a Member of Rajya Sabha, through the Central Bureau of Investigation; and

(b) if so, whether any action has since been taken in this regard ?

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) Yes, Sir.

(b) On receipt of a formal request from the State Government, the Government of India have entrusted the investigation of the case to the C. B. I. A case has been registered by them and the investigation is in progress.

लौह अयस्क का लदान न होने के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम में संकट की स्थिति

4125. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय के परिवहन विभाग के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम को गम्भीर संकट का मुकाबला करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा तथा बिहार से कलकत्ता और पारादीप को भारी मात्रा में लौह अयस्क ले जाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). हाल के महीनों में बिहार और उड़ीसा के औद्योगिक और अयस्क क्षेत्र में रेलों के आने-जाने की गति पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में अशांत विधि और व्यवस्था की परिस्थिति का होना है जिनमें और बातों के साथ साथ रेलवे उपस्कर की चोरी तथा रेलवे कर्मचारियों को धमकी तथा उन पर प्रहार करना तक भी शामिल है। रेल के आवागमन के धीमा हो जाने के परिणामस्वरूप, रेलवे के लदान स्टेशनों पर लौह अयस्क के स्टाक जमा हो गये हैं और पारादीप और कलकत्ता के पत्तनों पर उनमें ह्रास हो गया जिससे लौह अयस्क के निर्यात कार्यक्रम में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

इस परिस्थिति को "गम्भीर संकट" कहना तो शायद पूर्णतः ठीक न हो, परन्तु निस्सन्देह इससे खनिज तथा धातु व्यापार निगम को काफी चिन्ता हो रही है।

रेलवे मंत्रालय इस परिस्थिति के प्रति जागरूक है। राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं ताकि रेलों का आना जाना सामान्य रूप से चल सके।

श्री लुजर एलिंग को भारत में रहने की अवधि बढ़ाने की अनुमति न दिया जाना

4126. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के श्री लुजर एलिंग को 1969 में जो उस समय कार्यक्रम परामर्शदाता थे, सरकार द्वारा भारत में रहने के परमिट की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या वही व्यक्ति कुछ समय बाद राजनयिक पार-पत्र लेकर पुनः भारत आया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान्, ।

(ख) वे आरम्भ में पर्यटन वीसा से आए थे। साधारणतः ऐसा वीसा धारक को रोजगार इत्यादि करने के लिए लम्बी अवधि के वीसा में बदला नहीं जा सकता। तदनुसार जब श्री एलिंग ने अन्तर्राष्ट्रीय युवक केन्द्र में कार्यक्रम परामर्शदाता का कार्य करने के लिए अपने ठहरने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन किया तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया था।

(ग) भारत से जाने के बाद श्री एलिंग ने अन्तर्राष्ट्रीय युवक केन्द्र में कार्य करने के लिये लम्बी अवधि के नये वीसा के लिए आवेदन किया। उनके पास एक साधारण पार-पत्र था।

चूंकि वे सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्रवेश के लिए योग्य थे अत: उनको वीसा प्रदान कर दिया गया और भारत आने की अनुमति दी गई थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में विग उद्योग की स्थापना

4127. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 'विग' उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस उद्योग को सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

4128. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन, केरल में समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार की स्थापना संबंधी प्रस्ताव के बारे में सरकार द्वारा कोई बाद की कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त प्राधिकार की स्थापना कब तक की जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). सरकार प्रस्ताव पर अभी विचार कर रही है ।

एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स, ब्यावर (राजस्थान) का बन्द होना

4129. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स, ब्यावर के बन्द होने के बाद में 2 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1054 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के परामर्श से रिपोर्ट पर इस बीच जाँच पूरी कर ली गई है; और

(ख) क्या इस रिपोर्ट पर निर्णय दिये जाने से पूर्व, एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स, ब्यावर के श्रमिकों के लिये रोजगार सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की गई थी या की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

लुधियाना के डिम्पल उद्योग और रीमक्स उद्योगों को आयात लाइसेंस जारी करने में अनियमितताएँ

4130. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना के डिम्पल और रीमक्स उद्योगों को आयात लाइसेंस जारी करने में गम्भीर अनियमितताएँ हुई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों के निदेशकों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ये दोनों फर्म भागीदारी समुत्थान हैं और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनियाँ नहीं हैं । आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैसर्स डिम्पल इण्डस्ट्रीज के भागीदार सर्वश्री बालचन्द, नरेन्द्र कुमार तथा विनोद कुमार हैं; और मैसर्स रीमक्स इण्डस्ट्रीज के भागीदार सर्वश्री राज कुमार, नरेन्द्र कुमार तथा विनोद कुमार हैं ।

महाडाकपाल के कार्यालयों के लिये कर्मचारी

4131. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाडाकपाल के कार्यालयों के लिये पर्यवेक्षक तथा गैर-पर्यवेक्षक कर्मचारियों को मंजूरी देने का कोई मानदण्ड है;

(ख) क्या पदों के बनाये जाने पर प्रतिबंध लगा है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या डाक तथा तार विभाग राजपत्रित अधिकारियों के उन अतिरिक्त पदों के संबंध में प्रतिबंध हटवाने के लिये वित्त मंत्रालय को पत्र लिखने पर विचार कर रहा है जो मापदंड के अनुसार उचित समझा जाये;

(घ) क्या अराजपत्रित पदों के बनाये जाने पर से भी प्रतिबंध हटवाने के लिये वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा गया है; और

(ङ) यदि अराजपत्रित पदों के बनाये जाने पर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो अराजपत्रित कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य-भार को किस प्रकार निपटाने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ). पूरे विचार विमर्श के बाद ऐसा निर्णय किया गया है कि योजना कार्यों, बचत बैंक प्रचालन और क्षेत्र कार्यालयों जैसे कुछ विशिष्ट मामलों में ही इस पाबन्दी से ढील दी जा सकती है। तद्नुसार वित्त मंत्रालय को संबंधित राजपत्रित पदों पर पाबन्दी के मामले में ढील देने के लिए लिखा गया है।

(ङ) उपर्युक्त शर्त के अधीन रहते हुए पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय के लिए राजपत्रित या अराजपत्रित कोई भी पद नहीं बनाए जा सकते। वर्तमान कर्मचारियों को ही कार्य-भार को निपटाना होगा, हालांकि इस बात के लिए पुनरीक्षण किया जाएगा कि काम को कैसे कम किया जा सकता है।

श्रमिकों की जनगणना

4132. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 की जनगणना की रिपोर्टों के अनुसार श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त रिपोर्टों के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात क्या था;

(ग) 1971 की जनगणना की अंतरिम रिपोर्टों के अनुसार श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात क्या है; और

(ङ) 1961-71 के दशक में श्रमिकों की संख्या के घटने बढ़ने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (फखरूदीन मोहसिन) : (क) और (ख). संलग्न विवरण के कालम 3 और 4 में क्रमश: 1961 की जनगणना के अनुसार राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार श्रमिकों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका अनुपात दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—621/71.**]

(ग) तथा (घ). संलग्न विवरण में श्रमिकों के मुख्य कार्य के आधार पर वर्गीकृत 1971 की जनगणना के अनुसार उनके अस्थायी आँकड़े दिये गये हैं किन्तु '**गौण कार्य**' करने वाले व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं। 'गौण कार्य' के आँकड़े, उन आँकड़ों को निकालने के लिए जनसंख्या की अनुसूचियाँ तैयार होने के बाद उपलब्ध होंगे। यह 1972 के मध्य तक उपलब्ध नहीं होंगे। अतः

विवरण के कालम 5 के आँकड़े कालम 3 के आँकड़ों के अनुरूप नहीं हैं। विवरण के कालम 6 में 1971 की जनगणना के अनुसार श्रमिकों के मुख्य कार्य के आधार पर कुल अंतरिम जनसख्या में उनका अनुपात दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—621/71.**]

(ङ) जैसाकि ऊपर कहा गया है, इस संबंध में सूचना, गौण कार्य के आँकड़ों के अनुसूचियों से निकाले जाने पर तथा आँकड़ों के विश्लेषण के बाद ही उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 1961 और 1971 की जनगणना में अपनाई गई कार्य की विभिन्न धारणाओं के कारण आँकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं होंगे।

केन्द्रीय सरकार की महिला कर्मचारियों की संख्या

4133. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है और कुल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तुलना में वे कितने प्रतिशत हैं;

(ख) महिला कर्मचारियों की कम प्रतिशतता होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अनुपात के अन्तर को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार में 31 मार्च, 1969 तक महिला कर्मचारियों की संख्या 61,936 थी। यह उक्त तारीख को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या का 2·4 प्रतिशत थी। नवीनतम आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

(ख) तथा (ग). विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए निर्धारित योग्यताओं को देखते हुए नौकरी में उनकी कम प्रतिशतता के कारण मुख्यतः उनकी तुलनात्मक दृष्टि से शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ापन, अधिकांश मामलों में विभिन्न समाजशास्त्रीय कारणों आदि की वजह से पूर्ण-कालिक नौकरी लेने में अरुचि, और/या कुछ ऐसे पदों के लिए अनुपयुक्तता का होना जिनके लिए विशेष शारीरिक स्तर, प्रशिक्षण या कुशलता की जरूरत होती है। तथापि, उनके शैक्षिक क्षेत्र में आगे बढ़ने और उत्तरोत्तर समाजशास्त्रीय संबंधी परिवर्तन होने के फलस्वरूप, महिला-उम्मीदवार, भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि सहित विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतियोगिता कर रही हैं और प्रवरण में आने पर उन पर नियुक्त की गई हैं। इस समय महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए विशेष उपाय अपनाने के लिए कोई सुझाव नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन संघ के अन्तर्गत विभिन्न सिविल पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए महिलाओं को पुरुषों के साथ-साथ प्रतियोगिता करने हेतु पहले से समान अवसर प्राप्त हैं।

Export of Fruits and Vegetables

4134. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the names of fruits and vegetables exported from India; and

(b) the special facilities Government provide to the producers of such fruits and vegetables ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Primarily Bananas, Mangoes, Apples, Pineapples, Apricots, Grapes, Lemon, Lime, Sapota, Cauliflowers, Cabbages, Carrots, Onions and Potatoes.

(b) Two Centrally sponsored Schemes for production of exportable varieties of fresh fruits and vegetables are under consideration.

इंजीनियरिंग उद्योग का कार्य सुविधाजनक बनाने के लिये लाइसेंसों का निपटान

4135. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सभी लाइसेंसों के शीघ्र निपटान में विद्यमान बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि इंजीनियरिंग उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात मूल्यों में गिरावट का लाभ उठा सके ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ। कतिपय इस्पात मदों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है।

(ख) आयात लाइसेंसों का आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं को सुकर बनाने के लिए कदम उठाये गये हैं जिनमें ये शामिल हैं : प्रायोजक प्राधिकारियों तथा लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा आवेदन-पत्रों की दुहरी छानबीन को समाप्त करना, लघु पैमाने के एककों द्वारा आयातित कच्चे माल की खपत के विषय में बताये गये मूल्य की संवीक्षा करने का सरलतर तरीका, आवेदकों से इस विषय पर पत्राचार किये बिना उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए आई० वी० सी० संख्याओं के बिना लाइसेंस देना, वित्त-पोषण के स्रोत को बदलने के विषय में आवेदकों से पत्राचार का परिहार करने के लिए लघु पैमाने के एककों को उदारता से वित्त-पोषण के साधनों का नियतन करना, और बड़े पैमाने के क्षेत्र में गैर-प्राथमिकता उद्योगों को कच्चे माल के लिए वार्षिक लाइसेंस देना आरम्भ करना।

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा "कैबरे शो" पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की माँग

4136. **श्री मुहम्मद शरीफ** :
डा० जी० एस० मेलकोटे :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने सरकार से "कैबरे शो" बन्द करवाने का अनुरोध किया है क्योंकि इनसे वैश्या-वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और "कैबरे शो" पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । "कैबरे शो" पर रोक लगाने के कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है । मामले का संबंध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से है ।

योजना आयोग पर व्यय

4137. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में योजना आयोग पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ख) क्या इन तीन वर्षों में योजना आयोग पर व्यय तिगुना हो गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग का वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 का कुल व्यय निम्न प्रकार है :

	(लाख रुपये)
वर्ष	कुल व्यय
1967-68	141·02
1968-69	136·29
1969-70	129·26

(ख) जी, नहीं ।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिये केरल सरकार को वित्तीय सहायता

4138. **श्री एम० के० कृष्णन** :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Financial Assistance to Madhya Pradesh For Schemes During Fourth Plan

4139. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the amount given to the Government of Madhya Pradesh by the Central Government for various Schemes during the Fourth Five Year Plan period, Scheme-wise;

(b) the main features of such Schemes; and

(c) whether the Sind Project (Gwalior Division) is included therein ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) According to the procedure devised by the Committee of Chief Ministers appointed by the National Development Council, Central assistance to States for their respective Fourth Plans, is given as block loans and block grants which are not related to specific schemes. For the approved Madhya Pradesh Fourth Plan amounting to Rs. 393 crores, Central assistance amounting to Rs. 262 crores has been allocated. Out of this, a sum of Rs. 94 crores has been released to the State Government during the years 1969-70 and 1970-71. The amount of Central assistance allocated for the year 1971-72 is Rs. 52 crores.

(b) & (c). Do not arise.

पाकिस्तानी सैनिक कर्मचारियों की गिरफ्तारी

4140. **श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अप्रैल के बाद पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत में प्रवेश करने के कारण कुछ पाकिस्तानी सैनिकों, अर्द्ध सैनिकों तथा अन्य सशस्त्र सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) इस अवस्था में और अधिक तथ्य प्रकट करना लोक हित में वांछनीय नहीं है।

राष्ट्रमंडलीय विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग

4141. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल की 9 जून, 1971 को एक बैठक हुई थी और उसमें ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साझा बाजार के प्रशुल्कों के लागू किये जाने के बाद राष्ट्रमंडल के विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बैठक में अन्य किन विषयों पर चर्चा की गई है; और

(ग) उक्त बैठक में क्या निर्णय लिया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). व्यापार संवर्धन तथा निर्यात बाजार विकास के क्षेत्र में राष्ट्रमंडलीय प्रयास की संभावना पर कुछ समय से राष्ट्रमंडलीय सरकारें विचार कर रही हैं। 1965 में राष्ट्रमंडलीय सरकारों के प्रमुखों ने ऐसे साधनों का पता लगाने के संबंध में इच्छा व्यक्त की जिनसे राष्ट्रमंडलीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले तथा उसका विस्तार हो। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रमंडल के विकासशील सदस्य देशों की विद्यमान निर्यात संवर्धन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ-साथ उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जहाँ राष्ट्रमंडल की प्रारंभिक कार्यवाही उपयोगी ढंग से शुरू की जा सकती है, एक अध्ययन शुरू किया गया है। तद्नुसार राष्ट्रमंडलीय सचिवालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रमंडलीय निर्यात बाजार विकास संबंधी अध्ययन का यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रस्तावित प्रवेश के प्रश्न से संबंध नहीं था।

राष्ट्रमंडलीय बाजार विकास निधि, राष्ट्रमंडलीय निर्यात विकास निगम तथा राष्ट्रमंडलीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना के बारे में इस अध्ययन में दी गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए राष्ट्रमंडलीय देशों के वित्त तथा व्यापार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक 8 तथा 9 जून, 1971 को लन्दन में हुई। बैठक में यह सिफारिश की गई कि तकनीकी सहायता के लिए विद्यमान राष्ट्रमंडलीय निधि के प्रयोजनों और कार्य को विस्तृत करके उनमें निर्यात बाजार विकास के वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि राष्ट्रमंडलीय विकासशील देशों के निर्यात तथा आयातों का, विशेषत: पूँजीगत तथा अर्ध-पूँजीगत माल के क्षेत्र में, वित्त पोषण करने के लिए और इस प्रयोजन के लिए यथावश्यक व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रमंडलीय कार्यक्रम की व्यवहार्यता का विशेषज्ञ स्तर पर गंभीर अध्ययन शुरू किया जाए। बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की गई कि राष्ट्रमंडलीय निर्यात विकास निगम का स्थापना संबंधी प्रस्ताव तब तक स्थगित रखा जाये जब तक कि तकनीकी सहायता संबंधी राष्ट्रमंडलीय कार्यक्रम के कार्य-चालन से प्राप्त अनुभवों के परिणामों तथा निर्यात ऋण वित्त पोषण संबंधी अध्ययन के परिणामों का आंकलन न कर लिया जाये।

मनीपुरी हथकरघों के डिजाइन और कारीगरी

4142. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर उद्योग विभाग के हथकरघा डिजाइन केन्द्र में स्थापना के बाद से कितने डिजाइन प्रस्तावित तथा स्वीकृत हुए;

(ख) क्या मनीपुर सरकार के एम्पोरियम और इम्फाल में हथकरघा गृह में बच गये हथकरघा वस्त्र मनीपुर सरकार के डिजाइन केन्द्र द्वारा स्वीकृत डिजाइनों के अनुरूप हैं; और

(ग) मनीपुर के हथकरघा उत्पादों के डिजाइन और कारीगरी में समानता लाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 862.

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

दिल्ली में जनगणना और जनगणना के बाद के सर्वेक्षणों में कुछ परिवारों की गणना न किये जाने के बारे में शिकायत

4143. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जनगणना कर्मचारियों ने अनेक परिवारों की गणना नहीं की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त शिकायतें कहाँ तक सच सिद्ध हुई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में जनगणना के बाद सर्वेक्षण आरंभ किया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) यह शिकायत की गई थी कि कुछ परिवारों की गणना नहीं की गई।

(ख) अधिकांश मामलों में शिकायतें असत्य पाई गईं। जनगणना के दौरान जनगणना करने वालों ने परिवार के किसी वयस्क सदस्य से प्राप्त सूचना के अनुसार गणना किये जाने योग्य परिवार के सभी सदस्यों की गणना की थी। शायद शिकायत करने वाला उस समय अनुपस्थित रहा हो और उसे गलत विश्वास हो गया हो कि उसकी तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों की गणना जनगणना में छूट गई है। फिर भी, बहुत थोड़े मामलों में शिकायतें सत्य थीं तथा ऐसी शिकायतों के संबंध में जो गणना की अवधि के भीतर प्राप्त हुई, छूटे हुए परिवारों की गणना करने के लिए कदम उठाये गये।

(ग) गणना के पश्चात् की जाँच दिल्ली में ही नहीं अपितु देश के अन्य क्षेत्रों में भी जनगणना के विस्तार तथा गलतियों, यदि कोई हो, के सांख्यिकीय मूल्यांकन के लिए हाथ में ली गई हैं।

विजय मोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम (केरल) का बन्द किया जाना

4144. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विजय मोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम, केरल के बन्द किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त मिल के मामले में जाँच करने और उसको अपने अधिकार में लेने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो जाँच कब कराई जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ।

(ख) लगभग 655 कर्मचारी ।

(ग) और (घ). विजय मोहिनी मिल्स लि०, त्रिवेन्द्रम की समग्र तथा पूर्ण जाँच करने के प्रयोजनार्थ उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन एक जाँच समिति नियुक्त कर दी गई है । जाँच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, आगामी कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

मुर्शिदाबाद के नवाब के खिताब के बारे में विवाद

4145. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद के "नवाब" के खिताब के बारे में कोई विवाद है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त खिताब के बारे में अन्तिम स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). 20 नवम्बर, 1969 को नवाब बहादुर सैयद वारिस अली मिर्जा, मुर्शिदाबाद के नवाब के निधन पर, उनके दो पुत्र तथा दो भाइयों ने उत्तराधिकार में नवाब बहादुर के खिताब तथा वार्षिकी का दावा किया है। मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

डा० सी० के० अटल को रोजगार दिया जाना

4146. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1965 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू में 'ई' ग्रेड के वैज्ञानिक डा० सी० के० अटल की सेवाएँ दुराचार के आरोप पर समाप्त कर दी गयी थीं;

(ख) क्या सेवा समाप्त किए जाने के बावजूद उनको ठेके पर पाँच वर्षों के लिए पुनः नियुक्त किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, (आर० आर एल०) जम्मू के निदेशक से प्राप्त विरोधी रिपोर्ट के आधार पर, डा० सी० के० अटल, वैज्ञानिक को दिनांक 4-5-1965 से नौकरी से हटाने के आदेश निकाले गए थे। इसी तारीख को उनकी नियुक्ति की एक वर्ष की अवधि भी समाप्त होने वाली थी। लेकिन डा० अटल ने अपने पूर्व कृत चाल-चलन के लिए खेद व्यक्त किया और वायदा किया कि अब से वे अपना सम्पूर्ण समय अनुसंधान कार्य में लगायेंगे। डा० अटल के परिवर्तित व्यवहार और निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मू द्वारा दिनांक 1-5-1965 को पुन: की गयी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, सेवा से पदच्युत करने के पूर्व आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, डा० अटल की सेवा अवधि दिनांक 4-5-1965 से एक वर्ष और पाँच वर्ष की दो पारियों में बढ़ाई गयी।

भारत में विभिन्न शाखाओं पर से माल न उठाये जाने के कारण राज्य व्यापार निगम को हानि

4147. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में राज्य व्यापार निगम को, भारत की विभिन्न शाखाओं से माल न उठाने के कारण कितनी हानि हुई; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम को, सीमा-शुल्क कार्यालय के माध्यम से अपने आयातों की निकासी करते समय जब कभी दस्तावेजों की देर से प्राप्ति आदि कारणों से विलम्ब होता है तो विलम्बित निकासी के लिए उसे विलम्ब शुल्क देना पड़ता है। इन खर्चों को "हानियों" का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि, बड़े पैमाने के कार्यचालन में प्राय: ऐसा होता ही है और ये खर्च माल चढ़ाने-उतारने के खर्चों का एक अंग समझे जाते हैं।

कलकत्ता में दो ऐसे मामले हुए जिनमें, मुक्त समय के बीच माल की निकासी न होने के कारण घाट भाड़े की काफी राशि अर्थात् क्रमश: 20,081 रु० तथा 13584 रु० देनी पड़ी। निगम, निकासी एजेंटों के करारों में उपयुक्त दण्डात्मक धाराओं द्वारा ऐसे खर्चों को कम से कम करने का प्रयत्न करता है।

प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का लागू किया जाना

4148. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार/लागू करने में कई रुकावटें आ गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लंका और बंगला देश की अशान्त स्थिति को देखते हुए चाय के निर्यात में वृद्धि की संभावनाएँ

4149. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका और बंगला देश की अशान्त स्थिति को देखते हुए हमारी चाय के निर्यात में वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन दल गठित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस दल की उपपत्तियाँ क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ ।

(ख) श्रीलंका की राजनीतिक स्थिति से न तो कोलम्बो नीलामों में चाय की आवक तथा बिक्री पर कुप्रभाव पड़ा है और न श्रीलंका में चाय के उत्पादन पर ही कोई उल्लेखनीय कुप्रभाव पड़ा है । बंगला देश आन्दोलन से, जिसका चाय के स्थानीय उत्पादन पर गहरा असर पहुँचा है, अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार में कोई कमी पैदा होने की संभावना नहीं है क्योंकि गत तीन वर्षों से पाकिस्तान निबल रूप में चाय का आयातक रहा है । फिर भी, यदि पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल से संभरित की जाने वाली चाय संबंधी अपनी समग्र आवश्यकता श्रीलंका से पूरी करनी पड़े तो श्रीलंका द्वारा अपने विद्यमान बाजारों की अपेक्षा पाकिस्तान को चाय भेजने से जो रिक्ति उत्पन्न होगी उसे पूरा करने का कुछ अवसर भारत को मिल सकता है । इस समय स्थिति का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

Resolution Passed by Madhya Pradesh Legislative Assembly for Delicensing Muzzle Loading Guns

4150. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Legislative Assembly has passed a unanimous resolution urging the Central Government to delicense muzzle loading guns; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAMNIWAS MIRDHA) : (a) and (b) . A

non-official resolution was passed by the Madhya Pradesh Vidhan Sabha in March, 1968 recommending that muzzle loading guns be exempted from the licensing requirements. This recommendation was not accepted by Government of India.

Misuse of Newsprint by Madhya Pradesh Dailies

4151. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of Dailies being published from Gwalior and Bhopal in Madhya Pradesh, which have been granted quota of newsprint during the years 1969-70 and 1970-71;

(b) whether complaints have been received in regard to the misuse of the newsprint by some of the newspapers of Madhya Pradesh;

(c) if so, the basis on which the quota of newsprint was granted to them during the said period and their daily circulation; and

(d) the action taken by Government against the newspapers against which complaints of misuse of newsprint quota have been received.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINGH) : (a) The requisite information is given below :

Licensing Period	*Number of dailies allocated Newsprint*	
	Gwalior	Bhopal
1969–70	4	9
1970–71	5	8

(b) Yes, Sir.

(c) & (d). A statement containing the requisite information is attached. [*Placed in library. See* L. T. No. 622/71.]

दिल्ली प्रशासन में पदों का बनाया जाना

4152. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1967 में सरकार ने दिल्ली प्रशासन को यह निदेश दिये थे, कि यदि नये पदों के कर्त्तव्य भी 'धानी' नागरिक सेवा जैसे ही हों तो 'धानी' नागरिक सेवा संवर्ग से बाहर नए पद न बनाए जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो 1967 से संवर्ग के बाहर कितने पद बनाये गये तथा क्या सरकार का विचार उन पदों को 'धानी' नागरिक सेवा संवर्ग में शामिल करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). अप्रैल, 1967 में दिल्ली प्रशासन को निम्नलिखित अनुदेश जारी किये गये थे :

(1) प्रतिनियुक्तियों पर अधिकारियों को समान पदनाम वाले पदों में स्थायीरूप से खपाया नहीं जाना चाहिए, जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्डमान व निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा की अधिकृत स्थायी संख्या में शामिल कोई पद;

(2) समान पदनाम वाले पदों में, जैसे सिविल सेवा की अधिकृत स्थायी संख्या में शामिल कोई पद, सीधी भर्ती नहीं की जानी चाहिए;

(3) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा नियमावली, 1965 की अनुसूची 1 में उल्लिखित किसी पद को जैसे समान पदनाम वाले किसी स्थायी निःसंवर्ग पद के खाली होते ही इस अनुसूची में शामिल कर लिया जाय; और

(4) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा नियमावली, 1965 की अनुसूची 1 में शामिल किसी पद जैसा समान पदनाम वाला कोई नया स्थायी पद, निःसंवर्ग पद के रूप में नहीं बनाया जाना चाहिए।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उपरोक्त अनुदेशों के जारी होने के बाद, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा नियमावली, 1965 की अनुसूची 1 में शामिल दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत किसी पद जैसे समान पदनाम वाला कोई स्थायी पद प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया है।

Demand for Holding Interviews in Hindi for Candidates from Hindi Speaking States

4153. SHRI NARENDRA SINGH BIST : Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8247 on the 1st May, 1970 and state :

(a) the reasons for holding the interview in English only;

(b) whether she is aware that it is difficult for the candidates from the Hindi speaking States to be interviewed in English and they have to suffer as a result thereof, because English has almost been discontinued in the Hindi-speaking States;

(c) whether the Union Public Service Commission proposed to hold interviews in Hindi also with a view to providing equal opportunities and doing justice to the candidates from the Hindi-speaking States; and

(d) if so, from which date and, if not, the alternative measures proposed to be adopted to remove this discrimination ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAMNIWAS MIRDHA) : (a), (c) and (d). Having regard to all considerations including the need for maintenance of uniformity of standard in the evaluation of the performance of candidates at the interviews and the non-availability of persons of appropriate eminence/status knowing all the Indian Languages for appointment as members of Interview Boards, it is not possible for the Commission to permit use of

Hindi and the other languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution as optional media for the purposes of interviews.

(b) In so far as recruitment made by written examination by the Union Public Service Commission is concerned the option to write the answers in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution has so far been allowed in respect of two compulsory subjects, viz., Essay and General Knowledge, in respect of the Combined Competitive Examination for recruitment to I. A. S. etc. only. The question papers in the remaining subjects in respect of this examination have to be answered in English. In view of this the candidates taking this examination are not expected to experience any difficulty in appearing for the interviews through the medium of English.

Teleprinter Service for Madras and Calcutta from Patna Telegraph Office

4154. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Teleprinter lines of Madras and Calcutta through the Patna Telegraph office is not working properly for the last one and half months or so;

(b) whether the newspaper correspondents have made complaints to the concerned authorities in this regard;

(c) whether despite this the teleprinter service for Calcutta and Madras has not been improved at all;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the action taken by Government to ensure smooth operation of the said teleprinter lines ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Working of the Patna-Calcutta teleprinter line has been satisfactory. Working of the Patna-Madras line, however, has not been satisfactory for some time.

(b) Complaints have been made by the correspondent of 'Hindu' on the working of Patna-Madras teleprinter services.

(c), (d) & (e). The circuit was originally working from Patna to Calcutta, and thence to Madras via Delhi following the route of the coaxial cable system. In this arrangement, the circuit was having a longer route length. Since 4.6.71, the circuit has been rearranged as Patna to Delhi and thence to Madras, thus reducing the route length. The performance of this circuit after the rearrangement, has appreciably improved. Orders are also being issued for transitting messages from Patna to Madras at Delhi, whenever necessary.

Patna Telephone Advisory Committee

4155. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Patna Telephone Advisory Committee has been constituted;

(b) if so, the names of members of the Committee and the basis on which the Committee has been constituted;

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for delay in constituting the said Committee; and

(d) the time by which Government propose to constitute this Committee ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The delay in reconstitution has been because of nonreceipt of particulars of nominees of State Government.

(d) The Committee will be constituted soon after the receipt of particulars from State Government.

Memorandum to Press Council

4156. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the Press Council of India has received some memoranda during the period from November, 1970 to 14th June, 1971 urging it to take action against newspapers;

(b) if so, the names of persons who submitted the said memoranda and the names of newspapers against which these memoranda had been submitted; and

(c) the action taken against the newspapers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). A statement is attached, [*Placed in Library. See* L. T. No. 623/71.]

मिजो पहाड़ी जिलों का मनीपुर में विलय

4157. **श्री देविन्दर सिंह गारचा :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो पहाड़ी जिलों को मनीपुर से मिलाने और उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मिजो जिले के भविष्य के बारे में सरकार को विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं। समस्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन के ब्यौरों को अन्तिम रूप देते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जायगा।

Post Offices in Madhya Pradesh with Facilities for Sending Telegrams in English and Hindi

4158. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state the number of Post offices proposed to be set up in Madhya Pradesh during 1971-72 with facilities for sending telegrams both in Hindi and English ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : Out of 10 Post and Telegraph offices proposed to be set up in Madhya Pradesh during 1971-72, 4 offices will accept telegrams both in Roman and Devanagari scripts.

विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा फिल्मों का प्रदर्शन

4159. **श्री नुग्घल्ली शिवप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित विदेशी प्रचारकों को फिल्में दिखाने की स्वतन्त्रता है, जिनमें अश्लील फिल्में भी शामिल होती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार विदेशी धर्म प्रचारकों के लिए कोई आचार संहिता लागू करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कानून के अंतर्गत, सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार फिल्म दिखाने के अलावा, विदेशी प्रचारक सहित किसी को भी कोई फिल्म सार्वजनिक रूप से दिखाने की अनुमति नहीं है। इस अधिनियम में उस फिल्म को प्रमाणीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाती जिसमें अश्लीलता हो। इसके अतिरिक्त अश्लील फिल्म को प्रदर्शित करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Closure of Gaya Cotton and Jute Mills

4160. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Gaya Cotton and Jute Mills was the sole industry in Gaya District of Bihar and the same is lying closed for the last 5 or 6 years;

(b) whether four to five thousand workers of these mills have been rendered jobless as a result of the closure:

(c) whether Government contemplate to take over and run the said mill and, if so, by what time; and

(d) if the reply to part (c) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (c). Gaya Cotton and Jute Mills Ltd., Gaya, closed down in December, 1965, rendering about 1165 workers unemployed. The mill was ordered to be wound up by the Calcutta High Court In 1967 and is under liquidation. Moreover, it was considered fit for scrapping and its registration certificate was revoked in January, 1968. As far as possible, mills under liquidation, or considered fit for scrapping, are not taken over under the Industries (Development and Regulation) Act.

असम का फिर से पुनर्गठन

4161. **श्री पी० गंगा देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की घटनाओं के कारण सुरक्षा और पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के हित में केन्द्रीय सरकार को असम के पुनर्गठन के संबंध में फिर से सोचने को बाध्य होना पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन का मामला उस क्षेत्र के विकास की समस्या और सुरक्षा की समन्वित योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। बंगला देश की घटनाओं ने इस मामले को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

आयात के संबंध में गैर-सरकारी एककों के विरुद्ध शिकायतें

4162. **श्री एन० ई० होरो :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी एककों के नाम क्या हैं जिन पर भारत सरकार ने आयात के मामले में कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) क्या सरकार को इस क्षेत्र में की जा रही उनकी गतिविधियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अमरीका को किये जाने वाले निर्यात में कमी

4163. **श्री एन० ई० होरो :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 के दौरान अमरीका को भेजी जाने वाली सभी वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1969-70 में संयुक्त राज्य अमरीका को किये गये सभी वस्तुओं के भारत के निर्यात 238 करोड़ रु० के थे और इस तरह वर्ष 1968-69 की अपेक्षा 3·7 करोड़ रु० के अधिक निर्यात हुए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Alleged Ban on Certain Periodicals and Magazines Inciting Communal Feelings

4164. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have banned some periodicals and magazines etc. which incited communal feelings;

(b) if so, the names thereof; and

(c) the action taken against them ?

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (c). By an order dated 19th June, 1971 under section 6 of the Criminal and Election Laws (Amendment) Act, 1969, "Mother India" has been prohibited for a period of two months from publishing any writings on the subject of Bangla Desh or the problem of refugees from East Bengal.

एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम, कोयम्बटूर तथा मद्रास के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था

4165. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम, कोयम्बटूर तथा मद्रास के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करने के मामले पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी, हाँ।

(ख) एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम-कोट्टायम, त्रिवेन्द्रम-क्विलोन और त्रिवेन्द्रम-कोट्टायम मार्गों पर डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। आशा है कि यह 1972-73 के अन्त तक चालू कर दी जाएगी।

कोयम्बटूर से मद्रास के लिए मद्रास ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज के जरिये सीधी डायलिंग की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। मद्रास ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज के साथ संबंध स्थापित करके एर्नाकुलम में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई गई है। इसके पूरे होने

पर एर्नाकुलम से मद्रास, बंगलौर, कोयम्बटूर, तिरुची और मदुरै के साथ सीधी ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था हो जाएगी। इस ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज के जरिये कोट्टायम और तिरुची का भी इन स्थानों के साथ संबंध स्थापित हो सकेगा। आशा है कि यह सुविधा चौथी योजना के अन्त या पाँचवी योजना के शुरू में उपलब्ध हो जायेगी।

एक ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज त्रिवेन्द्रम में भी रहेगा, जिससे कोयम्बटूर, मद्रास तथा अन्य स्थानों को डायल किया जा सकेगा। आशा है कि यह पाँचवीं योजना की अवधि के दौरान चालू कर दिया जाएगा।

काजू के छिलके से निकलने वाले तरल पदार्थ का औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग

4166. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा जापान में राल और बेरोजा तथा प्लास्टिक के निर्माण में तथा कुछ आधुनिक उद्योगों में काजू के छिलके से निकलने वाले तरल पदार्थ का उपयोग आधारभूत कच्चे माल के रूप में किया जाता है; और

(ख) क्या भारत में इस तरल पदार्थ का उपयोग औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है; और यदि हाँ, तो इसकी वार्षिक खपत कितनी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी हाँ। खपत होने वाली सही मात्रा मालूम नहीं है अनुमानित खपत 1000 मे० टन से अधिक है।

कच्चे काजू का आयात

4167. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951-52 की तुलना में वर्ष 1970-71 में कच्चे काजू की आयात की मात्रा और उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई; और

(ख) वर्ष 1970-71 में कच्चे काजू के आयात पर यदि कोई विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी तो कितनी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 24.08 करोड़ रु० मूल्य के 125473 मे० टन।

(ख) 29·25 करोड़ रु०।

कुप्रबन्ध वाले रेशम निर्माण एककों को अपने अधिकार में लेना

4168. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1971 में उनसे अमृतसर के कुछ कार्मिक संघ संगठनों ने भेंट की थी और कुप्रबन्ध वाले रेशम निर्माण एककों में से एक एक को सरकारी अधिकार में लेने का अनुरोध किया था।

(ख) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जाँच आदेश इस बीच जारी कर दिये गये हैं;

(ग) क्या जाँच कार्य आरम्भ हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). मामला, रिपोर्ट देने के लिए वस्त्र आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेज दिया गया है। आगामी कार्यवाही, इन रिपोर्टों के प्राप्त होने पर की जाएगी।

नारियल जटा पर निर्यात शुल्क में कमी करने के बारे में नारियल जटा उद्योग संबंधी अध्ययन दल की सिफारिश

4169. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नारियल जटा उद्योग के बारे में नियुक्त अध्ययन दल ने नारियल जटा उत्पादन शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार, इस समय नारियल जटा के धागे पर निर्यात शुल्क कम करना इष्टकर नहीं समझती।

त्रिचूर टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन, केरल के नैमित्तिक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4170. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अपनी माँगों के समर्थन में त्रिचूर टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन, केरल में काम कर रहे नैमित्तिक कर्मचारियों की हड़ताल की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों की मुख्य मुख्य माँगें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) डाक-तार बोर्ड को यह सूचना मिली है कि त्रिचूर तार इंजीनियरी मंडल और इस मंडल से सम्बद्ध उप-मंडलों में काम कर रहे मजदूरों ने एक आन्दोलन चलाया था। 28 जून, 1971 से हड़ताल वापस ले ली गई है और स्थिति अब सामान्य है।

(ख) हड़ताली मजदूरों की कुछ प्रमुख मागें इस प्रकार थीं :

(i) दैनिक वेतन में वृद्धि;

(ii) जो मजदूर 365 दिन या इससे ज्यादा समय से मस्टर रौल पर काम कर कर चुके हैं उन सभी मजदूरों को बिना रोजगार कार्यालय के जरिये या परीक्षा लिये लाइनमैन चुनना;

(iii) इन्हें लाइनमैन भर्ती करने के मामले में आयु सीमा की कोई पाबन्दी न हो; और

(iv) सभी नैमित्तिक मजदूरों को विभाग में स्थायी तौर पर लगाना।

(ग) वेतन वृद्धि करने के मामले की जाँच सर्किल अध्यक्ष द्वारा समय समय पर की जाती है। यदि उचित पाया जाये तो इसकी मंजूरी दे दी जाती है। केरल के पोस्टमास्टर जनरल सर्किल परीक्षण करा रहे हैं। जहाँ तक दूसरी माँग का प्रश्न है नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि लाइन मैन के पदों के लिए रोजगार कार्यालय के जरिये ही चुनाव किया जाता है। जहाँ तक तीसरी माँग का प्रश्न है, नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के मामले में नैमित्तिक मजदूर द्वारा की गई, पूरी सेवा की अवधि तक आयु सीमा में छूट दी जा सकती है बशर्ते कि यह अवधि छह महीने से कम की न हो। जहाँ तक चौथी माँग का प्रश्न है, सभी नैमित्तिक मजदूरों को विभाग में स्थायी तौर पर लगाना संभव नहीं है। फिर भी, कुछ मजदूरों को, समय समय पर, विभाग में नियमित रिक्त स्थानों पर लगाया जा रहा है।

Delay in Delivery of Letters, Telegrams, Money Orders in Hilly Areas

4171. SHRI PRATAP SINGH NEGI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that the letters, telegrams, money-orders etc. in the hilly areas, particularly in Garhwal, are delivered after being detained in the Post offices for ten days; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) No such complaint has been received.

(b) Does not arise.

Demand for Setting up of a Planning Commission by Bihar Government

4172. SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have made a demand for the formation of a Bihar Planning Commission which should be vested with the powers of distribution of resources etc; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Planning Commission has not received any request from the Government of Bihar for the formation of a "Bihar Planning Commission". It is always open to the Bihar Government to constitute a planning body.

(b) Does not arise.

काजू निर्यात संवर्धन परिषद में केरल राज्य काजू विकास निगम के प्रतिनिधि का नामांकन

4173. **श्री एम० के० कृष्णन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काजू निर्यात संवर्धन परिषद में केरल राज्य काजू विकास निगम के एक प्रतिनिधि का नामांकन करने के बारे में विचार कर रही है और यदि हाँ, तो कब तक;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, हाँ।

कोट्टायम डिवीजन, केरल के पी० एम० आर० कर्मचारियों से ज्ञापन

4174. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम डिवीजन में कार्य करने वाले कर्मचारियों से सरकार को कोई अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) से (ग). मान्यता प्राप्त केन्द्रीय यूनियनों/एसोसिएशनों से जो ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उनकी जाँच केवल डाक-तार बोर्ड द्वारा की जाती है। प्रशासन और कर्मचारियों के बीच सम्पर्क के लिए यही माध्यम निर्धारित है। जिस अभ्यावेदन/ज्ञापन का उल्लेख किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी मान्यता-प्राप्त यूनियन/एसोसिएशन से यह प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में पुलिस आवास योजना के लिए किया गया आबंटन

4175. **श्री एम० के० कृष्णन** :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पुलिस आवास योजना के लिये केरल राज्य को कुल कितना आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केरल में पुलिस कर्मचारियों के आवास स्थान बहुत ही असंतोषजनक हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने पुलिस आवास योजना के लिये एक करोड़ रुपये के ऋण के लिये अनुरोध किया है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या धनराशि मंजूर कर दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) गत तीन वर्षों में पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत केरल सरकार को आबंटन इस प्रकार किए गये :

वर्ष	राशि
1968-69	14 लाख रुपये
1969-70	9 लाख रुपये
1970-71	25 लाख रुपये

(ख) सरकार को मालूम है कि केरल सरकार ने आबंटन योग्य राज्य पुलिस के कर्मचारियों के लिए आवास का प्रबन्ध करने में काफी प्रगति की है परन्तु समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसी स्थिति केरल की नहीं बल्कि अन्य राज्यों की भी है।

(ग) जी हाँ, श्रीमान्।

(घ) और (ङ). मूलतः इस समस्या का समाधान करना राज्य सरकारों का काम है। किन्तु पुलिस आवास के कार्यक्रमों को तेज करने के लिए राज्यों की सहायता करने की अपनी इच्छा से केन्द्र भी सम्पूर्ण साधनों की स्थिति को देखते हुए काफी ऋण सहायता प्रदान कर रहा है।

चालू वर्ष में भी केरल सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ सभी राज्यों के दावों, उनके पुलिस बल की संख्या, आवास की कमी और राज्य सरकारों द्वारा कमी को पूरा करने के लिए किये गये उपायों को ध्यान में रखते हुए सहायता दी जा रही है।

चौथी योजना का पुनर्मूल्यांकन

4176. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में लन्दन में संवाददाताओं को यह बताया था कि आम चुनावों में जनता को दिये गये वचनों को सरकार द्वारा पूरा किये जाने के लिए चौथी योजना के पुनर्मूल्यांकन तथा उसे फिर से तैयार किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या उन्होंने ऐसा विचार भी प्रकट किया था कि भूतपूर्व योजनाओं तथा अनुभव से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अब तक अपनाई गई नीति में बहुत सी कमियाँ हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना को फिर से तैयार करने तथा कमियाँ दूर करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हाँ, लन्दन में मंत्री जी ने प्रेस संवाददाताओं के समक्ष कहा था कि पूर्वी बंगाल के संकट से निरपेक्ष रूप में भी चतुर्थ योजना पर पुनर्विचार करना आवश्यक है ताकि हाल ही के आम चुनावों में जनता को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जा सके।

(ख) उन्होंने यह भी कहा कि अब विकास के फलितार्थों तथा रोजगार के अधिक बढे हुए अवसरों के सम्यक् वितरण से संबंधित प्रश्नों पर बल देना होगा और इस उद्देश्य के लिए योजना प्राथमिकताओं में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है इसका पता लगाना होगा।

(ग) किस क्षेत्र पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है तथा क्या परिवर्तन आवश्यक हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

सस्ते कपड़े का उत्पादन

4177. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सस्ते कपड़े के उत्पादन के लिए हाल ही में आरम्भ की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ऐसी ही एक योजना तीन वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी; और यदि हाँ, तो उसको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में योजना का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) ऐसी कोई योजना लगभग तीन वर्ष पहले शुरू नहीं की गई थी ।

विवरण

योजना के अन्तर्गत उद्योग 1 जून, 1971 से प्रारम्भ होने वाली तिमाही में 10 करोड़ वर्ग मीटर नियंत्रित किस्मों के कपड़े का उत्पादन करेगा । इस उत्पादन के लिये 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर तक की आर्थिक सहायता, उद्योग द्वारा निम्नोक्त प्रकार से इकट्ठी की गई निधि में से दी जायेगी :

(1) विदेशी रुई की 1,25,000 गाँठों पर 300 रु० प्रति गाँठ के हिसाब से प्रीमियम	3·75 करोड़ रु०
(2) 1968 में तैयार की गई पैकेज योजना के अन्तर्गत उन मिलों से, जिन्होंने नियंत्रित कपड़े का उत्पादन नहीं किया, 6 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर पर उद्योग से इकट्ठी की गई निधि में से अंशदान	0·75 करोड़ रु०
(3) निम्नलिखित दरों पर अनियंत्रित किस्मों के मध्यम क, महीन तथा बहुत बढ़िया कपड़े का उत्पादन करने वाली मिलों से अंशदान :	
मध्यम क : इस श्रेणी के निर्यात को घटा करके 20 प्रतिशत पैकिंग पर 6 पैसा प्रति वर्ग मीटर ।	
बढ़िया : इस श्रेणी के निर्यात को घटाकर 20 प्रतिशत पैकिंग पर 12 पैसा प्रति वर्ग मीटर ।	
बहुत बढ़िया : इस श्रेणी के निर्यात को कम करके 20 प्रतिशत पैकिंग पर 15 पैसा प्रति वर्ग मीटर ।	0·60 करोड़ रु०

प्रत्येक मिल से वसूल की जाने वाली राशि का आंकलन फरवरी/अप्रैल, 1971 की तिमाही के दौरान हुई पैकिंग पर किया जाएगा ।

यह योजना 1 जून, 1971 से लागू हुई है और इसे वस्त्र आयुक्त की देख-रेख में भारतीय रुई मिल महासंघ द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ।

योजना व्यवस्था के संबंध में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश

4178. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना व्यवस्था के संबंध में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों को मान लिया है; और

(ख) उनमें से अब तक किन-किन सिफारिशों को कार्य रूप दे दिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). लोक सभा पटल पर 31-7-1970 को रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा आयोजना तंत्र पर अपनी अंतरिम तथा अंतिम रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय तथा इन निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में सूचना दी गई है ।

जयपुर में टेलीफोन केन्द्र का विकास

4179. **श्री पी० के० देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर टेलीफोन केन्द्र का विकास करने की दृष्टि से इसे दिल्ली में निर्माणाधीन स्वचालित टेलीफोन केन्द्र से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना कब लागू की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). जयपुर का दिल्ली टेलीफोन प्रणाली से डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सेवा का सितम्बर, 1964 से सम्पर्क स्थापित है । फिर भी, जयपुर का दिल्ली के ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज से भी संबंध स्थापित करने की योजना है । पहले से ही मार्ग चालू किए जाने के कारण दिल्ली के ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज की सम्पर्क स्थापित करने की फालतू क्षमता के सीमित होने की वजह से जयपुर का दिल्ली ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज से इस अवस्था में तब तक सम्पर्क स्थापित करना संभव नहीं है, जब तक कि इसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जाती । दिल्ली ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज की क्षमता वृद्धि हेतु आवश्यक उपस्कर के लिए पहले से ही आर्डर दे दिया गया है और 1973 के लगभग इसके चालू हो जाने की संभावना है । जयपुर का दिल्ली के ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज से 1973-74 के दौरान सम्पर्क स्थापित किए जाने की आशा है ।

Allocation of Funds to Bihar in Fourth Plan

4180. SHRI JAGANNATH MISHRA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the funds allocated to the Bihar State under the Fourth Five Year plan come to Rs. 99 per head of population, whereas the funds allocated to other States come to Rs. 214 per head of population and;

(b) if so, whether this aspect is proposed to be taken into consideration, while reviewing the Fourth Plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) On the basis of the outlays approved by the Planning Commission for the States' Fourth Five Year Plans, the per capita outlay for Bihar works out to Rs. 89 as against the all-India average of Rs. 119.

(b) Bihar's Fourth Five Year Plan outlay of Rs. 531·28 crores is made up of Rs. 338 crores of Central assistance and Rs. 193·28 crores of the State's own resources. The amount of Central assistance allocated to Bihar is the second largest among all States and takes account of Bihar's backwardness as well as special problems. Despite this, the per capita Plan outlay of Bihar is lower than the all-India average for the reason that its own resources are comparatively poor. Since the amount of Central assistance which has been calculated according to the formula devised by the Committee of Chief Ministers appointed by the National Development Council, cannot be increased, the per capita plan outlay of Bihar can be increased only if the State can raise more resources for the Plan. However, the figures of the State's own resources during the first two years of the Fourth Plan including those of fresh resources raised during those two years and also the amount expected to be found by the State from its own resources including fresh resources to be raised during the year 1971-72, do not come upto expectations. Within the constraint of these facts, due consideration will be given to the fact of Bihar's comparatively low per capita Plan outlay while carrying a mid-term reappraisal of the Fourth Plan.

Housing Facilities for Accredited Press Correspondents in Delhi

4181. SHRI JAGANNATH MISHRA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the total number of accredited Press Correspondents in Delhi;

(b) the number of those, out of them, who have been allotted Government accommodation and the number of those who have been allotted land for constructing house or the number of cases in which the concerned Departments/Ministries have been approached for the allotment of land to them;

(c) the steps being taken to solve the housing problem of the remaining Press Correspondents; and

(d) whether Government are reserving hostel type accommodation for those Press Correspondents who are living single ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINGH) : (a).

	Indian Nationals	*Foreign Nationals*	*Total*
Accredited Correspondents	292	52	344
Accredited Cameramen	81	1	82
	373	53	426

(b) & (c). 105 residential units have been included in the Press Correspondents' pool of residential accommodation for allotment to Press correspondents on payment of licence fee under F. R. 45-A. Of these, 102 residential units have already been allotted. In addition, 12 units from the general pool have been made available to Press correspondents on payment of licence fee at market rates under F. R. 45-B. Moreover, 48·73 acres of land has been allotted in Masjid Moth/Shahpur Jat areas, Delhi, to the following Co-operative societies :

(i) Press Trust of India,

(ii) Times of India Officers,
(iii) Press Association,
(iv) Delhi Union of Journalists.

Besides these societies, allotment of land to Press Association Co-operative Group Housing Society Ltd., and the Delhi Union of Journalists Co-operative Group Housing Society Ltd., on Group Housing basis is under consideration.

(d). No reservation is made in Government hostels for single Press correspondents.

चन्द्रलोक नई दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के नये भवन में फर्नीचर आदि की व्यवस्था

4182. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के वर्तमान प्रबन्धकों ने चन्द्रलोक, नई दिल्ली, में अपने नये कार्यालय में फर्नीचर आदि पर 45 लाख रुपये खर्च किये हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस बात का पता लगाने के लिए जाँच का आदेश दिया है कि राज्य व्यापार निगम ने जानबूझ कर 22·59 लाख रुपये के व्यय का ब्यौरा क्यों दिया है जो कि वस्तुत: बहुत ही कम राशि है;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा लगातार किये जा रहे व्यर्थ के व्यय को रोकने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) भवन में फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने और उसमें 'पार्टीशन' डालने आदि के लिए जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). जी, नहीं। साज सामान आदि पर नवम्बर, 1970 के अन्त तक केवल 22·59 लाख रुपये खर्च हुए।

(ग) कार्यालय भवन की साज सज्जा एक ऐसा कार्य है जो निरन्तर चलता रहता है और यह फर्नीचर तथा उपस्कर के लिए रोजमर्रा की आवश्यकता पर निर्भर है।

(घ) एक सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—624/71.]**

पटसन की वस्तुओं के संबंध में टेरिफ आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय

4183. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन की वस्तुओं के संबंध में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलपक्कम में परमाणु शक्ति परियोजना

4184. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित परमाणु शक्ति परियोजना पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट के चालू होने में जो देरी हुई है उसका कारण अंशतः तो यह है कि इस यूनिट की स्थापना पर होने वाले खर्च में जो विदेशी मुद्रा शामिल है उसके लिए ऋण प्राप्त करने में समय लगा है तथा अंशतः यह कि इसके लिए आवश्यक उपकरणों की अधिक से अधिक मात्रा को भारत में ही तैयार करने की दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है । मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट की स्थापना के लिए मई, 1971 में ही स्वीकृति प्रदान की गई ।

Provisions of Telephone Connections in Morena District (Madhya Pradesh)

4185. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 152 on the 1st April, 1971 regarding Telephone connections in Morena District of Madhya Pradesh and state whether Telephone connections have since been provided to these eleven applicants who were to be provided with Telephone connections in Morena District by April, 1971 ?

MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : 3 connections have been provided at Shivpur Kalan and 4 connections at Morena. Payment for the Demand Notes issued for the remaining 4 connections is awaited and the connections will be provided on receipt of the payment.

Anti-Dacoit Drive in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan

4187. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have collected information from Madhya pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan in regard to the number of Officers and Jawans of the Police and Special Armed Police presently engaged in anti-dacoit drive in these States;

(b) if so, the number thereof;

(c) whether the expenditure involved thereon is borne by the respective State Governments or by the Central Government also; and

(d) the average expenditure incurred thereon by the Central Government and the State Governments during the year 1969-70.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K.C. PANT) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) & (d). 'Police' being a State subject, the expenditure on such force is borne by the respective State Governments. The Government of India have not incurred any expenditure on the police establishment engaged in the anti-dacoity drive in these States. However, assistance in the shape of equipment, funds for developing certain crucial roads in the affected areas etc. is being given from time to time.

Pak Nationals who came to Bihar on Valid Passports

4188. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Pak nationals who came to Bihar on valid passports from 1st January, 1968 todate;

(b) the number of Pak nationals who went back to Pakistan before the expiry of their visa during the aforesaid period;

(c) the number of persons deported to Pakistan during the aforesaid period for the reason that they had gone underground; and

(d) the number of persons against whom "look out notices" have been issued and the approximate number of those who have gone underground at present ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Mercy Petitions from Persons Awarded Death Sentence

4189. SHRI BRIJRAJ SINGH KOTAH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of persons sentenced to death, who had submitted mercy petitions to the President, during the last year; and

(b) the number of cases in which the death sentence was pardoned ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b).

During the year 1970, 33 persons sentenced to death submitted mercy petitions to the President and the sentence of death of 7 persons was commuted to one of imprisonment for life.

राज्यों की राजधानियों में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना

4190. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) योजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी शतपथी) (क) से (ग). सभी राज्यों की राजधानियों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की कोई अन्तिम योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है। चौथी योजना में श्रीनगर, बम्बई/पूना, मद्रास, कलकत्ता तथा लखनऊ/कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। अन्य राज्यों की राजधानियों में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के प्रश्न का निर्णय पाँचवीं योजना के प्रस्ताव बन जाने पर किया जायेगा। उन केन्द्रों की स्थापना की योजना पर अनुमानित लागत तथा उनको चालू करने का कार्यक्रम उसी अवस्था में मालूम हो सकेगा।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये हिन्दी प्रशिक्षण योजना

4191. **डा० गोविन्द दास रिछारिया** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के विभागों और विभिन्न मंत्रालयों में कार्य कर रहे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान नहीं है; और

(ख) हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों ने हिन्दी की परीक्षायें उत्तीर्ण की हैं और अब तक कितने व्यक्तियों को उपरोक्त प्रशिक्षण दिया जाना है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). औद्योगिक स्थापनाओं में काम करने वाले और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी और उसके ऊपर के उन सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिनकी आयु 1-1-1961 को 45 वर्ष से कम थी। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अधिकारियों के संबंध में अलग आँकड़े इकट्ठे नहीं किये जाते हैं।

दिल्ली में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

(i) उन कर्मचारियों की संख्या, जिनके लिए हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है	18,565
(ii) अब तक प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	7,017
(iii) उन कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण अभी दिया जाना है	11,548

भारतीय काजू निगम में केरल राज्य का प्रतिनिधित्व

4192. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारतीय काजू निगम में केरल काजू विकास निगम के और अधिक प्रतिनिधि रखने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ ।

(ख) चूँकि काजू निगम बोर्ड में विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाना होता है अतः केरल काजू विकास निगम के केवल एक मनोनीत व्यक्ति को ही शामिल किया जा सका है। केरल राज्य का एक अलग प्रतिनिधि भी नियुक्त किया गया है ।

Lack of Direct Telephone Link between Tehsil Aliganj and Etah (U. P.)

4193. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Tehsil Aliganj has no direct Telephone Link with district Etah; and

(b) whether the Jaithara village, which is situated at a distance of only 10 miles on the western side of Aliganj-Etah road, has got direct telephone connection with Etah ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Aliganj Exchange has no direct trunk line with Etah.

(b) Jaithara is a Public Call Office directly connected to Aliganj Automatic Exchange and has no direct link to Etah.

विदेशियों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये किसी फिल्म अथवा वृत्तचित्र बनाने से रोकने वाले आदेश का जारी किया जाना

4194. **श्री एम० एम० ज़ोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अन्तर्गत कोई आदेश जारी किया है जिनके अन्तर्गत विदेशियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वह सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये कोई फिल्म अथवा वृत्तचित्र न बनायें; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी हाँ, श्रीमान्, । विदेशी व्यक्ति (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1971 नामक एक आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाती है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—625/71.**]

मनीपुर में ग्राम स्वयं सेवक दल

4195. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में ग्राम स्वयं सेवक दल कब तक बना रहेगा;

(ख) क्या मनीपुर में ग्राम स्वयं सेवक दल का कार्य सुरक्षा आयुक्त के नियंत्रण में है;

(ग) यदि हाँ, तो सुरक्षा आयुक्त पर मनीपुर सरकार का किस प्रकार का नियंत्रण है; और

(घ) क्या मनीपुर में जन साधारण सुरक्षा आयुक्त को सरकार से भी ऊपर मानता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विद्रोहियों की लूटपाट से अपनी रक्षा स्वयं कर सकने के लिए मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के कहने पर ग्राम स्वयं सेवक दल का गठन किया गया था। इस प्रबन्ध को बन्द करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग). ग्राम स्वयं सेवक दल से संबंधित विभिन्न मामलों पर कार्यवाही सुरक्षा आयुक्त द्वारा, जो मनीपुर सरकार के अधीन कार्य करता है, की जाती है ।

(घ) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

गीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करना

4196. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत तथा नाटक प्रभाग के पास सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्रतिभावान कलाकार तथा आवश्यक साज-सामान और देश-भूषा उपलब्ध हैं;

(ख) क्या इस प्रभाग द्वारा समय-समय पर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किये जाते हैं; और

(ग) यदि हाँ तो आबंटित धन राशि में से शास्त्रीय नृत्यों के लिए अपेक्षित वेश-भूषा तथा वाद्य खरीदने के लिए, स्कूल-बार, कितनी राशि का व्यय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (ख) संगीत तथा नाटक

प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सामान्यतया एक निश्चित स्तर के तथा एक खास अवधि के लिए होते हैं । इनमें शास्त्रीय नृत्य शामिल नहीं होते ।

(क) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मनीपुर में नये टेलीफोन एक्सचेंज

4197. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में टेलीफोन एक्सचेंजों में वृद्धि करने के बारे में सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन नए क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या नये स्थापित किये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज स्वचालित होंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) निम्नलिखित इलाकों के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं :

स्थान	एक्सचेंज का प्रकार और उसकी क्षमता	प्रगति
1. करोंग	50 लाइन छोटा स्वचालित एक्सचेंज	मंजूर हो चुका है इस का संस्थापन 31-3 से पहले हो जाएगा ।
2. वैढ़ाचिंग बाजार	50 लाइन छोटा स्वचालित एक्सचेंज	विचाराधीन
3. तमेंग लौंग	25 लाइन छोटा स्वचालित एक्सचेंज	
4. जिरीबाम	25 लाइन (अस्थायी) छोटा स्वचालित एक्सचेंज	

(ग) सभी नए एक्सचेंज जो मंजूर हो चुके हैं या विचाराधीन हैं, स्वचालित होंगे ।

इम्फाल के टेलीफोन एक्सचेंज को भी स्वचालित बनाने का प्रस्ताव है । इस स्वचालित एक्सचेंज के पाँचवीं योजना के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान चालू होने की आशा है ।

देश में आत्महत्या के मामले

4198. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1969-70 और 1970-71 में आत्महत्या की कुल कितनी घटनाएँ हुईं;

(ख) क्या सरकार ने इन आत्महत्याओं के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1969 के पत्री वर्ष में भारत में आत्महत्याओं की कुल संख्या 43,633 थी। 1970 के पत्री वर्ष के आँकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

(ख) और (ग). जी हाँ, श्रीमान्। 1969 का कारणवार वार्षिक विश्लेषण अनुलग्नक में देखा जा सकता है।

विवरण

1969 के पत्री वर्ष में आत्महत्याओं के मामलों का कारणवार विश्लेषण

क्रमांक	आत्महत्याओं के कारण	आत्महत्या द्वारा मौतों की संख्या	कुल आत्महत्याओं की प्रतिशतता
1.	परीक्षाओं में असफलता	1698	3·9
2.	सास-ससुर से झगड़े	3325	7·5
3.	पति-पत्नी के झगड़े	3343	7·7
4.	गरीबी	1859	4·3
5.	प्रेम संबंधी मामले	1439	3·3
6.	पागलपन	994	2·3
7.	सम्पत्ति के झगड़े	995	2·2
8.	घातक रोगों से निराशा	6295	14·4
9.	अन्य विविध कारण	23725	54·4
	जोड़ :	43633	100·0

निर्यात बढ़ाने के लिए पटसन उद्योग द्वारा माँगी गई और छूट और दी गई वित्तीय सहायता

4199. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पटसन से निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने हेतु गत तीन वर्षों में पटसन उद्योग को दी गई वित्तीय राहत का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक दी गई रियायतों से निर्यात में वृद्धि करने में कहाँ तक सहायता मिली है;

(ग) क्या पटसन उद्योग ने सरकार से और रियायतों की माँग की है, जिसमें देरी के पृष्ठभाग का मूल्य 300 रुपये प्रति मीटरी टन बढ़ाने की माँग शामिल है; और

(घ) यदि हाँ, तो और अधिक रियायतें देने की इस माँग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) पटसन उद्योग में उत्पादन में वृद्धि करने के निमित्त अधिक ऋण-सुविधाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। उद्योग ने कालीन अस्तर की न्यूनतम कीमत के उर्ध्वमुखी संशोधन के लिए भी कहा है।

(घ) ये विषय सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान, पटसन उद्योग को निम्नलिखित रियायतें प्रदान की गईं :

1. पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क निम्नोक्त प्रकार समायोजित किए गए :

(क) हैसियन पर निर्यात शुल्क 500 रुपये प्रति मे० टन से घटाकर 200 रुपये प्रति मे० टन कर दिया गया। (ख) बोरों पर निर्यात शुल्क 250 रुपये प्रति मे० टन से घटाकर 150 रुपये प्रति मे० टन कर दिया। (ग) ऊन पैक करने के थैलों और रुई भरने के बोरों पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। (घ) पटसन की विविध वस्तुओं पर निर्यात शुल्क 250 रुपये प्रति मे० टन से घटाकर 150 रुपये प्रति मे० टन कर दिया गया।	1 मार्च, 1969 से लागू
(ङ) कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क 600 रुपये प्रति मे० टन से घटाकर 300 रुपये प्रति मे० टन कर दिया गया।	10 दिसम्बर, 1969से प्रभावी
(च) पटसन कैनवस और तिरपाल और उनसे निर्मित वस्तुओं पर निर्यात शुल्क 500 रुपये प्रति मे० टन से घटाकर 200 रुपये प्रति मे० टन कर दिया गया।	1 मार्च, 1970 से प्रभावी

2. उच्चतर विकास कटौती के उद्देश्य से पटसन उद्योग को आयकर अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है।

3. पटसन मिलों के विविधीकरण/आधुनिकीकरण हेतु औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता का विस्तार किया गया। 31 मार्च, 1971 तक 645·95 लाख रुपये के कुल ऋण मंजूर किए गए।

(ख) इन रियायतों के बावजूद, विगत 3 वर्षों के दौरान, पटसन की वस्तुओं का निर्यात लगातार गिरता रहा है। यदि ये रियायतें नहीं दी गई होतीं तो निम्नोक्त कारणों से इनमें और भी अधिक गिरावट आ गई होती :

(1) पाकिस्तान, जहाँ निर्यातकों को बोनस वाउचर मिलते हैं, से प्रतिस्पर्धा;

(2) संश्लिष्ट पदार्थों से स्पर्धा और बड़े परिमाण में माल के लदान की पद्धति;

(3) संयुक्त राज्य अमरीका में हैसियन और कालीन अस्तर के उपभोग में गिरावट;

(4) कच्चे माल की कमी, श्रम अशांति आदि के कारण भारत में पटसन वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट;

'लिनो तथा मोनो' मशीनों का आयात करने के मामले में कलकत्ता की कम्पनियों का एकाधिकार

4200. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपाई उद्योग के लिए अपेक्षित 'लिनो' टाइप तथा 'मोनो' टाइप मशीनों के आयात करने के मामले में 'लिनो टाइप मशीनरी लिमिटेड, 14-मदन स्ट्रीट कलकत्ता—14' और 'मोनो टाइप कारपोरेशन लिमिटेड, 12-गवर्नमेंट प्लेस, ईस्ट कलकत्ता-1' को एकाधिकार है;

(ख) "लिनो" टाइप और "मोनो" टाइप मशीनों के आयात हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त प्रत्येक कंपनी को कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये;

(ग) प्रत्येक उपरोक्त मशीन का औसत आयात मूल्य क्या है; और

(घ) 1968-69 से 1970-71 तक की अवधि में प्रत्येक उपरोक्त मशीन उपभोक्ताओं को कितने औसत मूल्य पर बेची गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं। परन्तु मैसर्स दि लिनो टाइप मशीनरी लि०, कलकत्ता और मोनो टाइप कारपोरेशन लि०, कलकत्ता क्रमशः ब्रिटेन तथा इटली की लिनो टाइप कम्पोजिंग मशीनों और ब्रिटेन की मोनो टाइप कम्पोजिंग मशीनों के भारत में एक मात्र विक्रय-अधिकर्त्ता हैं।

(ख) इन कंपनियों को कोई आयात लाइसेंस नहीं दिये गये हैं परन्तु वास्तविक प्रयोक्ताओं को निम्नलिखित मूल्य के लाइसेंस दिये गये थे :

लिनो टाइप कम्पोजिंग मशीनें—

1968–69	1969–70	1970–71
23·69 लाख रुपये	17·04 लाख रुपये	21·70 लाख रुपये

मोनोटाइप मशीनें (जिनमें मोनो टाइप कम्पोजिंग कास्टर, की-बोर्ड्स, मोनो टाइप सुपर-कास्टर्स आदि शामिल हैं)—

1968–69	1969–70	1970–71
47·24 लाख रुपये	46·48 लाख रुपये	46·86 लाख रुपये

(ग) वर्ष 1968-69 से 1970-71 में मोनो टाइप कम्पोजिंग मशीन और लिनो टाइप कम्पोजिंग मशीन के संपूर्ण एकक लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य निम्नलिखित हैं :

	1968–69	1969–70	1970–71
मोनोटाइप	1,10,000 रुपये	1,10,000 रुपये	1,28,000 रुपये
लिनोटाइप	1,10,000 रुपये	1,10,000 रुपये से 1,47,000 रुपये (मशीनों तथा भाषा सहित मैगजीन की संख्या पर निर्भर)	1,10,000 रुपये से 1,47,000 रुपये मशीनों तथा भाषा सहित मगजीन की संख्या पर निर्भर)

(घ) वर्ष 1968-69 से 1970-71 में मशीनों के लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य ऊपर (ग) में दिये गये हैं। वास्तविक प्रयोक्ताओं को मशीनों की बिक्री पर एकमात्र अभिकर्त्ता द्वारा उपार्जित एजेन्सी कमीशन से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंजों का असन्तोषजनक कार्य

4201. **श्री हरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में दादरी, सिकन्दराबाद, दनकौर, श्याम नगर मंडी में टेलीफोन धारियों ने उपरोक्त स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों के असंतोषजनक रूप से कार्य करने के कारण अपने टेलीफोन कनैक्शन कटवा दिये हैं; और

(ख) उपरोक्त टेलीफोन एक्सचेंजों के टेलीफोनों से 1969-70 में कितनी वार्षिक आय हुई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण दादरी, सिकन्दराबाद, दनकौर, सियाना और अगरवाल मंडी में 13 टेलीफोन कनैक्शन काट दिए गए थे। श्यामनगर मंडी नाम का कोई एक्सचेंज नहीं है। इन एक्सचेंजों में टेलीफोन उपभोक्ताओं के अनुरोध पर केवल 3 टेलीफोन काटे गए थे, जिनमें से केवल एक ने यह कारण दिया था कि टेलीफोन खराब रहता है।

(ख) उपर्युक्त एक्सचेंजों से 1969-70 के दौरान 1,00,967 रुपये की आय हुई थी।

बुलन्दशहर और दिल्ली के मध्य सीधी टेलीफोन लाइन

4202. **श्री हरीसिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर से दिल्ली तक सीधी टेलीफोन लाइन की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो सीधी टेलीफोन व्यवस्था के अंतर्गत कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). जी नहीं । फिलहाल ऐसा विचार नहीं है । सामग्री संबंधी साधनों के सीमित होने के कारण सरकार विभिन्न एक्सचेंजों के बीच ट्रंक परियात के आधार पर विभिन्न चरणों में सीधी डार्यालिंग चालू करने की योजना बना रही है ।

बुलन्दशहर और दिल्ली के बीच दैनिक ट्रंक परियात को दृष्टि में रखते हुए सीधी डार्यालिंग सुविधा चालू करने का औचित्य नहीं है । बहरहाल विभाग सभी मार्गों का लगातार पुनरीक्षण करता रहता है । दिल्ली और बुलन्दशहर के बीच परियात जब पर्याप्त हो जाएगा, तो इस मार्ग पर यह सुविधा चालू करने के लिए कदम उठाए जाएँगे ।

भावनगर (गुजरात) के डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

4203. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उन स्थानों पर परियोजना भत्ता दिया जाता है जहाँ परियोजना कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भावनगर (गुजरात) स्थित डाक तथा तार विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं । परियोजना यदि वर्गीकृत नगर के नगरपालिका क्षेत्र में पड़ती है और यदि परियोजना प्राधिकारियों ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए परियोजना भत्ता मंजूर न किया हो तो परियोजना भत्ता नहीं दिया जाता ।

(ख) भावनगर के डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता पाने की स्वीकृति नहीं है ।

(ग) भावनगर नगरपालिका का क्षेत्र है और एक वर्गीकृत नगर है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन, चण्डीगढ़ द्वारा तैयार किया गया 'फोरेस्ट-क्रूजर'

4204. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन, चण्डीगढ़ ने वनों के सर्वेक्षण में काम आने वाला एक उपकरण 'फोरेस्ट क्रूजर' तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त उपकरण को पर्याप्त संख्या में निर्माण करने के बारे में क्या कार्य-वाही की गयी है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) फारेस्ट क्रूजर के विकास की विस्तृत जानकारियाँ केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन, चण्डीगढ़ द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'इन्स्ट्रूमेंट न्यूज' में प्रकाशित की गयी हैं । इसका वितरण निर्माणकर्त्ताओं सहित 2000 से अधिक संगठनों को किया जाता है । इसकी निर्माण विधि संबंधी जानकारी देने के लिए कुछ इच्छुक उद्योगपतियों के साथ विचार-विमर्श जारी है । वन विभाग की त्वरित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थान ने इस उपकरण का धान उत्पादन आरम्भ कर दिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान संस्थान द्वारा अधिकृत 'सोलर वाटर हीटर'

4205. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की में किये गये परीक्षणों के परिणामस्वरूप 'सोलर वाटर हीटर' (140 लीटर क्षमता वाला) का आविष्कार हो सका है;

(ख) क्या इस प्रकार के हीटर देश में कहीं पर उपयोग में लाये गये हैं; और

(ग) क्या उन्हें सन्तोषजनक पाया गया है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). इस प्रकार के सौर जल तापकों (सोलर वाटर हीटरों) को बनाने के लाइसेंस निम्नलिखित फर्मों को दिए गए हैं :

(1) मैसर्स एम० एस० जे० (इंजीनियर्स) एण्ड कम्पनी, खंजरपुर, रुड़की, उत्तर प्रदेश ।

(2) मैसर्स बिहार इस्पात (इंजीनियर्स) लिमिटेड, 17 गणेश चन्द एवेन्यू, कलकत्ता-13 ।

इनमें से कुछ सौर जल तापक रुड़की में उपयोग में लाये जा रहे हैं और पता लगा है कि उनका कार्य संतोषजनक है ।

वाणिज्यिक सप्लाई के लिये परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

4206. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने की कौन सी योजनायें इस समय क्रियान्विति के लिये विचाराधीन हैं; और

(ख) प्रत्येक योजना की कुल लागत क्या है और वाणिज्यिक सप्लाई के लिये ऊर्जा कब तक उपलब्ध होगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है:

बिजली घर का नाम	क्षमता	अनुमानित व्यय (करोड़ रुपयों में)	क्रान्तिकता प्राप्त करने की सम्भावित तिथि (पूरी क्षमता से उत्पादन इस तिथि के संभवतः कुछ मास बाद होने लगेगा)
1. राजस्थान परमाणु बिजलीघर			
पहला यूनिट	200 मैगावाट	60·40	1971 का अन्तिम भाग
दूसरा यूनिट	200 मैगावाट	66·85	1974
2. मद्रास परमाणु बिजलीघर			
पहला यूनिट	215 मैगावाट	77·10	1975
दूसरा यूनिट	215 मैगावाट	70·63	1976

'चाय बोर्ड' में प्रदर्शकों के रूप में कार्य कर रहे परिचारक

4207. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के कुछ परिचारक (अटेंडर्स) (चतुर्थ श्रेणी) प्रदर्शकों (तृतीय श्रेणी) के स्थान पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे उच्च पद पर कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). दिल्ली में चाय बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न बुफों तथा बारों में कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए गत दो, तीन वर्षों से तदर्थ आधार पर 13 परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) प्रदर्शकों (तृतीय श्रेणी) के स्थान पर कार्य कर रहे हैं ।

'चाय बोर्ड' के दिल्ली में नियुक्त फालतू घोषित किये गये सब-इंस्पैक्टर

4208. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टी बोर्ड के दिल्ली में नियुक्त कुछ सब-इंस्पैक्टर फालतू हैं और यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं ।

चाय बोर्ड के लिए भवन का निर्माण

4209. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हाँ, तो किस क्षेत्र को खरीदने का विचार है; और

(ख) क्या कर्मचारियों के लिए भी मकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कोचीन स्थित विलिंग्डन द्वीप में कार्यालय के निर्माणाधीन भवन को छोड़कर चाय बोर्ड के पास भारत के किसी अन्य भाग में कार्यालय के भवन के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) अमले के लिए रिहाइशी आवास के निर्माण के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विदेशी अधिनियम के अधीन जेलों में रखे बंगला देश के शरणार्थी

4210. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह** मंत्री 16 जून, 1971 के विदेशी अधिनियम के अधीन हिरासत में लिए गये तथा जमानत पर छोड़े गये व्यक्तियों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2371 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत जेल में रखे गये बंगला देश के शरणार्थी पुरुष, स्त्री तथा बच्चों की संख्या संबंधी तथ्यों को सुनिश्चित कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और क्या समान सद्भावना तथा प्रथा के तौर पर उन बन्दी स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत मामले राज्य सरकारों से तथ्यों को सुनिश्चित किये बिना वापिस लेने का प्रस्ताव है जिनका कोई वयस्क सदस्य नहीं है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) केवल असम से 16 जून, 1971 को सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार विदेशी व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत बंगला देश के 86 पुरुष शरणार्थी जेल में हिरासत में थे और एक जमानत पर था । जेल हिरासत में अथवा जमानत पर कोई शरणार्थी स्त्री या बच्चा नहीं था । अन्य राज्यों से सूचना प्रत्याशित है ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

भूतपूर्व योधी सैनिक कर्मचारियों को युद्ध सेवा संबंधी लाभ

4212. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, विभागों, संस्थानों आदि में नियुक्त सिविलियन/गैर-योधी युद्ध सेवी अभ्यार्थियों को दिये जाने वाले युद्ध सेवा संबंधी सभी लाभ भूतपूर्व योधी युद्ध सेवी अभ्यार्थियों (क्लर्क संवर्ग) को भी दिये गये थे;

(ख) क्या ये लाभ उन भूतपूर्व योधी युद्ध सेवी अभ्यार्थियों (क्लर्क संवर्ग) को नहीं दिये गये हैं जो रेलवे में पुन: नियुक्त किये गये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में समान नीति लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) युद्ध सेवा वाले अभ्यार्थियों के सिविल पदों पर नियुक्त किये जाने पर प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण संबंधी नियंत्रण के सामान्य आदेश गैर-योधी युद्ध सेवी अभ्यार्थियों (क्लर्क संवर्ग) पर भी समान रूप से लागू होते हैं ।

(ख) दिनांक 6-7-1971 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4083 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूंजीगत वस्तुओं के उपकरण 'डाई' आदि का आयात

4213. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात करने वाले एककों के विस्तार हेतु अपेक्षित पूँजीगत वस्तुओं के उपकरणों 'डाई', 'जिग' और औजारों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया है; और

(ख) आवेदकों की संख्या क्या है, कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और अभी तक कौन-कौन सी पूंजीगत वस्तुओं आदि का आयात किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात करने वाले एककों की ओर से विस्तार हेतु पूंजीगत माल, उपस्कर, 'डाई', 'जिग' और औजारों के आयात के लिए विपुल विदेशी मुद्रा का कोई आबंटन नहीं किया गया है । फिर भी, इस श्रेणी के आवेदकों के लिए उनके मामलों के आयात हेतु निरापद कर दिये जाने पर तदर्थ आधार पर विदेशी मुद्रा के आबंटन किये गये हैं । जिस अवधि की जानकारी माँगी गई है, उसका प्रश्न में उल्लेख नहीं किया गया है । दो लाइसेंस-अवधियों, अर्थात अप्रैल, 69 से मार्च, 70 तथा अप्रैल, 70 से मार्च, 71 तक, से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) दो लाइसेंस अवधियों अर्थात अ० म०—70 तथा अ० म०—71 से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात

4216. **श्री पी० के० सामिनाथन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) लौह-अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा गौण अयस्कों के निर्यात को बढ़ाने में क्या क्या कारण बाधक हैं; और

(ख) मैंगनीज अयस्क का उत्पादन बढ़ाने हेतु खनिज तथा धातु व्यापार निगम क्या उपाय कर रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जहाँ तक लौह अयस्क के निर्यात का संबंध है, मुख्य बाधक कारण ये हैं : ऊँची परिवहन लागतें, अपर्याप्त रेल परिवहन सुविधाएँ, पत्तनों पर आधुनिक स्तर के यंत्रीकृत लदान उपस्करों का अभाव और विपुल परिमाण में अयस्क ले जाने वाले भारी दबाव वाले जहाजों के लिए पत्तनों पर संबंधित सुविधाओं का अभाव ।

मैंगनीज अयस्क के निर्यातों की वृद्धि में जिन विभिन्न कारणों से बाधा उत्पन्न हुई है, वे हैं : उच्च श्रेणी अयस्क के लिए बढ़ती हुई स्वदेशी माँग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैंगनीज अयस्क के इकाई मूल्य में गिरावट, विशेषत: पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका को होने वाले निर्यात के संबंध में भाड़े में वृद्धि और अन्य मैंगनीज अयस्क उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा । इसके अलावा मैंगनीज अयस्क की अपेक्षा फैरो-मैंगनीज का निर्यात करना बेहतर है ।

जहाँ तक गौण अयस्कों का संबंध है, उनके निर्यातों में बेहतर पत्तन सुविधाओं, विदेशों के उपभोक्ताओं के लिए इन अयस्कों को स्वीकार्य बनाने के लिए इनके परिष्करण तथा उपयोगीकरण करने संबंधी प्रबंधों और खानों का यंत्रीकरण करके उत्पादन लागत में कमी करने संबंधी व्यवस्था करके सुधार किया जा सकता है । तथापि, इन गौण अयस्कों में से कुछ सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और बढ़ती हुई आंतरिक माँग को पूरा करने के लिए इनकी आवश्यकता है ।

(ख) मैंगनीज अयस्क के उत्पादन से खनिज तथा धातु व्यापार निगम का सीधा संबंध नहीं है। इस्पात तथा खान मंत्रालय ने मैंगनीज उद्योग की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इस उद्योग के संबंध में एक कार्यकारी दल का गठन किया था। इस कार्यकारी दल ने अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें इस उद्योग के विकास हेतु विभिन्न सिफारिश की गई हैं और वे सिफारिशें अब सरकार के विचाराधीन हैं।

प्राकृतिक और निर्मित अभ्रक का निर्यात

4217. **श्री पी०ए० सामिनाथन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैंगनीज अयस्क का खनन करने और इसे फैरो-मैंगनीज में बदलने के लिए सरकारी क्षेत्र में निगम स्थापित करने को कोई प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने अभ्रक परामर्शी समिति नाम की एक समिति स्थापित की थी। इस समिति ने अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादो के निर्यातों के संवर्धन के लिए बहुत सी सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में अस्थाई सरकारी कर्मचारी

4218. **श्री इराज्मु द सेकैरा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में स्थायी सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अस्थाई सरकारी कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं; और

(ख) अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) गोआ प्रशासन ने बताया है कि उनके अधीन 41 प्रतिशत अस्थायी सरकारी कर्मचारी हैं।

(ख) गोआ प्रशासन ने 60 प्रतिशत अस्थाई पदों को स्थाई पदों में बदलने तथा स्थाई पदों पर अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को स्थाई करने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

Dailies and Weeklies of Andaman and Nicobar Islands

4219. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of Dailies and Weeklies being published by private parties in the Andaman and Nicobar Islands at present;

(b) whether Government advertisements are given to them;

(c) the arrangements made by Government to provide assistance to them; and

(d) the quota of newsprint allotted to each ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) No daily newspaper is being published by private parties from Andaman & Nicobar Islands. However, an English weekly 'Andaman Times' is being published by one Shri Samar Som.

(b) The English weekly "Andaman Times" is being used for Government advertisements.

(c) & (d). Facilities which are available to all newspapers in regard to import of newsprint and printing machinery are open to newspapers published from Andaman and Nicobar Islands also. However, the "Andaman Times" has not so far applied for newsprint allocation. As such, no quota has been allotted to it.

मेघालय सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाया जाना

4220. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय सरकार ने बंगला देश के साथ अपनी सारी सीमा पर तीन मील की पट्टी में कर्फ्यू लगा दिया है;

(ख) क्या कर्फ्यू लगाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को मेघालय सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) क्या बंगला देश के शरणार्थियों के भेष में अनेक पाकिस्तानी जासूस नागालैंड में घुस आये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). मेघालय और नागालैंड सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व शासक द्वारा भूमि तथा अन्य जायदादों का अधिग्रहण तथा उसका निपटान

4221. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व शासक के पारिवारिक सदस्यों द्वारा लाखों रुपयों के मूल्य की भूमि तथा अन्य जायदादों पर गैर-कानूनी दावे किये जाते हैं और उन्हें बेचने के प्रयास किये जाते हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में इसके विरुद्ध बड़ी उत्तेजना पाई जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ग्वालियर के महाराज ने कुछ जायदादों तथा जमीनों पर दावा किया था। विचार करने पर राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि दावा विचारणीय नहीं है। उन्होंने उक्त जायदादों तथा जमीनों से महाराजा को बेदखल करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इसके लिए अभी कोई आन्दोलन प्रत्यक्ष रूप से देखने में नहीं आया है।

कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना स्थल पर बनाये गये क्वार्टर

4222. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना स्थल पर 1967 से अब तक कितने क्वार्टरों का निर्माण हुआ है, उनमें से कितने किराये पर दिये गये हैं और कितने अभी भी खाली पड़े हुए हैं;

(ख) क्या लेखापरीक्षा अधिकारियों ने इस बारे में कोई आपत्ति उठाई थी; और यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन क्वार्टरों की, विशेष रूप से मद्रास के क्वार्टरों की प्रति वर्ग फुट वास्तविक लागत क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कलपक्कम में कुल 872 क्वार्टरों का निर्माण खर्च हुआ है। जुलाई, 1971 तक 649 क्वार्टर किराये पर दे दिये गये थे। 223 क्वार्टर अभी खाली हैं। ये सभी क्वार्टर निकट भविष्य में रिएक्टर रिसर्च सेंटर के कर्मचारियों को दे दिये जायेंगे।

(ख) लेखापरीक्षा अधिकारियों ने क्वार्टरों के जल्दी बनाये जाने और उनके आबंटन में हुई देरी के बारे में आपत्ति उठाई थी। लेखापरीक्षा अधिकारियों को इसके कारणों से पूरी तरह अवगत करा दिया गया है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) क्वार्टरों के प्रति वर्ग कुर्सी क्षेत्रफल के निर्माण का खर्च जिसमें आंतरिक जल वितरण व्यवस्था, सैनिटरी तथा बिजली की फिटिंग पर होने वाला खर्च भी शामिल है, 21 रुपये से लेकर 25·26 रुपये तक रहा है।

चिंगलपट क्षेत्र के लोगों को कलपक्कम अणुशक्ति परियोजना में काम देना

4223. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना से वर्ष 1974-75 में बिजली का उपयोग करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त परियोजना की योजना को अन्तिम रूप देते समय चिंगलपट क्षेत्र के लोगों को उस परियोजना में काम देने का आश्वासन दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित कितने लोगों को काम दिया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) आशा है कि मद्रास परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट सन् 1975 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा । क्रांतिकता प्राप्त करने के संभवतः कुछ महीने बाद बिजलीघर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करने लगेगा ।

(ख) भारत सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवार चुनने के पश्चात् राजपत्रित पदों का समाप्त किया जाना

4224. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये प्रत्याशियों के नामों की घोषणा किये जाने के पश्चात् गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार में कितने राजपत्रित पदों को समाप्त किया गया;

(ख) ऐसे कितने मामलों में सरकार ने नियुक्तियाँ कर दी थीं और प्रत्याशियों ने स्वीकार कर लिया था और फिर सरकार ने वे नियुक्तियाँ वापस ले लीं;

(ग) ऐसे मंत्रालयों/विभागों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है; और

(घ) जिन लोगों की हानि हुई है उन्हें बहाल करने और मजदूरी की हानि का मुआवजा देने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा न्यायालयों में ले जाये गये मामले

4225. **श्री के० के० रामी रेड्डी :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कितने मामले न्यायालय में दायर किये अथवा कितने मामले इसके विरुद्ध न्यायालय में दायर हुए;

(ख) कितने मामलों में न्यायालय का निर्णय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पक्ष में रहा; और

(ग) इन सभी मामलों में निगम ने वार्षिक रूप से कितना व्यय किया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विगत तीन वर्षों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा न्यायालय में दायर किये गये मामलों की संख्या 36 थी और निगम के विरुद्ध दायर किये गये मामलों की संख्या 49 थी ।

(ख) अभी तक, न्यायालयों द्वारा 5 मामलों पर ही अन्तिम रूप से निर्णय किये गये हैं और इन सभी मामलों में निर्णय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पक्ष में रहे हैं (इनमें वे मामले शामिल नहीं किये गये हैं, जिनकी अपीलों पर निर्णय नहीं हुआ है ।)

(ग) इन वर्षों के दौरान, निगम द्वारा किया गया विधि विषयक व्यय निम्नोक्त प्रकार है :

1968-69	1,66,604 रुपये
1969-70	2,03,884 रुपये
1970-71	2,00,000 रुपये (अनन्तिम)

इन आँकड़ों में मुकदमेबाजी पर हुए प्रत्यक्ष व्यय के अतिरिक्त, अन्य विविध विधि-विषयक खर्चे भी शामिल हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा युद्धविराम रेखा पार किये जाने के समाचार

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनंदगाँव) : श्रीमन्, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा पार किये जाने के समाचार तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए और अधिक घुसपैठिये भेजने की पाकिस्तानी योजनाएं।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यद्यपि सरकार को विराम रेखा के उस पार, जम्मू व कश्मीर में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के लिए घुसपैठियों को भेजने की कुछ तैयारियों की जानकारी है, किन्तु उनको यह सूचना नहीं है कि पाकिस्तानी घुसपैठिये सीमा पार कर राज्य में आ गये हैं। केन्द्र की सेना तथा सुरक्षा बल और राज्य सरकार इस खतरे से अवगत हैं तथा इसके मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

श्री राम सहाय पाण्डे : माननीय मंत्री ने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि घुसपैठिये युद्ध-विराम रेखा पार कर रहे हैं। मैं नहीं समझ सका कि सरकार उनके साथ दृढ़ता से क्यों नहीं निपटती। पिछले तीन महीनों में कितने घुसपैठिये पकड़े गये तथा मारे गये हैं ?

ऐसे समाचार हैं कि पाकिस्तान में सैनिक अधिकारी अपने भाषणों में जम्मू और कश्मीर के हमारे नियंत्रणाधीन क्षेत्र पर कब्जा करने की धमकियाँ दे रहे हैं और तथाकथित कमाण्डों को छापामार प्रशिक्षण दे रहे हैं तथा उनको टुकड़ियों में युद्ध-विराम रेखा के पार इस ओर भेजने की योजना बना रहे हैं। सरकार के द्वारा इस चिन्ताजनक बात को गम्भीर रूप से न लिए जाने के क्या कारण हैं और पाकिस्तान की इन गतिविधियों का उचित उत्तर देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? पाकिस्तान सभी पश्चिमी देशों से हथियार प्राप्त कर रहा है। सरकार विश्व जनमत को इसके विरुद्ध करने में असफल रही है। क्या अमरीका के इस आश्वासन का कि इन हथियारों को भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा, विश्वास किया जा सकता है ? क्या बंगला देश से ध्यान हटाकर जम्मू और कश्मीर मोर्चे की ओर करने के लिए युद्ध-विराम व आस-पास यह गतिविधियाँ नहीं की जा रही हैं; क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान उच्चायुक्त के अधिकारी दिल्ली में शेख अब्दुल्ला और श्रीनगर में अफजल बेग से सम्पर्क नहीं बनाये हुए हैं और क्या इनकी सांठगांठ से घुसपैठ की योजना बनाई गई है ?

अध्यक्ष महोदय : अपने प्रश्नों को ध्यान दिलाने वाली सूचनायें विषय तक ही सीमित रखिए।

श्री राम सहाय पाण्डे : मेरा प्रश्न हथियार तथा गोला बारूद की सप्लाई तथा कुछ व्यक्तियों की सांठगांठ से घुसपैठ के लिए तैयारियाँ करने पर आधारित है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने अपने वक्तव्य में दिया है। मैंने कहा है कि हम घुसपैठ की धमकियों तथा खतरे से पूरी तरह अवगत हैं। मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ कि 1965 की अपेक्षा हम अधिक अच्छी तरह तैयार हैं। युद्ध-विराम रेखा के दूसरी ओर घटने वाली घटनाओं के बारे में हमारे पास पर्याप्त तैयारी है परन्तु उसको यहाँ सभा में पेश करना लोकहित में नहीं है। जहाँ तक इस संबंध में की जा

रही कार्यवाही का संबंध है, मैंने कहा है कि सेना, राज्य सुरक्षा दलों तथा केन्द्रीय सुरक्षा दलों के बीच पूर्ण समन्वय है, सारा कार्य इस प्रकार किया जा रहा है कि घुसपैठ का तुरन्त पता लग जायेगा। 1970 में 292 पाकिस्तानी राष्ट्रिक राज्य में आये थे जिनमें से 198 गैर-मुस्लिम थे। अत: हमें इस प्रकार से कार्यवाही करनी है कि हमें घुसपैठ का तुरन्त पता लग जाय तथा उनको गिरफ्तार किया जा सके।

श्री राम सहाय पाण्डे : मेरा प्रश्न यह था कि युद्ध-विराम रेखा पर क्या हो रहा है। भड़काने वाले भाषण किये जा रहे हैं और शेख अब्दुल्ला आदि से षड़यंत्र किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने पहले ही कहा है कि लोकहित की दृष्टि से मैं सारी जानकारी नहीं दे सकता।

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पहले भी कश्मीर में घुसपैठ से हमारे देश की सुरक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा था। तब घाटी के सामरिक महत्व के विभिन्न स्थानों से हथियार तथा गोला बारूद मिला था। इनकी योजना थी कि कश्मीर में गड़बड़ की जाये जिससे पाकिस्तान आसानी से काश्मीर पर कब्जा कर सके। हाल ही में कश्मीर में अलबारक नाम के एक गिरोह का पता लगा है जिसमें प्लेबिसाईट फ्रन्ट जैसे स्थानीय संगठनों का हाथ था। कश्मीर के मुख्य मंत्री ने हाल ही में यह आरोप लगाया है कि केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी तथा राज्य में काम कर रही अन्य एजेन्सियों में कोई समन्वय नहीं है। पाकिस्तान लोगों का ध्यान बंगला देश से हटाना चाहता है और इसलिए कश्मीर में गड़बड़ कराना चाहता है। चीन पाकिस्तानियों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षण दे रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस खतरे का सामना करने हेतु कश्मीर में सभी अभिकरणों को मिलाकर एक अभिकरण बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? अपने क्षेत्र में घुसपैठियों को घुसने से रोकने के लिए तथा महत्वपूर्ण संस्थानों में उनके आक्रमण को रोकने तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों से स्थानीय संगठनों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : गुप्तचर विभाग की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है तथा विभिन्न एजेन्सियों में अधिक समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जहाँ तक तोड़फोड़ की गतिविधियों का संबंध है घुसपैठ को रोकने तथा राज्य में गुप्तचर विभाग की गतिविधियों को तेज करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्य मंत्री ने 24-3-71 को राज्य विधान सभा में कहा था कि गत कुछ वर्षों में 80 पाकिस्तानी सैलों को खत्म किया गया है। मुख्य मंत्री ने यह भी कहा है कि 1965 में 281 राइफलें तथा 0·303, 302 12 बोर बन्दूकें, 8 स्टेनगन, 44 रिवाल्वर और 51 हथगोले, 91,000 अन्य हथियार तथा 1,600 विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ पकड़े हैं।

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK (Rohtak): Due to the wrong policies of the Government, the country is facing great problems. Daily our jawans are being killed on Bangla Desh border and our Check Posts are being attacked by Pakistanis. Timely help is not provided to our iawans. All this shows that our intelligence is very poor. It should be strengthened. May I know whether Government can rely on the news of the villagers or village chowkidars and whether Government have any check on them also to get the news confirmed?

SHRI K. C. PANT : I agree with the suggestion that intelligence should be strengthened.

In 1965 a 'Gujar' gave the news of infiltrators. Therefore, we should not doubt the loyalty of the people.

DR. LAXMINARAIN PANDEY (Mandsaur) : The Pakistan has indirectly attacked India by throwing lakhs of refugees out of Bangla Desh. This has adversely affected our economy. May I know the activities of the Liberation Front in Kashmir and whether it is helping the infiltrators ? May I know the name of the leader of this Front ? May I know whether he is not the same man who is known as Makbul Butt and who once escaped from the jail with the connivance of the jail officials ? May I know whether our Government will act in the same manner in which Pakistan Government has acted in giving death sentence to our two persons named Madhusudan and Krishan Chandra ? I would also like to know the steps taken by Government to drive away the infiltrators from our territory ?

SHRI K. C. PANT : So far as the question relating to Liberation Front is concerned the hon. Member has to give a separate notice for it.

We take action against the infiltrators according to the law of the land. About 23 cases are sub-judice. Some people have already been convicted.

श्री नरेन्द्रकुमार सांघी (जालोर) : पाकिस्तान लोगों का ध्यान इस बात की ओर दिलाने के लिए कि पूर्वी बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का भी हाथ है भारत के साथ झगड़ा करने का प्रयास कर रहा है। 1947 में पाकिस्तान ने सर्वप्रथम सशस्त्र घुसपैठिए भेजे थे। 1963 में पवित्र बाल की चोरी भी घुसपैठियों द्वारा की गई थी। 1965 में भी सर्वप्रथम घुसपैठियों ने ही आक्रमण किया था। क्या माननीय मंत्री को पता है कि सिकन्दर शाह ने अपने दो हजार छापामारों के साथ अपनी गतिविधियों का केन्द्र कश्मीर को बना लिया है। यह पीर पिगारों के उत्तराधिकारी हैं। क्या सरकार को पता है कि चकधारा में एक गिरजा में जनजाति लोगों ने कश्मीर पर आक्रमण का आह्वान दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि युद्ध-विराम रेखा के उस पार घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए मुझे बाध्य न किया जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 897 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नवाँ संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 898 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—609/71.**]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आदेश

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं श्री ललित नारायण मिश्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 324 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी०—610/71.**]

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—611/71.**]

अध्यक्ष महोदय : किसी अन्य मंत्री की ओर से खड़ा हो जाने की प्रथा का मैं अनुमोदन नहीं करता हूँ। आगे से इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई मंत्री अनुपस्थित होना चाहता है तो उसे हमें पत्र लिखना चाहिए।

ढला लोहा प्रवेश छिद्र ढक्कन और ढाँचे का निर्यात (पर्यवेक्षण) नियम, 1971

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निर्यात (किस्म नियंत्रण और पर्यवेक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ढला लोहा प्रवेश छिद्र ढक्कन और ढाँचे का निर्यात (पर्यवेक्षण) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2155 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—612/71.**]

पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : RAILWAY ACCIDENT IN THE SEALDAH DIVISION OF EASTERN RAILWAY

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहले प्रथा यह थी कि जिन घटनाओं में जानमाल की क्षति होती थी हमें उनके बारे में स्थगन प्रस्ताव तथा निन्दा प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाती थी। गत छः महीनों में अनेक घटना हो चुकी हैं, यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। रेल दुर्घटनाओं में 49 व्यक्तियों की जान गई है। अब रेल मंत्री अपना वक्तव्य पढ़ेंगे और फिर उसको सभा पटल पर रख दिया जायेगा। इससे हमें प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा। मैंने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : हम स्थगन प्रस्ताव की अनुमति इसलिए नहीं देते कि बजट तथा माँगों पर चर्चा के दौरान पर्याप्त अवसर मिल जाता है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मौहम्मद शफ़ी कुरैशी) : महोदय, मैं बड़े दुख के साथ सदन को एक दुर्भाग्यपूर्ण गाड़ी दुर्घटना की सूचना दे रहा हूँ। यह दुर्घटना 6-7-71 को पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल के होटर और मगराहाट स्टेशनों के बीच हुई।

2. 5-7-71 को शाम के 7 बज कर 25 मिनट से होटर और मगराहाट स्टेशनों के बीच (तार, टेलीफोन और ब्लॉक) संचार व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गयी थी। ऐसी परिस्थिति में 6-7-71 को सवेरे के लगभग 3 बजकर 40 मिनट पर उपर्युक्त प्रत्येक स्टेशन से एक खाली इंजन रवाना किया गया। ये दोनों खाली इंजन सवेरे के लगभग 4 बजे इन स्टेशनों के बीच के ब्लाक खण्ड पर आमने-सामने से टकरा गये।

3. इसके तुरन्त बाद सवेरे के लगभग 4 बजकर 40 मिनट पर नं० एस० डी०—103 डायमंड हार्बर–सियालदह लोकल गाड़ी (8 डिब्बों वाली बिजली गाड़ी) मगराहाट स्टेशन की ओर से ब्लाक खण्ड में प्रविष्ट हुई। यह गाड़ी लगभग 5 बजे सवेरे अप खाली इंजन से टकरा गयी।

4. दोनों खाली इंजनों के बीच टक्कर होने के कारण डाउन खाली इंजन का ड्राइवर और दो फायरमैन तथा एक अतिरिक्त गार्ड जो उस इंजन में सफर कर रहा था मर गये। अप खाली इंजन का दूसरा फायरमैन भी मर गया। अप खाली इंजन के पहले फायरमैन को गम्भीर चोटें आयीं।

5. डायमंड हार्बर–सियालदह लोकल गाड़ी और अप खाली इंजन के बीच हुई बाद की टक्कर के फलस्वरूप लोकल गाड़ी के मोटरमैन और उस गाड़ी में सफर करने वाले दस यात्रियों की मृत्यु हो गयी। अन्य 24 व्यक्तियों को, जिनमें पाँच रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं, चोटें आयीं। इनमें से 9 व्यक्तियों की चोटें गम्भीर बतायी जाती हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण गाड़ी का मलवा हटाया जा रहा है और हो सकता है उसके नीचे कुछ और लाशें मिलें।

6. दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही रेलवे डाक्टरों और रेलवे अधिकारियों सहित एक चिकित्सा यान सियालदह से तत्काल रवाना कर दिया गया। घायल व्यक्तियों की प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उन्हें आगे चिकित्सा के लिए अस्पतालों में भेज दिया गया।

7. रेलवे बोर्ड के सदस्य (यातायात) और पूर्व रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये और उन्होंने अस्पतालों में घायलों को देखा। मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान कर दिया गया है।

8. कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त इस दुर्घटना की सांविधिक जाँच करेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : आप हमें एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या आप इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस मामले की न्यायिक जाँच कराइये।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

चाय बोर्ड

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि चाय निगम, 1954 के नियम 4(1)(ख) के साथ पठित, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की माँगें, 1971–72

DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1971-72 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
57	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	21,57,000
58	प्रसारण	10,96,61,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,74,14,000
129	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	8,13,64,000

*** श्री मनोरंजन हाजरा** (आरामबाग) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का विरोध करता हूँ क्योंकि यह बजट भी पहले बजटों जैसा ही है, और इसमें कोई अन्तर नहीं है।

चुनावों में विजयी होने के बाद भी सत्ताधारी दल ने अपनी सूचना और प्रसारण संबंधी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अभी भी समाचार-पत्रों पर पूंजीपतियों का एकाधिकार है और अभी भी उन पत्रों को समर्थन दिया जाता है जो पूँजीपति देशों के प्रभाव में हैं।

"इण्डियन एक्सप्रेस" भारत में कई जगह से प्रकाशित होता है तथा उसका सम्पादन मण्डल भी एक ही है पर वह अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कम्पनियों के अन्तर्गत निकलता है। ऐसा इस कारण होता है कि उन्हें पत्रकारों की उचित माँगों को पूरा न करना पड़े। उसने राष्ट्रीयकृत बैंक को 37 लाख रुपये का धोखा भी दिया। उस संबंध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच भी की गई है, पर वास्तव में उसका क्या परिणाम निकला यह ज्ञात नहीं हो सका।

"टाइम्स आफ इन्डिया" समाचार-पत्र का प्रबन्ध करने वाली बैनट कॉलमैन कम्पनी से यद्यपि श्री शान्ति प्रसाद जैन अब सीधे संबंधित नहीं हैं, उसके प्रबन्ध मण्डल में सरकारी अधिकारी भी हैं पर फिर भी श्री जैन पिछले 8 वर्षों से अवैध रूप से बेहिसाब लाभ कमा रहे हैं। उनके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है पर यह नहीं पता कि उसका क्या हुआ।

"स्टेट्समैन", "हिन्दू", "नेशनल हैरल्ड", "अमृत बाजार पत्रिका", "बसुमति" आदि

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on the English translation of the speech delivered in Bengali.

सभी समाचार-पत्र क्योंकि अब सरकार का समर्थन करते हैं, इसलिए उनके द्वारा की गई अनेक प्रकार की अनियमितताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसा क्यों हो रहा है ?

दूसरी ओर, छोटे और मध्यम दर्जे के पत्रों को पूरा अखबारी कागज नहीं मिलता है। उन्हें विज्ञापन नहीं मिलते हैं। बड़े पत्रों को विज्ञापन अधिक दर पर दिये जाते हैं। पत्रों के मूल्यों का निर्धारण पृष्ठों के आधार पर किया जाना चाहिए, अन्यथा बड़े पत्रों से छोटे पत्र प्रतियोगिता नहीं कर पायेंगे।

अखबारी कागज का आबंटन करने में भी छोटे और बड़े पत्रों के बीच पक्षपात बरता जाता है। छोटे पत्रों को तो कागज मिलता नही हैं, परन्तु बड़े पत्र उसे काले बाजार में बेचते हैं।

आकाशवाणी सत्ताधारी दल के ही अधिकार में है। वह पक्षपात से अछूता नहीं है। वह सत्ताधारी दल का पक्ष लेता है। उससे संबंधित समाचार बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किए जाते हैं जबकि विरोधी दलों का जिक्र तक नहीं किया जाता, और यदि किया जाता है तो उनमें उसे कुछ ऐसी बातों के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं। अतः प्रधान मंत्री को चाहिए कि वह इस मंत्रालय में समुचित सुधार लायें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की माँगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
57	1	श्री सरोज मुखर्जी	समाचारों के प्रसारण में गुटनिरपेक्षता की घोषित नीति पर अमल करने में असफलता और इस प्रकार विरोधी दलों, विशेष रूप से भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के समाचारों को दबाना।	100 रु०
57	2	,,	कल्याणगढ़ (पश्चिम बंगाल) में स्थानीय पुलिस द्वारा तीन किसानों के मारे जाने के समाचार को 20-5-1971 का तोड़-मरोड़ कर प्रसारित किया जाना।	100 रु०
57	6	श्री था किरुतिनन	58 वर्ष की आयु के बाद अधिकारियों का सेवा-काल न बढ़ाने की आवश्यकता, जबकि विभाग में बहुत से लोगों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं हैं और बाहर बहुत बेरोजगारी है।	100 रु०

1	2	3	4	5
57	7	श्री था किरुतिनन	'कल्याण संबंधी समिति' की सिफारिशों को विशेष रूप से आकाशवाणी के ड्राफ्ट्समैनों से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता।	100 रु०
57	8	,,	नगरों से बहुत दूर स्थित उच्च शक्तिशाली ट्रांसमीटरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये बिना किराये के आवास की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रु०
57	9	,,	जब तक वर्तमान सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति नहीं हो जाती तब तक सहायक स्टेशन इंजीनियरों की सीधी भर्ती को 50 प्रतिशत तक सीमित रखने की आवश्यकता।	100 रु०
57	10	,,	अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी में एक यूनिट खोलने की आवश्यकता।	100 रु०
57	11	,,	अच्छे प्रशासन के लिए, डाक और तार विभाग तथा रेलवे की भाँति आकाशवाणी को एक बोर्ड में परिवर्तित करने की आवश्यकता।	100 रु०
57	12	,,	कार्यक्रम अधिकारियों के साथ उनकी वरिष्ठता के अनुसार, इंजीनियरिंग अधिकारियों को आकाशवाणी के स्टेशनों का प्रमुख बनने के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता।	100 रु०
58	13	,,	तमिलनाडु में स्टूडियो की सुविधाओं सहित आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने में असफलता।	100 रु०
58	14	,,	तमिलनाडु में कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली में स्टूडियो की सुविधाएं उपलब्ध करने में असफलता।	100 रु०
58	15	,,	मदुरै में जो तमिल संस्कृति का केन्द्र है तथा तमिलनाडु के मध्य में स्थित है, रेडियो स्टेशन स्थापित करने में असफलता।	100 रु०
57	16	,,	दक्षिण पूर्व एशिया के श्रोताओं के लिए आवाडी में 100 किलोवाट सूक्ष्म तरंग ट्रांसमीटरों से तमिल कार्यक्रम की अवधि में वृद्धि करने की आवश्यकता।	100 रु०

1	2	3	4	5
58	17	श्री था किरुतिनन	मद्रास और त्रिचि से व्यापार प्रसारणों में तमिल कार्यक्रमों की अवधि में वृद्धि करने की आवश्यकता।	100 रु०
58	18	,,	नमूने के उपकरणों के निर्माण के लिए, जिनमें विदेशी मुद्रा की बचत हो सके, आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग का विस्तार करने की आवश्यकता।	100 रु०
59	19	,,	सूचना विभाग द्वारा तैयार किये गये समाचार दर्शन कार्यक्रमों में तमिलनाडु संबंधी सूचना को उचित महत्व देने में असफलता।	100 रु०
59	20	,,	दिल्ली से प्रसारित किये जाने वाले तमिल समाचार बुलेटिन में तमिलनाडु संबंधी समाचारों के लिए अधिक समय देने में असफलता।	100 रु०
59	21	,,	दिल्ली तथा तमिलनाडु स्टेशनों से तमिल कार्यक्रमों के प्रसारणों में संस्कृतनिष्ठ तमिल शब्दों की बजाय शुद्ध तमिल शब्दों का प्रयोग करने में असफलता।	100 रु०
129	22	,,	मद्रास में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने में असफलता, जिसके लिये तमिलनाडु सरकार ने मुफ्त जमीन दी है जबकि अन्य राज्यों ने उसके लिए रुपया लिया है।	100 रु०
57	23	डा० लक्ष्मी नारायण पांडे	मध्य प्रदेश में मंदसौर और जगदलपुर में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने में विलंब।	100 रु०
57	24	,,	समाचार प्रसारणों के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ किये जाने वाले भेद-भाव को बन्द करने में असफलता।	100 रु०
57	25	,,	समाचार प्रसारणों तथा अन्य प्रसारणों में हिन्दी की उपेक्षा को रोकने में असफलता।	100 रु०
57	26	,,	समाचार-पत्रों पर बढ़ते हुए सरकारी दबाव को रोकने में असफलता।	100 रु०
57	27	,,	आकाशवाणी को अधिक लोकप्रिय तथा निष्पक्ष बनाने में असफलता।	100 रु०

1	2	3	4	5
57	28	श्री लक्ष्मीनारायण पांडे	आकाशवाणी को निगम का रूप देने में असफलता।	100 रु०
57	29	,,	आकाशवाणी को सरकारी दबाव से मुक्त रखने में असफलता।	100 रु०
129	31	,,	मध्य प्रदेश में एक टेलीविजन (दूरदर्शन) केन्द्र स्थापित करने में विलम्ब।	100 रु०
57	3	श्री मनोरंजन हाजरा	समाचार-पत्रों पर एकाधिकारवादी-नियंत्रण को रोकने की आवश्यकता।	100 रु०
57	4	,,	कलकत्ता के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक 'बसुमति' को पुनः चालू करने के लिए कार्यवाही करने में असफलता।	100 रु०
57	5	,,	आकाशवाणी के पक्षपात पूर्ण रवैये को रोकने में असफलता।	100 रु०
57	32	श्री बालतन्डायुतम	विज्ञापन संबंधी नीति में राजनीतिक भेदभाव।	राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाए।
57	33	,,	चूंकि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, इसलिए रेडियो से धार्मिक प्रचार को रोकने में असफलता।	
57	34	,,	प्रेस पर एकाधिकारपूर्ण नियंत्रण को रोकने में असमर्थता।	
57	35	,,	मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों को पर्याप्त सहायता देने में असफलता।	
57	36	,,	चलचित्रों के निर्माण के लिए, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में, अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	100 रु०
57	37	,,	देश में निर्मित अथवा आयातित अश्लील चलचित्रों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता।	100 रु०
57	38	,,	चक्रानुक्रम में राज्य मुख्यालयों में चलचित्र समारोह आयोजित करने की आवश्यकता।	100 रु०
57	39	,,	मद्रास में एक चलचित्र संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रु०
57	40	,,	मद्रास में एक दूरदर्शन (टेलीविजन) केन्द्र स्थापित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता।	100 रु०

1	2	3	4	5
57	41	श्री बालतन्डायुतम	युवा तथा प्रगतिशील कलाकारों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रु०
57	42	,,	विकासशील देशों के सहयोग से एक स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय समाचार अभिकरण स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रु०
57	43	,,	अखबारी कागज का अधिक समतापूर्ण नियतन करने की आवश्यकता ।	100 रु०
57	44	,,	कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रु०

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR (Durg) : In view of the importance of the Ministry of Information and Broadcasting, Government should review its policy regarding the release of news. Due to the present recruitment rules, good and experienced journalists cannot enter the service of Press Informetion Bureau. The age-limit fixed is very low. It should be relaxed.

Before posting Press Attaches in foreign missions, they should be asked to work in Press Information Bureau, so as to have first hand knowledge about India.

A number of departments of the Government of India are bringing out some publication or the other. In certain cases material is published by two or more departments which is centradictory to each other. To avoid this thing and also to avoid duplication of expenditure, a committee should be appointed under the Cabinet Secretariat to go through all these aspects and to find out the areas of duplication.

In comparison with English papers, the vernacular papers are getting quite less advertisements, whereas they reach the remotest parts of the country.

Publications regarding village life and agriculture should be brought out for giving upto-date information to the rural people. Arrangements should be made to send literature regarding the policies of the Government to the village panchayats in the country, so that the villagers can have upto-date information regarding the latest policies of the Government. Our Government is not even spending that much of amount as the foriegn missions of America and Russia are spending on publicity in the villages of India.

The Indian language newspapers should be given sufficient newsprint. In the absence of newsprint they are not in a position to increase their number of pages.

It is being heard for a long time that Central Government is going to set up a corporation for Newspapers, but the policy of the Government has not become clear so far. Government should take early steps in this regard so that freedom of Press is maintained.

Many a time complaints are received that equal treatment is not accorded to all News Agencies. Government should treat alike all the News Agencies.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : राष्ट्रीय विकास में इस मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस मंत्रालय के सुचारु कार्यकरण पर देश की सफलता और असफलता निर्भर करती है। इस मंत्रालय का संबंध न केवल समाचार-पत्रों और प्रकाशनों से है अपितु फिल्मों से भी है।

फिल्मों के लिए हमारे देश में एक फिल्म सेंसर बोर्ड है। इस बोर्ड द्वारा अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। इसके कार्य को देखने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि शालीनता और अश्लीलता का निश्चय करने की इसकी कसौटी क्या है। ऐसी अनेक फिल्मों के नाम बताये जा सकते हैं जिनका वर्गीकरण सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किया गया है परन्तु उन्हें देख कर यही प्रतीत होगा कि उनमें तथा केवल "वयस्कों के लिए" फिल्मों में कोई अन्तर नहीं है। फिल्म सेंसर के कार्य में न केवल गलत तरीके ही अपनाये जा रहे हैं बल्कि इस ओर लापरवाही भी बरती जा रही है। आज की फिल्में सामाजिक जीवन की यथार्थ स्थिति का चित्रण नहीं करतीं। यदि इस विभाग द्वारा अपना कार्य ठीक प्रकार से किया जाये तो राष्ट्रीय संस्कृति का सही रूप सामने आ सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन किया जाना चाहिये। इसमें विश्वविद्यालयों के युवकों, युवक संगठनों तथा देश के बुद्धि-जीवियों को प्रतिनिधित्व दिया जाये जिससे वह यह निर्णय कर सकें कि युवा समाज के लिए क्या अच्छा व क्या बुरा है। फिल्में सामाजिक जीवन का वास्तविक चित्रण करें और मंत्रालय द्वारा प्रदर्शकों एवं वितरकों के लिए भी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जाएँ ताकि सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास का प्रदर्शन करने वाली फिल्मों का ही प्रदर्शन हो।

यह बहुत ही दु:ख की बात है कि कलकत्ता के फिल्म उद्योग को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय संसाधनों एवं अन्य कठिनाइयों के कारण कलकत्ता के 16 स्टूडियो में से 13 स्टूडियो बन्द हो चुके हैं। यदि हम फिल्मों के स्तर की ओर देखें तो पता लगेगा कि अपने देश में तथा विदेशों में अधिकतर बंगाली फिल्में ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। परन्तु फिर भी फिल्म वित्त निगम बम्बई और मद्रास के स्टूडियो और निर्देशकों एवं वितरकों के हितों को ही प्राथमिकता देता है। यदि यह भेदभावपूर्ण नीति चलती रही हो पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

फिल्मों के वितरण के बारे में भी कोई नियत प्रक्रिया होनी चाहिये। फिल्मों का प्रदर्शन सेंसर बोर्ड द्वारा उनके पास होने की तिथि के अनुसार होना चाहिये जैसा अब होता है वैसा नहीं होना चाहिये कि कब और कौन सी फिल्म का प्रदर्शन किया जाये इस का निर्णय प्रदर्शक और वितरक ही करें। इससे अच्छी एवं कलात्मक तथा सांस्कृतिक फिल्मों के विकास में बाधा आती है क्योंकि वितरकों आदि द्वारा काफी समय तक ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन नहीं होने दिया जा सकता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रकाशन विभाग का कार्य बड़े सुचारु ढंग से चल रहा है। परन्तु एक बात अवश्य है कि प्रकाशन विभाग को ऐसे प्रयास करने चाहिये कि महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष आदि राष्ट्रीय नेताओं का साहित्य विद्यार्थियों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सके। यदि माओ के विचारों की पुस्तक हमारे बाजार में युवकों को चार चार आने में मिल सकती

है तो नेताजी सुभाष बोस, सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचार युवकों को उपलब्ध करवाने ही होंगे अन्यथा हम उल्टी दिशा के विचारों का युवकों में प्रसार नहीं रोक सकेंगे और यह काम प्रकाशन विभाग द्वारा ही किया जा सकता है।

आकाशवाणी का प्रबन्ध ठीक प्रकार से नहीं चल रहा। वास्तव में आकाशवाणी में योग्य कलाकारों की उपेक्षा की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले महापुरुषों से अनभिज्ञ हैं। जब किसी महापुरुष की शताब्दी मनाई जाती है तब लोगों को उस महापुरुषों के बारे में पता लगता है। इस मंत्रालय को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि देश के स्वाधीनता आन्दोलन तथा सुभाष, गांधी जैसे नेताओं के जीवन के संबंध में फिल्में बनाकर सस्ते दामों पर लोगों को दिखाई जायें। आकाशवाणी के कार्यक्रमों के द्वारा भी अपने सुनहरे भूतकाल के बारे में लोगों को बताया जा सकता है।

SHRI K. M. MADHUKAR (Kesaria) : Although Prime Minister herself is incharge of this Ministry and it has two other young Ministers, yet this Ministry is in a deplorable state. It is most regrettable. It has most important organs like A. I. R., Information Department, which affect day to day life of the citizen, still it is not working in a proper way. Officers are corrupt and they work in a bureaucratic manner.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

0·6 percent amount of the total budget allocation has been ear-marked for this Ministry during the year 1971-72. The Government has adopted Socialism as its aim. The whole society has to be prepared for that end. I feel that the Ministry may not be able to achieve the goal with so meagre allocations at its disposal.

Staff Artistes are the real executors of all programmes of A. I. R., but they have no say in the formulation of programmes. They are being exploited by bureaucrats. They do not have any incentives. Due to this dominance of bureaucracy A. I. R has become breeding ground of corruption. Favouritism is shown in the matter of transfers, making selection of commentators for covering sports activiites in foreign countries.

'Vividh Bharati' programme used to be relayed from Bombay. But lakhs of rupees were spent and it was transferred to Delhi and it is now again being transferred from Delhi. Government should see that money is not spent unnecessarily in this manner. A.I.R should be freed from the hold of bureaucrats.

Government should see that promotions in Central Information Service are given on the basis of seniority and experience. Similarly, service conditions of staff artistes should also be improved.

Press Council has been set up for working Journalists but it has not proved effective because of monopoly control of Press Trust of India and such other News Agencies. Government should, therefore, consider giving representation on Press Council to Indian Federation of Working Journalists. Press Council of India in the present form is merely a Press Council of Delhi. Proper steps, including amendment of the Act, should be taken to give representation to journalists of all States and all languages.

Corruption is rampant in Films Division also with the result that big producers of films can get any film cleared from the Censor Board. Government should appoint a committee consisting of Members of Parliament to look into the corruption prevalent in different organs of this Ministry and the working conditions of staff artistes.

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड) : समाचार-पत्र वित्त निगम स्थापित करने का निर्णय समर्थनीय है। परन्तु पिछली लोक सभा के भंग हो जाने के कारण इस प्रयोजन के विधेयक को फिर से पेश करना आवश्यक हो गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा छोटे एवं मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को एकाधिकार का सामना करने योग्य बनाने के लिए समाचार-पत्र वित्त निगम की शीघ्र स्थापना करना बहुत जरूरी है।

देश में जहाँ एक ओर समाचार-पत्रों के पाठकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, वहाँ दूसरी ओर एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ भी बढ़ रही हैं और सरकार उन्हें रोकने में सफल नहीं रही है। वस्तुतः सरकार ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। यदि सरकार ने प्रेस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया होता तो इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ होता।

यह स्थिति समाचार-पत्रों तक ही सीमित नहीं है परन्तु समाचार एजेन्सियों के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। वहाँ पर भी पैसे का ही बोलबाला है। छोटे समाचार-पत्र समाचार एजेन्सियों को चन्दा देने में असमर्थ होते हैं क्योंकि चन्दे की दरें उनकी पहुँच से बाहर होती हैं।

सरकार की ओर से भी छोटे समाचारपत्रों और भाषायी समाचार एजेन्सियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। प्रादेशिक समाचार प्राप्त करने के लिए आकाशवाणी द्वारा बड़ी समाचार एजेन्सियों को बहुत अधिक पैसा दिया जाता है जबकि भाषायी एजेन्सियों से यदि प्रादेशिक समाचार लेने के प्रयास किये जायें तो एक ओर जहाँ उनके समुचित विकास में यह सहायक होंगे वहाँ आकाशवाणी को भी कम पैसा व्यय करना पड़ेगा।

स्वतंत्रता के 23 वर्षों में देश में अखबारी कागज बनाने की दिशा में उचित प्रयास नहीं किये गये जिसका परिणाम यह है कि हमें प्रायः आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अखबारी कागज बनाने के लिए देश में और कारखाने लगाये जाने चाहियें। हमारे देश में बहुत सी चीनी मिलें हैं। उनसे उपलब्ध होने वाली खोई से अखबारी कागज बनाया जा सकता है। इस दिशा में हमें शीघ्र ही ठोस कार्यवाही करनी चाहिये जिससे आयात पर निर्भरता कम होकर अखबारी कागज अधिक मात्रा में स्वदेश में ही उपलब्ध हो सके।

दिवाकर समिति की सिफारिशों के अनुसार छोटे एवं मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को अधिक विज्ञापन देने की दिशा में कुछ सुधार तो अवश्य हुआ है पर यह पर्याप्त नहीं है। भाषायी समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों का अनुपात तो बढ़ गया है परन्तु छोटे और माध्यमिक समाचार-पत्रों को अभी भी कुल 50 करोड़ के विज्ञापनों में से केवल चार प्रतिशत ही दिये जा रहे हैं। सरकार को इस स्थिति को सुधारना चाहिये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जो विज्ञापन दिये जाते हैं, वह भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से दिये जाने के अनुदेश जारी होने चाहियें जिससे कि वे विज्ञापन भी छोटे व मध्यम समाचार-पत्रों को उचित

अनुपात से मिल सकें । इन उपक्रमों की विज्ञापन-नीति में भी परिवर्तन होना चाहिये । लोक सेवा आयोग, परिवार नियोजन, उर्वरकों संबंधी विज्ञापन अंग्रेजी के बड़े-बड़े समाचार-पत्रों की अपेक्षा भाषायी समाचार-पत्रों में अधिक उपयोगी हैं क्योंकि ये समाचार-पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचते हैं ।

आकाशवाणी के कार्यकरण में बहुत कमियाँ एवं त्रुटियाँ हैं । वास्तव में प्रसारण तो एक व्यवसाय है । अतः इसे नौकरशाही के नियंत्रण में नहीं होना चाहिये । दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र का विस्तार किया जाये । टेलीविजन के परिसर में विस्तार के साथ-साथ इसके कार्यक्रम के समय को भी बढ़ाया जाये । देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए गीत तथा नाटक प्रभाग काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है । परन्तु इस प्रभाग के कलाकारों की सेवा-शर्तों व नियमों में सुधार की आवश्यकता है ।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : लोकतन्त्र तथा जन-सम्पर्क के सभी महत्वपूर्ण अंगों के साथ इस मंत्रालय का संबंध है । परन्तु दुख की बात है कि हम समाचार-पत्र को संस्था के रूप में मानते हैं जबकि अन्य उद्योगों की तरह यह भी एक उद्योग है । अतः अन्य उद्योगों की तरह सरकार को इस उद्योग पर भी नियंत्रण लगाने चाहियें । आज के समाचार-पत्र उद्योग में भी एकाधिकार की स्थिति व्याप्त है । सरकार इस स्थिति के प्रति न केवल उदासीन है अपितु एकाधिकारी हितों पर परदा भी डाल रही है ।

मेरे माननीय मित्र ने मूल्यानुसार पृष्ठ संख्या संबंधी पुस्तिका का उल्लेख किया है । समाचार-पत्रों में एकाधिकारी हितों को कम करने का एक तरीका यह भी है कि मूल्यों के अनुरूप ही पृष्ठ संख्या के सिद्धान्त में भी परिवर्तन किया जाये । हमें मालूम है कि यह तरीका उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, परन्तु इस दल को चुनाव में मत इस आश्वासन पर दिये गये थे कि वह संविधान में उचित संशोधन करेगा । इस प्रकार के कानून के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सम्भवतः प्रधानमंत्री इसे स्पष्ट करेंगी ।

परन्तु इसके साथ ही कुछ बातें ऐसी भी हैं जोकि हम वर्तमान संविधान के अन्तर्गत भी एकाधिकार की प्रवृत्ति को कम करने के लिए कर सकते हैं । उदाहरणार्थ, संविधान के अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत समाचार-पत्रों में दिये जाने वाले विज्ञापनों पर कर लगाया जा सकता है । यह कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जा सकता है, राज्य सरकारों को दिया जा सकता है । अभी तक इस दिशा में कुछ भी कार्य नहीं किया गया । पाँचवे वित्त आयोग ने भी सिफारिश की है कि इस माध्यम से प्रत्यक्षतः पर्याप्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सरकार ऐसा करने से हिचकिचाती क्यों है । इसी संबंध में मैंने मंत्री महोदय से एक प्रश्न भी पूछा था जिसके उत्तर में उन्होंने बताया था कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । अब हमें आशा थी कि बजट में इसके लिए कुछ किया जायेगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ । अतः सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि आखिर इस प्रकार की हिचकिचाहट का कारण क्या है ?

आज बड़े-बड़े एकाधिकार-प्राप्त समाचार-पत्रों को जीवन बीमा निगम से बहुत अधिक

सहायता मिल रही है। मेरा विचार है कि इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि किस प्रकार बड़े-बड़े समाचार-पत्र जीवन बीमा निगम से धन प्राप्त करके, उसका उपयोग कर, एकाधिकार बनाते चले जा रहे हैं।

इसके साथ ही मेरे मित्र ने पी० टी० आई० और यू० एन० आई० का उल्लेख भी किया है। यह सुझाव दिया गया है कि पी० टी० आई० को एक निगम अथवा ट्रस्ट में परिणत कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। पी० टी० आई० पर भारत के सभी समाचार-पत्रों का नियंत्रण है और वे सभी इसका प्रबन्ध कार्य संभालते हैं। परन्तु यदि इसका स्वामित्व सरकार द्वारा ले लिया जाता है तो पी० टी० आई० की स्वामित्व प्रणाली और स्वरूप दोनों में ही परिवर्तन हो जायेगा। इसके साथ ही जब तक समाचार-पत्रों में एकाधिकार की प्रवृत्ति नहीं बदलती तब तक पी० टी० आई० अथवा यू० एन० आई० को एक निगम का रूप देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है जबकि हमें दूसरा प्रेस आयोग स्थापित करना चाहिए। यद्यपि इसकी स्थापना के बारे में सदन में कहा जा चुका है परन्तु यह खेद की बात है कि अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह कब तक इसकी स्थापना कर रही है ?

मेरे पूर्व वक्ता, श्री पाटिल ने छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ। समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 समाचार-पत्र ऐसे हैं जोकि सरकारी विज्ञापनों से होने वाली आय का 75 प्रतिशत भाग ले लेते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने के संबंध में कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। तामिल और मलयालम भाषाओं के सभी समचार-पत्रों की सम्मिलित परिचालन संख्या हिन्दी में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार-पत्रों की परिचालन संख्या के बराबर है परन्तु तामिल और मलयालम के समाचार-पत्रों को सरकार के कुल विज्ञापनों में से केवल 3·5 प्रतिशत विज्ञापन प्राप्त होते हैं जबकि हिन्दी के समाचार-पत्रों को यह विज्ञापन 20·85 प्रतिशत प्राप्त होते हैं। अतः सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिए।

अब जरा चल-चित्र उद्योग को लीजिये। यह उद्योग लगभग नष्ट हो रहा है। प्रत्येक वर्ष लगभग 130 करोड़ रुपये बाक्स आफिस धनराशि के रूप में एकत्रित किये जाते हैं। कर तथा अन्य खर्चा निकाल कर चलचित्र निर्माता को केवल 15 प्रतिशत धनराशि प्राप्त होती है जबकि आज चलचित्र के निर्माण पर करोड़ों रुपये व्यय किये होते हैं। परन्तु जिस उद्योग से 130 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होती है, उसके प्रोत्साहन के लिए कोई वित्तीय संस्थान नहीं है। वैसे नाम को तो हमने चलचित्र वित्त निगम की स्थापना की है परन्तु कोई भी निर्माता इससे ऋण नहीं माँगता, क्योंकि वहाँ उसे समय, शक्ति और पैसा तीनों बर्बाद करने पड़ते हैं। चलचित्र निर्माताओं ने इस निगम के इस समय 82·21 लाख रुपये वापिस करने हैं। इस निगम का कुल निवेश एक करोड़ रुपये का है। मेरा विचार है कि यदि सरकार वास्तव में चलचित्र उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है और वह चलचित्र वित्त निगम को सफल बनाना चाहती है तो उसे वाणिज्यिक

उपक्रमों के लिए भी ऋण देना चाहिए और साथ ही अपनी ऋण की शर्तों को भी कुछ नरम करना चाहिए ।

फिल्म परिषद के बारे में इस संसद में बहुत समय नष्ट किया जा चुका है । कई मंत्रियों ने कई बार यह आश्वासन दिया है कि अगली वर्ष ऐसी परिषद की स्थापना की जायेगी । परन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला । अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ । कुछ समय पूर्व तक योजना की रूपरेखा अवश्य तैयार की गई थी जिसमें कहा गया था कि फिल्म परिषद के 29 सदस्य होंगे जिनमें से अधिकांश सदस्य सरकारी अभिकर्त्ता और सरकार द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति होंगे । परन्तु अभी तक इसके बारे में और कुछ सुनने में नहीं आया । सरकार निरन्तर इस उद्योग की उपेक्षा करती आ रही है । सरकार को यह बताना चाहिए कि चलचित्र परिषद का गठन कब तक कर दिया जायेगा ।

जहाँ तक सेंसर कार्य का संबंध है, खोसला आयोग ने पहले ही उसके संबंध में चेतावनी दे दी है । अब्बास संबंधी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी कड़ी आलोचना भी की गई थी परन्तु अभी तक उसकी कुछ भी प्रक्रिया व्यवहार में देखने को नहीं मिली । महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय को यह वचन दिया था कि इसके बारे में नया विधान बनाया जायेगा परन्तु अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया । एक यूरोपीय फिल्म की अपेक्षा भारतीय फिल्म को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की बात तो समझ में आ सकती है परन्तु हिन्दी और तमिल फिल्म को भिन्न दृष्टिकोण से देखने की बात समझ में नहीं आती । आज तमिल फिल्म के लिए जिस बात की स्वीकृति दे दी जाती है, कल दूसरी फिल्म के लिए वह नहीं दी जाती । परन्तु यदि इसका कारण पूछा जाता है तो कोई उत्तर नहीं दिया जाता । क्षेत्रीय अधिकारी को इस संबंध में बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई हैं । बहुत कुछ उसकी इच्छा पर ही निर्भर करता है ।

अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कावेरी नदी जल के संबंध में मद्रास में हुई सर्व-दलीय वार्ता पर एक वृत्त-चित्र तैयार किया था । इसी प्रकार तमिलनाडु में एक विशेष दिन इसी विषय पर लगभग 10,000 स्थानों पर सभायें हुई थीं और उस पर भी वृत्त-चित्र तैयार किया गया था परन्तु इन दोनों में जहाँ केन्द्र द्वारा इस मामले में विलम्ब करने की बात कही गई थी, उसकी सेंसर ने अनुमति नहीं दी । इसी प्रकार तमिल में एक चल-चित्र बनाया गया है जिसमें एक ऐसा चरित्र है जो प्रधान मंत्री से बहुत मिलता-जुलता है और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री की हँसी उड़ाने का प्रयास किया गया है परन्तु सेंसर ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई । मैं पूछना चाहता हूँ कि सेंसर ने इसकी अनुमति क्यों दी ?

अंत में, मैं सरकार से केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे जाँच समिति के स्वरूप में परिवर्तन करना चाहिए । समिति के सदस्यों को सामान्यता चल-चित्रों में भेदभाव नहीं करना करना चाहिए । सरकार को सेंसर कार्य के बारे में एक नया विधान बनाना चाहिये ताकि यह मामला विवादास्पद न रहे ।

SHRI SUDHAKAR PANDEY (Chandauli) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the mands for grants of the Information and Broadcasting Ministry. It is really a very imporetant department which has a vital role to play in the development of the country.

Two types of languages are used by this Ministry, one is the foreign language English and the other, the regional languages. I would like to submit that the languages of the masses must be given their due place so far as the broadcasts are concerned. Undue importance should not be attached to English which is a foreign language.

First of all, I would like to draw the attention of the House towards the oft-discussed monopoly of newspapers. Generally, we hear people saying that there are a number of monopolistic newspapers in this country. There should be a control on these newspapers. But I am very sorry to say that all the policies framed by our Government so far here simply encouraged and strengthened the monopolistic trends in newspaper ownership. Uptill now nothing has been done for the benefit of language papers or the small and medium papers, which represent the voice of the people in the true sense.

Take the case of All India Radio. It is not paying proper heed to the promotion of art, literature and culture of the country. It has not been able to utilise the vast talents available in the country nor it has tried to encourage the artistes and literateurs who are engaged in such activities in small towns.

As regards newspapers, I think, we should amalgamate all news agencies into one. Or, if need be, we may have two agencies, one for inland news and the other for the news of the world. The foreign news agencies are not depicting the correct picture of our country's affairs and the earlier we stop depending on foreign news agencies, the better it would be.

Now, look at the film industry. The standard of our films has gone down to a very low level. The most modern films are playing a havoc with the morals and character of our people. I strongly feel that such a trend of producing trash in the name of films must be stopped.

The Ministry, in its annual report, has stated that a publication named "India Today" was published and distributed in foreign countries. But I am very sorry to say that this publication was in English only. It should have been printed in the languages of the country.

I would like to submit to the hon. Minister that "Ramcharit Manas" is such an epic, which has no parallel in any other conntry. It will be now 400 years since this classic was produced. I suggest that the Ministry of Information and Broadcasting should celebrate its fourth centenary in a befitting manner.

Lastly, I would like to say that Hindi must be given its due place in the administration. A Hindi Information Officer must be attached to each Ministry. The Government must fulfil its assurance given in this regard.

SHRI G. P. YADAV (Katihar) : Mr. Deputy Speaker, sir, I want that the points which I am going to raise while speaking on the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting, must be replied to by the hon. Minister. India is a democratic country with a large population of 55 crores. All India Radio is the only mass media of this country in which several development plans are going on. But, sir, I am sorry to say that it does not behove a democratic country that its Government should have a complete monopoly over an important medium of mass communication, such as Radio. It is unfortunate for India that the ruling party should have complete cantrol over the All India Radio. The Chanda Committee, which was appointed to look into the working of A. I. R., has suggested that there should be a separate Corporation for All India Radio. Even in 1950, our late Prime Minister, Pandit Nehru also desired that a corporation should be set up for A. I. R., but all in vain. Nothing has been done so far in this respect.

Secondly, I would like to submit that Hindi is not being given its due place by A. I. R, The key-copy of all important news bulletins and other important announcements is prepared in English. Its Hindi translation is prepared afterwards. I strongly feel that the key-copy of news bulletins should be prepared in Hindi and the news broadcast accordingly. It should not be just a translation of English bulletins. For doing justice to the cause of Hindi. I would request the hon. Minister to appoint an Additional Director and other staff whose job should be to ensure quick and proper broadcasts in Hindi. Similarly, proper attention should be given to supply the Hindi copies to press reporters of all important broadcasts by the Prime Minister or others. The report of the Press Registrar should also be published in Hindi.

I welcome the proposal to set up a Newspaper Finance Corporation. It is, of course, quite necessary to give some financial help to small and medium newspapers. But there is an apprehension that in the matter of giving help, certain newspapers may be discriminated against as we find in regard to giving advertisements. The Ministry must ensure justice and fair-play in this matter.

Mr. Deputy Speaker, sir, there is a lot of irregularity in the distribution of newsprint. I want that there should be a Board for the allotment of newsprint. That Board should consist of a High Court Judge and representatives of the newspaper industry and the Government.

Mr. Deputy Speaker, sir, I want to make a submission to the Press Council also. Recently, on the question of Bangla Desh, the Urdu press did not behave properly. It did not reflect the true and sincere feelings of the countrymen on this important issue. It is a serious matter and I suggest that strong action be taken against those newspapers whose attitude is not attuned to national feelings.

Today, there is a talk of converting Press Trust of India into a Corporation. If this is materialised, it will be an injustice to this institution. I suggest that in case some irregularities are suspected. let its affairs be inquired into by the Auditor General.

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI (Tehri-Garhwal) : Mr. Deputy Speaker, sir, I support the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting. It is very unfortunate that this Ministry is very much dominated by bureaucrats. This Department should be put under the control of a person who may be an outstanding senior journalist. The head of this Department must possess the working knowledge of its affairs. Take the case of All India Radio. It is the biggest organisation of mass media in our country, but 40 percent of its officials are bureaucrats whereas in such an organisation the bureaucrats should not be more than 2 percent. That way it is firmly under bureaucratic control.

There is a Central Production Unit of All India Radio. This unit exists simply by name and not by its actions. It could never rise to the occasion. It has never refleted the major and topical issues affecting the country. Besides, it has never been successful even in securing the interviews of the foreign dignitories visiting the country. Even the most burning issue of Bangla Desh was not gven the attention and time which it deserved. That is why I strongly feel that some vital changes are required for the efficient and proper functioning of All India Radio.

I had been a correspondent of All India Radio. On the basis of my experience, I can say that the people who are at the helm of affairs, have got a very little knowledge about the functioning of this Department. The Programme Staff Cadre is very much dominated by Director General. There is a vicious circle going on. The emoluments of the news readers and other artistes are very poor. There is a great need to raise them. Small papers of regional languages should be given more encouragement. The condition of working journalists in mofussil

towns is far from satisfactory. It is high time that the Government should look into their grievances and see that they are treated with respect. Our propaganda machinery at home and abroad has not proved effective. The Government should ensure improvements in its working.

Lastly, I would like to emphasise that only a competent man, having required experience in the line, should be appointed as Director General who can revitalise the functioning of this Department.

श्री सी० सी० देसाई (साबरकंठा) : जो थोड़ा सा समय मुझे दिया गया है उसमें मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधी एक-दो बातों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सत्तारूढ़ दल के कुछ व्यक्तियों ने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। मुझे याद है कि 7 अक्टूबर 1970 को तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री सत्यनारायण सिन्हा ने एक वक्तव्य में कहा था कि सरकार इस बात पर सक्रियता से विचार कर रही है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को किस प्रकार एक निगम में परिणत किया जाये। उनके कथानुसार उनका यह सुझाव प्रेस आयोग द्वारा 1954 में की गई सिफारिशों पर आधारित था। ऐसा लगता है कि उन्होंने फाइलों का अध्ययन नहीं किया वरना उन्हें ज्ञात होता कि इस प्रतिवेदन की प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया से परामर्श लेकर विस्तार पूर्वक जाँच की गई थी।

मैंने प्रेस आयोग की सिफारिशों को पढ़ा है। आयोग की ऐसी कोई सिफारिश नहीं थी और आयोग के सदस्य श्री ए० डी० मणि ने भी यह बात बताई है। उन्होंने गत वर्ष यह स्पष्ट करते हुये एक लेख लिखा था कि यह तो प्रेस आयोग द्वारा केवल एक सुझाव दिया गया था न कि कोई सिफारिश थी। मैं समझता हूँ कि इसका उद्देश्य समाचार एजेन्सी या समाचार सेवा में सुधार करना नहीं है अपितु इस विशेष एजेन्सी की प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना है तथा इस पर कोई और अधिक सरकारी नियंत्रण करना है। संबंधित मंत्री तथा पी० टी० आई० में मतभेद हो सकता है परन्तु इसका कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय एजेन्सी में, जिसमें सक्षम व्यक्तियों को कार्य-भार मिला हुआ हो और जिसने देश के लिये उपयोगी सेवा प्रदान की हो, ऐसे परिवर्तन किये जायें अथवा इसे निगम में परिवर्तित करने की धमकी दी जाये।

परन्तु सौभाग्य से प्रधान मंत्री द्वारा, जो अपने पिता की तरह हमेशा समाचार एजेन्सियों को स्वतन्त्र रखने में तथा प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया जैसी एजेन्सियों को हर प्रकार का प्रोत्साहन देने में विश्वास रखती हैं, इन हरकतों को दबा दिया गया है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान राज्य मंत्री, जो लोकतान्त्रिक भावना को ठेस नहीं पहुँचने देंगी, पक्षपातपूर्ण रवैया नही अपनायेंगी और एजेन्सी की गतिविधियों तथा कार्यों का मूल्याँकन समझदारी एवं गुणों के आधार पर करेंगी।

यह कह कर प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है कि उसने भवन बनाने के लिये दिये गये धन का दुरुपयोग किया है। श्री उमाशंकर दीक्षित की अध्यक्षता वाली समिति को यह ठेका दिया गया था और सेवा-निवृत्त नियंत्रक और महालेखापाल श्री ए० के० राय इसके सदस्य थे। सरकार ने तो कुल 55 लाख रुपये का अनुदान दिया जबकि निर्माण लागत लगभग 1·90 करोड़ रुपये आयी है। ऐसी राष्ट्रीय एजेन्सी पर कीचड़ उछालने का प्रयास अच्छा नहीं है।

मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी ताकि पी० टी० आई० जैसी राष्ट्रीय एजेन्सी उपरोक्त धमकियों का शिकार न बने ।

SHRI RUDRA PRATAP SINGH (Bara Banki) : I support the demands of this Ministry. I express my gratitude unto Shrimati Indira Gandhi and Shrimati Nandini Satpathi as this Department is functioning in a democratic manner under them and its efficiency is constantly on the increase.

Some hon. members have levelled the charge that the All India Radio shows partiality towards the ruling party but that is absolutely wrong. Any news or advertisement is allowed to be broadcast in such a way as does not create communal tension and at the same time it is also kept in view that there should be no danger to the emotive integrity and solidarity of the country.

This Ministry has done commendable work in preparing feature films and documentries which are useful for building national character, national integrity and unity. The setting-up of a Film Council is an appreciable step. The Film Finance Corporation need more money and it should be strengthened.

Sir, to define obscenity in films has become a complicated thing keeping in view the changing times and the classical literature, a clear-cut policy should be formulated regarding obscenity. A committee should be constituted to take a decision about it, which may be able to safeguard the national interests.

It is commendable that this Ministry wants to protect the freedom of Press. But, unfortunately, the big newspapers are in the hands of capitalists. They do not present the true character of the nation. The Government will have to consider this matter seriously.

The various departments of this Ministry viz., Publicity Bureau Photo Division etc. are working satisfactiorily. The persons having knowledge of the dialects and the language of the regions concerned should be sent for publicity work in the border areas so that public may be benefited thereby.

It is a matter of regret that even to-day the bureaucrats exploit the society. This Ministry should be geared up to do effective work in countering the evils of casteism, communalism and regionalism etc.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाडा) : इस मंत्रालय में कुछ मूलभूत कमियाँ हैं और यह राजनीति के कारण अनाथ बन चुका है ।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मंत्रालय में जो कार्य-भार संभाले हुये हैं उन्हें चाहिये कि वे इसे अफसरशाही के शिकंजे से मुक्ति दिलायें ।

मैं आकाशवाणी की गतिविधियों के बारे में कहना चाहूँगा । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आकाशवाणी, जहाँ तक इसकी समाचार प्रसारण संबंधी नीति का संबंध है, समाचार मूल्यों को ठीक ढंग से नहीं आँकता है । इसके द्वारा व्यक्तिगत प्रतिबिम्ब को उभारा जाता है, सरकारी दृष्टिकोण को बढ़ा-चढ़ा कर प्रसारित किया जाता है और विपक्षी दलों के विचारों का उल्लेख नहीं किया जाता है । आकाशवाणी के प्रसारणों में वह विविधता और नवीनता नहीं है जो

बी० बी० सी० के प्रसारणों में है। रेडियो तथा टेलीविजन संबंधी चन्दा समिति के प्रतिवेदन में इस आशय के कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार राष्ट्रीय महत्व के समाचारों का प्रसारण भी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवास का समाचार भी शामिल है, आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में शामिल नहीं किया गया।

अब मैं गीत और नाटक प्रभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आकाशवाणी के साथ समाचार श्रोता प्रतिक्रिया कक्ष संलग्न किये गये हैं परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये श्रोता प्रतिक्रिया कक्ष उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, इनका काम हल्का और घटिया होता है और कई अन्य वक्ताओं ने कहा है कि वह हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के विरुद्ध है।

युव-वाणी कार्यक्रम है। ऐसा समझा जाता है इस कार्यक्रम से युवक समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी परन्तु इस कार्यक्रम में न तो युवकों की समस्याओं के बारे में उल्लेख किया जाता है और न ही उनके भावात्मक तथा बौद्धिक संकट के बारे कुछ कहा जाता है। इस कार्यक्रम में जो कुछ प्रसारित किया जाता है, वह सब बकवास होती है और यदि उसे प्रसारित न किया जाये तो बहुत अच्छा होगा।

देश में टेलीविजन के विस्तार के लिये 100 करोड़ रुपये का कार्यक्रम है। मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि देश में जहाँ 20 प्रतिशत लोगों के लिये रेडियो अथवा टी० वी० की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ कुछ गिने-चुने शहरों में टेजीविजन लगाने का हमें क्या अधिकार है?

उड़ीसा जैसे राज्य में जहाँ कटक रेडियो स्टेशन का ट्रांसमीटर 20 किलोवाट का है और 100 किलोवाट का कोई ट्रांसमीटर नहीं है, और न ही कोई पूरा रेडियो स्टेशन है, वहाँ दूसरी ओर पूना अथवा कानपुर अथवा लखनऊ में टेलीविजन की व्यवस्था करने और महाराष्ट्र तथा यू० पी० जैसे राज्यों में टेलीविजन केन्द्रों को दोहरा करने का क्या इस मंत्रालय को नैतिक अधिकार है ?

आकाशवाणी में प्रादेशिक भाषा-शिक्षण कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में किसी को भी रुचि नहीं है। एक बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उड़िया ऐसी भाषा है जिसे संविधान में स्थान प्राप्त न हो ? इस भाषा को प्रादेशिक भाषा शिक्षण कार्यक्रम में क्यों नहीं रखा गया है ? इस संबंध में मंत्री महोदय को सभा में संतोषजनक उत्तर देना चाहिए।

आकाशवाणी अब सत्तारूढ़ दल के हाथों की कठपुतली बन गया है और उसकी नीतियों के प्रचार को अनावश्यक महत्व देता है। इन परिस्थितियों में मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अब समय आ गया है कि आकाशवाणी को निगम का रूप दे दिया जाये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : बंगला देश के बारे में आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित किये गये समाचारों की मैं प्रशंसा करता हूँ। उस केन्द्र के कर्मचारियों की सरकार द्वारा सराहना की जानी चाहिये।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के कुछ प्रसारणों को अंग्रेजी तथा उर्दू प्रसारणों में शामिल

किया जाना चाहिये । हमारे देश के बहुत से भागों में बंगला देश की क्रान्ति और शेख मुजीबुर्रहमान के बारे में भ्रान्ति व्याप्त है और ऐसा कहा गया है कि मुजीबुर्रहमान गैर-इस्लामी धर्म वाले हैं। यह सब हमारी गलती है । हमें प्रयास करने चाहिएं कि जनता को सही समाचार और जानकारी प्राप्त हो ।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि बंगला देश के बारे में बहुत सी पुस्तिकायें प्रकाशित की गई हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वे पुस्तिकायें कैसी हैं और क्या उन पुस्तिकाओं को विशेषकर मध्य-पूर्वी देशों के लिये ही प्रकाशित किया गया है । वहाँ हमारे दूतावास हैं और वे उन पुस्तिकाओं का वितरण कर सकते हैं और वृत्त-चित्रों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता तो विश्व के विभिन्न देशों की राजधानियों को मंत्रियों के बहुत से मिशन, अपने मत से सहमत कराने के लिये, भेजने की जरूरत नहीं रहती । मैं यह भी चाहता हूँ कि बंगला प्रसारण को उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में भी अनूदित किया जाय ।

विश्व के कुछ समाचार-पत्रों में बंगला देश के बारे में भारत के समाचार-पत्रों से भी अधिक ब्यौरा दिया गया है । इन समाचारों तथा समीक्षाओं के सारांश को भारत में आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से दो बार प्रति सप्ताह प्रसारित किया जाना चाहिये ।

सरकार शरणार्थियों को स्वदेश भेजने की आशा करती है। जब तक वे यहाँ रहें, उनमें बंगला देश के प्रति देश-भक्ति की भावना को जागृत रखना चाहिये ।

शरणार्थियों के शिविरों में, चाहे वे कहीं पर भी हों, देश-भक्ति के गायन सुनाये जाने चाहिए क्योंकि वे वहाँ ऐसी भयावह स्थिति में रह रहे हैं कि वे सारे दिन निष्क्रिय रहते हैं। उनमें बंगला देश के प्रति देश-भक्ति की भावना को बनाये रखा जाना चाहिये ।

देश के उत्तरांचल में, जहाँ तनाव घर कर रहा है, जन-प्रचार किया जाना चाहिये तथा याह्या खां द्वारा किये जा रहे षडयंत्र एवं न केवल बंगला देश में ही अपितु देश के उत्तरांचल में साम्प्रदायिक भावना भड़काने और तनाव उत्पन्न करने की चाल को प्रभावहीन करने के लिये प्रचार किया जाना चाहिये ।

जन-प्रचार द्वारा जनता को इस षडयंत्र के बारे में सचेत करने और उन्हें हमारे प्रजातन्त्र और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के बारे में शिक्षित करने तथा साम्प्रदायिक घुसपैठियों के षडयंत्र से अवगत कराने के लिये एक प्रभावी कार्यक्रम बनाना चाहिये ।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि समाचार-भारती को न्यास में परिणत करने का सरकार का इरादा है। सरकार को चाहिये कि स्वतन्त्र पत्रकारिता पर प्रभाव डालने के लिये वह अपने मतबद्ध व्यक्तियों को समिति में शामिल न करे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : फिल्म उद्योग का सूचना और प्रसारण मंत्रालय से घनिष्ठ संबंध है। आज यह उद्योग प्लेटीनम जुबली मना रहा है। मंत्री महोदय को इस उद्योग को बधाई देनी चाहिए ।

गत बीस वर्षों अथवा इससे अधिक समय से इस मंत्रालय द्वारा फिल्म उद्योग की पूर्णतया अवहेलना की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट लगभग 37 करोड़ रुपये का है। इसमें से फिल्म प्रभाग के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अलग-अलग प्रभागों के लिए किए गए आबंटन को मिलाकर फिल्म उद्योग के लिए समूचे रूप में 2·91 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

फिल्म उद्योग देश के पाँच प्रमुख उद्योगों में से एक है और भारत विश्व में सबसे बड़े फिल्म-निर्माता देशों में से एक है। इस उद्योग में 120 करोड़ रुपये की राशि कुल राजस्व के रूप में अन्तर्गस्त है तथा इस उद्योग में 3,00,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह गंभीर चिन्ता की बात है कि इस उद्योग की अवहेलना की जा रही है।

आज नव भारत के निर्माण की आवश्यकता है और देश में भाषायी, धर्मगत, साम्प्रदायिक आदि समस्याओं को दूर करके भावात्मक एकता लाने की आवश्यकता है। पददलितों के उत्थान की भी आवश्यकता है। फिल्म उद्योग ऐसे कई सामाजिक विषयों एवं उद्देश्यों के स्वरूप को पहचानने में भरसक प्रयत्न करता रहा है। गत तीन दशकों से अधिक समय से फिल्म उद्योग संकटग्रस्त है। वर्ष 1968 में फिल्म उद्योग ने भीषण संकट का सामना किया था। वर्ष 1960 में फिल्म वित्त निगम का गठन किया गया था परन्तु चूँकि इसके वित्तीय साधन सीमित थे, अतः वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि राष्ट्रीकृत बैंक और अन्य ऋणदाता संस्थान भी फिल्म उद्योग की सहायता नहीं कर रहे हैं।

फिल्म उद्योग से राजकीय कोष को मनोरंजन करके रूप में 60 करोड़ रुपये तथा उत्पादन शुल्क के रूप में 5 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

यदि इस कुल राजस्व का 10 प्रतिशत भाग भी फिल्म उद्योग के लिये खर्च किया जाये तो स्थिति सुधर सकती है।

फिल्म वित्त निगम के निदेशक ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो फिल्म उद्योग के कार्य को समझते हों। सरकार ने खोसला समिति की सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। राज्य सभा ने एक संकल्प पारित करके इस समिति का गठन किया था परन्तु उसके प्रतिवेदन की उपेक्षा की जा रही है। सेंसर संबंधी कानून में काफी परिवर्तन हो चुका है। खोसला समिति ने सिफारिश की है कि फिल्मों में कामवासना और नग्नता की अनुमति उस सीमा तक दी जानी चाहिये जहाँ तक उसका पूरे कथानक के साथ तालमेल बैठता हो। परन्तु सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पमेला-फलैण्डर्स आदि कई पुस्तकें अब व्यापक रूप से पढ़ी जाती हैं जिनको अब तक अश्लील समझा जाता था। हमें परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेंसर के मामले में अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना चाहिए। सरकार के कुछ अधिकारी बिना किसी आधार के ऐसे

विचार व्यक्त कर देते हैं जो फिल्म उद्योग के लिए बाधक सिद्ध होते हैं । इस मंत्रालय के सचिव श्री आर० सी० दत्त ने कहा था कि फिल्मों में कामवासना और हिंसा को अधिक स्थान देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जो समाज के लिए हानिकारक है । उन्हें इस प्रकार के विचार व्यक्त नहीं करने चाहिएँ ।

देश में बनाई जाने वाली 10 प्रतिशत फिल्में रंगीन होती हैं । इस प्रकार की फिल्में तैयार करने के लिये हमारे देश में अब तक कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई है । फिल्मों से हमारी निर्यात आय प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये की है जबकि कच्चे माल के आयात पर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं । इस प्रकार के कारखाने पर 5-7 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च नहीं होगी । इस से विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी राशि की बचत हो सकेगी और हमारी विदेशी आय में प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी ।

आगामी फिल्म समारोह के बारे में शीघ्र घोषणा की जानी चाहिये अन्यथा बजट उपबन्ध व्ययगत हो जायेगा । वास्तव में फिल्म उद्योग की उपेक्षा की जाती है । हाल ही में हमारे निर्माता श्री जोहर 'जय बंगला देश' नामक फिल्म बनाना चाहते थे । मंत्रालय ने उसकी लिपि मंजूर कर दी, परन्तु अब उसे विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है । यदि इसकी मंजूरी समय पर न मिली तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

मैं पूछना चाहता हूँ कि पूना इंस्टीट्यूट से पास छात्रों को कहाँ कहाँ पर रोजगार दिया गया है । उक्त इंस्टीट्यूट और नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, दिल्ली का पाठ्यक्रम स्वीकृत होना चाहिये ।

गीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों का वेतन बहुत कम है । फिर उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े दुर्गम क्षेत्रों से हो कर जाना होता है । यदि कोई दुर्घटना हो जाये तो उन्हें क्षतिपूर्ति देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । अत: हमें इन कलाकारों को उचित वेतन देकर और उनके लिये क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करके प्रोत्साहित करना चाहिये ।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : विदेशों में हमारा प्रचार बहुत कम है । बहुत से देश इतना भी नहीं जानते कि भारत में 6-7 करोड़ मुसलमान रहते हैं । भारत में विभिन्न संस्कृतियाँ हैं परन्तु उनका समुचित विकास नहीं किया जा रहा है । अत: मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि असम के आदिवासियों की सभी संस्कृतियों को प्रोत्साहित किया जाये । श्री गुजराल ने, जब वह संचार मंत्री थे, स्पष्ट रूप से कहा था कि कोकराझार में बोडा संस्कृति के लिये एक प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाएगा । बोडा नृत्य बहुत प्रसिद्ध है । इस संस्कृति के कुछ पहलुओं का प्रसारण आकाशवाणी से अवश्य किया जाना चाहिये । बोडा/कछारी भाषा और संस्कृति को आकाशवाणी के प्रसारणों में उचित स्थान दिया जाना चाहिये । मेघालय की माँग भी इसीलिये रखी गई थी कि उनकी भाषा का सम्मान नहीं किया जाता था । अन्य राजनीतिक दल इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं । जब लोगों की माँगें पूरी नहीं होतीं तो वे निराश हो जाते हैं । अत: आकाशवाणी को बोडा संस्कृति और बोडा नाटकों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : दिल्ली में टेलीविजन कार्यक्रमों में कुछ कमियाँ हैं ।

ये कार्यक्रम जनता के लिये अधिक लाभप्रद नहीं हैं। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। टेलिविजन कार्यक्रम में कम से कम अंग्रेज़ी समाचार बुलेटिन को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये। यदि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किया जाये तो अनुचित नहीं होगा। टेलिवीज़न कार्यक्रमों को उद्देश्यपूर्ण और उपयोगी बनाने की आवश्यकता है।

दक्षिण भारत चलचित्र संगीत जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है वह बड़ा भयास्पद है। अत: इस बात की ओर सतत् ध्यान देना चाहिये कि आकाशवाणी से अच्छा संगीत प्रसारित किया जाये।

आन्ध्र प्रदेश के रेडियो स्टेशनों पर शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की कमी है। बम्बई और दिल्ली के लोग आन्ध्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को नहीं सुन सकते। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करेंगे। 'युव वाणी' कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिये। विश्वविद्यालयों, बेरोज़गारी आदि की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उचित व्यक्ति का चयन करना चाहिये। आकाशवाणी को क्षेत्रीय भाषाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक तनावों को कम करने के लिये बनाये गये कार्यक्रमों को अधिक सजीव बनाना चाहिये। देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये देश के प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

समाचार-पत्र वित्त निगम समाचार-पत्रों में निहित स्वार्थों को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। आज इन निहित स्वार्थों के कारण इसे देश के सार्वजनिक जीवन का रूप एक विशेष ढंग से बदला जा रहा है। इसका एक ही इलाज है कि सरकार छोटे समाचार-पत्रों को ही नहीं अपितु भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन देने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। उक्त समाचारपत्रों को सहायता देने के लिये सरकार को अपनी विज्ञापन नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये।

सरकार को समाचार-पत्रों के स्वतंत्र कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इसके साथ ही सरकार को ऐसी अश्लील पत्रिकाओं के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये जिनका सार्वजनिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता हो।

प्रकाशन डिवीज़न को अपने प्रकाशन सस्ते मूल्यों पर बेचने चाहिएँ। भारतीय विद्या भवन उच्च कोटि की पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। उक्त डिवीज़न को सुनिश्चित करना चाहिये कि जनता को सस्ते मूल्यों पर अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हों।

खोसला समिति की जिन सिफ़ारिशों के बारे में कोई विवाद नहीं है, उनको क्रियान्वित किया जा सकता है। कामोत्तेजक चलचित्रों के अन्धाधुन्ध आयात को रोका जाना चाहिये। ऐसे चलचित्रों का हमारे युवकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

सरकार ने जो सलाहकार समितियां बनाई हैं उनमें क्षेत्र विशेष के संसद सदस्य को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये। इससे रेडियो के कार्यक्रमों पर कुछ नियंत्रण रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं इन माँगों का समर्थन करता हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आकाशवाणी को निगम का रूप देने के संबंध में कोई निर्णय किया गया है अथवा क्या उस प्रस्ताव को त्याग दिया गया है ? आकाशवाणी ने बंगला देश में याहया खाँ और उसके सैनिक अधिकारियों द्वारा किये गये अत्याचारों के समाचार प्रसारित करने के मामले में प्रशंसनीय कार्य किया है।

हम पी० टी० आई० के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते परन्तु पी० टी० आई० पर गोइन्का, बिड़ला आदि जैसे कुछ व्यापार-गृहों का नियंत्रण है। इसलिए प्रेस आयोग की उस सिफ़ारिश पर विचार करना चाहिये जिसमें उन्होंने इसको सार्वजनिक निगम बनाने की सिफ़ारिश की है। यह कहना गलत है कि निगम बनवाने से समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा। यदि किसी समाचार एजेंसी को निगम का रूप दिया जाये तो उसके सभी तकनीकी कर्मचारियों को भी निगम की सेवा में रखा जाना चाहिए।

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के महासचिव श्री बी० आर० वत्स को परेशान किया जा रहा है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उनको स्थानान्तरित कर दिया गया है। मजदूर संघों के कार्यकर्त्ताओं को इस प्रकार परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

आकाशवाणी के कलाकारों की काम की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये। नियमित कलाकारों के वेतनों और भत्तों में वृद्धि की जानी चाहिये।

गीत और नाटक विभाग प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मुझे पता चला है कि हैदराबाद में एक व्यक्ति के दुर्व्यवहार के कारण कुछ लड़कियों ने आत्महत्या की है। इस मामले की उचित जाँच की जानी चाहिये।

मैंने कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की माँग की थी। मुझे पता चला है कि लखनऊ में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। यह कहा गया है कि प्रतिभा की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है। मुझे उक्त निर्णय से प्रसन्नता हुई है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कानपुर में प्रतिभा का अभाव है।

पी० टी० आई० को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में बदलकर हम बंगला देश तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों के बारे में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों द्वारा किये जा रहे झूठे प्रचार के संबंध में जवाबी कार्यवाही कर सकते हैं।

छोटे समाचार-पत्रों को अखबारी कागज देने के लिए समुचित कार्यवाही की जानी चाहिये। अखबारी कागज का वितरण ठीक ढंग से किया जाना चाहिये।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : यह कहा गया है कि आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारित करते समय पक्षपात किया जाता है। यह आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत हैं। आकाशवाणी में समाचारों के विषय में नीति निर्धारित है। हर समाचार को उसके महत्व के आधार पर आँका जाता है।

समाचार बिल्कुल सही रूप में और अच्छे ढंग से पेश किए जाते हैं। समाचार इस ढंग से पेश किये जाते हैं कि उनसे भगदड़ और परेशानी पैदा न हो। देश के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों को सम्मुख रखा जाता है। ऐसे समाचार दिए जाते हैं जिनसे प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रीय एकता आदि सुनिश्चित हों। विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की सफलताओं पर प्रकाश डाला जाता है। ऐसे ढंग से समाचार प्रसारित नहीं किए जाते जिससे तोड़-फोड़ की गतिविधियों को बढ़ावा मिले। आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारित करने से पहले कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे पक्षपात न हो सके।

यदि हम 24 दिसम्बर, 1970 को जब लोक सभा भंग हुई और 28 फरवरी, 1971, जब चुनाव अभियान समाप्त हुआ, के बीच की अवधि के समाचार प्रसारणों का विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि सभी दलों को उचित समय दिया गया। इस अवधि में दिल्ली से प्रसारित होने वाले 5 मुख्य समाचार बुलेटिनों में जबकि कांग्रेस दल के लिए 9,800 शब्द प्रयोग किए गये वहाँ विपक्षी दलों के लिये 16,580 शब्दों का प्रयोग किया गया और उसमें से चार दलों के मोर्चे के लिये 10,920 शब्द कहे गये।

प्रसारित किये जाने वाले समाचार एक निश्चित संहिता के अनुसार होते हैं। आकाशवाणी के समाचार प्रसारणों के देखने से स्पष्ट होता है कि आकाशवाणी ने व्यक्ति-पूजा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने अथवा काल्पनिक बातें कहने जैसी बातें नहीं की हैं।

अंग्रेजी के 11 समाचार प्रसारणों की तुलना में हिन्दी में समाचार प्रसारणों की संख्या 21 है। विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से संबद्ध समितियों का गठन किया जा रहा है और वे शीघ्र ही अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगी।

यह आरोप भी उचित नहीं कि आकाशवाणी द्वारा अपने कार्यक्रमों में युवा प्रतिभा को सम्मिलित नहीं किया जा रहा। वस्तुतः संगीत समारोह और नाटक उत्सव आदि जैसे कार्यक्रमों में ऐसा किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवा कलाकारों की खोज की जाती है, उन्हें अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाता है। आकाशवाणी केन्द्रों से भी यह अनुरोध किया गया है कि विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में तथा उनमें सुधार लाने के संबंध में युवा बुद्धिजीवियों के विचार जानने के प्रयास किये जायें। युवा पीढ़ी को पूर्ण आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के लिये आकाशवाणी के 'युवावाणी कार्यक्रम' प्रारंभ किये गये हैं। मुख्य सामयिक विषयों पर चर्चा-कार्यक्रमों में भी युवा पीढ़ी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

SHRI PRATAP SINGH NEGI (Garhwal) : I rise to support the demands of this Ministry. The Ministry of Information and Broadcasting has given the information that a Broadcasting Station would be set up at Pauri. It is indeed a happy news for people of the area which is very backward and which is situated on the border. Broadcasting Station in the area would help in keeping people well informed and alive towards danger from China.

Most of the big newspapers of the country are pro-communalist and pro-capitalist. They do not pay any attention towards the interests of the public. While giving advertisements, this Ministry should give priority to small newspapers, which cater to poor and rural population, so that they would also be well aware about the developments of the world and think about their own development.

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलागिरि) : आकाशवाणी राष्ट्रीय एकता लाने का मुख्य साधन है, परन्तु यह बहुत ही दुःख की बात है कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रसार को महत्व नहीं दिया जाता। देश के विभिन्न राज्यों के लोग अपने पड़ौसी राज्यों की संस्कृति और परम्पराओं से अनभिज्ञ हैं। विदेशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर तो धन व्यय किया जा रहा है परन्तु देश के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के आदान-प्रदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सरकार इस मामले में पूरी तरह असफल रही है। अतः सरकार को अब इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में बहुत से तमिल भाषी लोग रहते हैं। आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाना चाहिये जिससे कि उन लोगों के लिए तमिल कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकें।

आकाशवाणी के प्रसारणों में तमिल भाषा का जिस रूप में प्रयोग होता है वह प्रचलित रूप नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जिनकी यह मातृभाषा है इसे समझ नहीं पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि आकाशवाणी पर पीढ़ियों से एक विशेष समुदाय का प्रभुत्व है। इस स्थिति को बदला जाना चाहिये। सरकार यह बताये कि आकाशवाणी के तमिलनाडु केन्द्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की प्रतिशतता क्या है ? एक समुदाय विशेष के प्रभुत्व को समाप्त करने के मामले पर सरकार को गंभीर रूप से विचार करना चाहिये।

आकाशवाणी द्वारा तमिल भाषा के विकास और प्रसार द्वारा चाहे कुछ न किया जाये पर इतना अवश्य होना चाहिये कि इस भाषा की दुर्गति न हो। आकाशवाणी की भर्ती संबंधी नीति में परिवर्तन होना चाहिये जिससे कि एक समुदाय विशेष का प्रभुत्व समाप्त होकर अन्य समुदायों की युवा पीढ़ी को भी उचित अवसर प्राप्त हो सकें।

DR. KAILAS (Bombay South) : While supporting the demands of this Ministry, I would like to give a few suggestions. It hardly needs to be said that A.I.R. is a symbol of country's culture, art, literature and integration. It is serving the country well. It gives information about national and international events in an intelligent and efficient manner. Its performance about giving an account of the happenings of Bangla Desh during the last three months has been very good.

The 'Vandana' programme of A.I.R is very good and deserves praise. This programme gives consideration to all the religions in the country.

Some of the Hindi News bulletins are not broadcast by non-Hindi states. This is not fair. We should at least accord equal status to Hindi. Such an arrangement would help in the propagation of Hindi in non-Hindi areas.

A Radio Station was opened at Mathura but the station is so weak that it cannot serve the purpose. Its broadcasts cannot be heard properly even in Mathura itself. Our

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on the English translation of the speech delivered in Tamil.

Radio Sations at Jammu, Srinagar, Gauhati are also weak. These were set up to give programmes for our Jawans posted on borders. Programmes relayed by these stations are jammed by the Chinese and Pakistan Radios. Government should, therefore, effect improvements in these stations of the border areas, so that these could become useful and effective.

There has been a demand that A.I.R. should be turned into a Corporation. But our experience of Public Corporations is not a happy one. We should not, therefore, think in such terms.

The Childrens Film Society should produce inspiring and educative films for children. In the past, some good films were produced by it. One of its film 'Jal Deep' won world acclaim. It should produce films on national heroes like Pandit Nehru and Shri Kidwai.

Grants are given to P.T.I., U.N.I and Samachar Bharti. Out of these, merely 50 thousand rupees are given to 'Samachar Bharti', which is working for newspapers of regional languages as well as Hindi language. This state of affairs is not good. With these words, I will request the hon. Minister to give thought to these suggestions.

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : P.T.I. and other News Agencies have not been converted into corporations despite the recommendation of the Press Commission to this effect. This should be done at an early date. An enquiry was being conducted by the Company Affairs Department against P.T.I. What are the terms of reference of the Inquiry Committee ? This inquiry should be expedited and report placed before the House.

Employees are victimized in P.T.I., senior correspondents are insulted, transfers and promotions depend upon the whims of its General Manager. P.T.I. has connections with International News Agencies like Reuter and A. P., which serve Inperialist interests. These News Agencies idulge in propaganda against our country and even then these are patronised by us. On the other hand P. T. I. has no connections with other News Agencies of Asia and Africa which are fighting against imperialists. We should form our own International News Agency.

Some time back Press Council was formed, but no representation has been given to working Journalists Federation on the Council. Similarly, U. P., Bihar, Madhya Pradesh are also not represented there. No Editor or Working Journalist from Calcutta and Bombay has been taken in it. If this Press Council is not committed to the interests of workers it should be reconstituted.

Recommendations of Press Commission regarding improving the economic lot of journalists and providing them other facilities should be implemented.

All India Radio has done a good job of educating the people, but till such time as P.T.I. and U.N.I. are not converted into Corporations, A.I.R. should try to lessen its dependence on these news agencies by appointing its own correspondents.

So far as television is concerned, its programmes are good. They are liked by younger people. We should set up a television centre in Kashmir. It could be an effective instrument of countering Pakistani propaganda.

Government should not give its advertisements to those Newspapers which propagate communalism. More and more advertisements should be given to small newspapers.

SHRI N. K. SHARMA (Dausa) : I rise to support the demands of this ministry. All

India Radio has been doing good work. It has earned reputation for authenticity and promptness of news broadcasts.

Complaints are made that A.I.R. is a mouth piece of the ruling party. In fact our grievance is that it gives less coverage to the Members of the Parliament belonging to ruling party. This should not be so. 'Spot light' programme of All India Radio also needs diversi-fications. Similarly, light music programme, be it from commercial service or some other service, needs some improvement. Sometimes cheap cinema songs are relayed. These may be liked by younger generation but we have a responsibility towards them. We should select such songs as build the character of the youth.

Whatever may be said about News agencies, there is only one solution to this problem and that is the creation of a News Corporation. There is also a recommendation of the Press Council to this effect. Early steps should be taken in this direction.

Although lot of work has been done for the development of small Newspapers, yet a lot still remains to be done. Todays yellow Journalism is spreading its root in the country. Character assassination is becoming a profession. It is quite necessary to check this tendency. A committee should be constituted consisting of journalists, members of Parliament and some officers to evaluate the steps taken by the Government to help small newspapers and suggest improvements.

Visual Publicity Department should organise an exhibition in a big city like Delhi, Bombay or Calcutta to acquaint people of the happenings in Bangla Desh. This should be given priority.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदान की माँगों के संबंध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। मदुरै दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण शहर है परन्तु वहाँ प्रसारण केन्द्र नहीं है। इस शहर की अपनी संस्कृति, अपनी परम्परा है, इसलिए यहाँ अलग प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। यह केवल रिले स्टेशन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मद्रास में भी शक्तिशाली रेडियो स्टेशन न होने के कारण दिल्ली में मद्रास स्टेशन नहीं सुना जा सकता। इसलिए यहाँ पर भी शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाना चाहिए ताकि भारत से बाहर, विशेषतया दक्षिण पूर्व एशिया में, जहाँ भारत मूलक कई तमिलभाषी रहते हैं, ये कार्यक्रम सुन सकें। अत: मैं चाहता हूँ कि या तो मद्रास में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाए अथवा मदुरै में अलग शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाए।

कुछ माननीय सदस्यों ने माँग की है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया को निगम में परिवर्तित कर दिया जाए। प्रेस आयोग ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी यही मत था। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यदि इसे हम एक निगम में बदल देते हैं तो हो सकता है कि कई समाचार-पत्र कुछ खबरें प्रकाशित न करें। इसलिए मेरा विचार है कि इसको निगम में परिवर्तित करने में तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक हम इसका राष्ट्रीयकरण न कर दें।

प्रस ट्रस्ट आफ इन्डिया के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। सरकार इसकी प्रबन्ध व्यवस्था की जाँच करने के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकती है। लेखे महालेखापाल को जाँच के लिए भेजे जा सकते हैं।

मैं प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया को निगम में परिवर्तित करने का विरोध करता हूँ। प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया को रायटर और एसोसिएटिड प्रेस जैसी विदेशी सेवाएँ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान प्रेस में व्याप्त एकाधिकार की ओर दिलाना चाहता हूँ। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद भी इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। सरकार इसको समाप्त करने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है। दूसरे, फिल्मों के माध्यम से भारत में हिप्पियों की संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है। हमें विदेशी मुद्रा का अपव्यय नहीं करना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में कई समाचार पत्र 3 या 4 वर्ष से चल रहे हैं परन्तु उनको पंजीकृत नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, त्रिपुरा में ''देशार्दक'' और ''अमाधेर कोठा'' ऐसे समाचार पत्र हैं। बिना पंजीकरण के अखबारी कागज नहीं मिलता। इस मामले की जाँच की जानी चाहिए।

आदिवासी लोगों के संबंध में भी लापरवाही बरती जा रही है। कलकत्ता से एक रेडियो प्रसारण त्रिपुरी भाषा में किया जाता है। अगरतल्ला में भी एक रेडियो स्टेशन है। परन्तु प्रसारण वहाँ से न किया जाकर कलकत्ता के केन्द्र से ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो त्रिपुरी भाषा नहीं जानता। इसी प्रकार दार्जिलिंग में रहने वाले नेपाली लोगों के लिए नेपाली भाषा में कोई प्रसारण नहीं किया जाता। माननीय मंत्री को इन सब बातों पर विचार करके तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : आदिवासियों के संगीत और संस्कृति की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है। मंत्रालय ने हाल ही में इसके विकास के लिए कार्यक्रम बनाया है। यह कार्यक्रम 36 बोलियों में विभिन्न रेडियो स्टेशनों से प्रसारित किया जाता है। परन्तु कलकत्ता रेडियो स्टेशन से रिले होने वाला कार्यक्रम इतना नीरस होता है कि अधिकांश श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सुनना बन्द कर दिया है। वार्तायें भी इस ढंग से दी जाती हैं कि किसी की समझ में नहीं आतीं। इसके अतिरिक्त आदिवासियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता। इस संबंध में कई अभ्यावेदन आल इंडिया रेडियो से कलकत्ता स्टेशन के निदेशक को भेजे गये हैं और प्रतिनिधि मंडल भी भेजे गए हैं परन्तु अभी तक इन पर विचार नहीं किया गया।

मेरा सुझाव है कि सरकार कार्यक्रम को नियमित रूप से तथा सुचारु ढंग से चलाए। प्रसारण के लोकप्रिय न होने का एक कारण यह भी है कि यह कार्यक्रम सप्ताह में एक बार होता है और वह भी इतवार को 15 मिनट के लिए। अभ्यावेदन भेजा गया था कि यह कार्यक्रम सप्ताह में दो बार होना चाहिए और वह भी आधे घंटे के लिए। माननीय मंत्री को इस कार्यक्रम के सुधार के लिए प्रयत्न करने चाहिएँ।

SHRI SHANKAR DEV (Bidar) : All obscene posters and advertisements of cinemas should be banned because they create unhealthy atmosphere in the society. Similarly, there ought to be some check on the advertisements and propagation of wines and cigarettes.

The part being played by cinemas and A. I. R. in so far as National Integration is concerned, is really commendable, but the time has come when we should rise above national feelings and propagate the message of universal brotherhood from All India Radio.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : मैं उन माननीय सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। चर्चा के दौरान उठाए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर माननीय उप मंत्री श्री धर्मवीर सिंह ने पहले ही दे दिया है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री कृपया कल अपना भाषण जारी रखें।

---

* कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण हेतु अखिल भारतीय किसान सभा की मांगों के बारे में

RE : DEMANDS BY ALL INDIA KISAN SABHA FOR INSTITUTIONAL CREDIT FOR AGRICULTURAL SECTOR

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar) : All India Kisan Sabha had submitted some demands regarding advancing of loans by banks and other Government and Semi-Government institutions to farmers for the development of agriculture. They also demanded that foreign banks and remaining Indian banks should also be nationalised.

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए
DR. SARADISH ROY *in the Chair*]

But Government is absolutely silent over this issue. It seems the Government do not have the courage to displease foreign capitalists. But after the clear mandate of the people during the last elections, Government should have courage to take this bold step. The loans being advanced by various banks to farmers are very meagre. Although 50 percent of the total National revenues are received from agriculturists, yet they are not given 10 percent of the loans. Why it is so? Government is silent over this also. They have demanded that Government should not advance a big amount to one family. Loans should be advanced without discrimination. The Government was asked to state the number of families which got more than Rs. 10 thousands as loan for agricultural purposes, but they said that they were not having that information and that was being collected. Such stock replies would not serve any purpose. What is needed is that Government should fix the maximum limit. It was also demanded that the members of the co-operatives should be allowed to get loans through nationalised banks at low rates, but Government is silent over this also.

Work on West-Kosi canal, Gandak canal, Rajasthan canal and other projects is being done at a very slow pace due to financial reasons. In such a situation why the funds of the banks should not be utilised for this purpose.

A meeting was held in July, last year in which bank officials and the Finance Minister took part and it was decided to introduce the system of differential rate of interest. But this decision has not been implemented so far.

---

* आधे घंटे की चर्चा।

* Half-an-hour Discussion.

Illegal money-lending is still in practice in the country. I would like the Government to take stern action against persons responsible for this. Such persons should be apprehended under Preventive Detention Act.

All India Kisan Sabha had also demanded that for every 25,000 people one branch of bank should be opened. But statistics show that there is one branch for every 47,000 people. There are States like Bihar and Darbhanga where average number of branches is less. It is also clear that Government are doing nothing for the welfare of the people of backward States. Do they went that such people should follow Telengana people (*Interruptions*). Kisan Sabha has also demanded that one branch should be opened in every division to enable the farmers to get loans. But nothing has come out from the Government's side. Sabha has also decided that if Government remains inactive in this matter, they would launch peaceful gherao of banks from the middle of July.

Government is playing the role of stooges to capitalists in the name of socialism. They are giving incentives to capitalists to open more industries. My point is that Life Insurance Corporation, Industrial Finance Corporation and other Government Credit Institutions should not advance loans to capitalists. If the Government is interested in the well-being of the country in the real sense and want to see the country prosper, it should come out with concrete reply.

SHRI K. M. MADHUKAR (Kesaria) : Mr. Chairman, sir, Champaran is a very backward district in Bihar. I have come to know that a conspiracy has been hatched between the officials of the State Bank of India and big landlords. Poor farmers are not being advanced loans and illegal money lending is going on in the district. I want that Government should see that corruption is eradicated from the district. Steps should be taken regarding advancement of loans to small farmers. Government has stated that they have a new scheme. May I know what is that scheme ?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : It is evident from the reply given by the hon. Minister that the schemes being implemented will create employment opportunities. I would like to know how far the Government have succeeded and what is the statewise position in this respect ?

Kisan Sabha has demanded that the pending applications for loans should be considered within two months. What is the reaction of the Government in this regard ?

The hon. Minister has stated that a large number of branches have been opened. I would like to know the number of branches opened in rural areas after nationalisation of banks. I would like to know the statewise details of the amount of loans advanced to small farmers during the last two years.

श्री चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के सरकार ने दो उद्देश्य बताए थे। पहला तो यह है कि इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और दूसरे उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण सुविधाएँ मिलेंगी। दुर्भाग्य की बात है कि बैंकों ने छोटे किसानों को दिए गए ऋणों का कोई अलग खाता नहीं खोला है। क्या माननीय मंत्री ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे यह पता चल सके कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े किसानों और छोटे किसानों को अलग-अलग कितना ऋण दिया गया। दूसरे ऋण की गारन्टी के लिए चल अथवा अचल सम्पत्ति का वही मानदण्ड अभी तक अपनाया जा रहा है। यदि वही मानदण्ड अपनाया जा रहा है तो निर्धन भूमिहीन कृषक

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं ? क्या सरकार ऋण देने के संबंध में अपनाई गई नीति में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की यह धारणा गलत है कि समाज की सभी त्रुटियाँ बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा ही दूर की जा सकती हैं । सरकार के समक्ष आय में असमानता को दूर करने, एकाधिकार को समाप्त करने आदि जैसी कई समस्याएँ हैं जिनका समाधान अभी किया जाना है । बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के सभी पहलुओं पर जितनी जानकारी दी जा सकती थी, उतनी हमने दे दी है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारना, उपेक्षित क्षेत्रों की सहायता करना और आर्थिक जीवन के असंतुलन को समाप्त करना है । अत: बैंकों के राष्ट्रीयकरण से होने वाले लाभ का अनुमान लगाने के लिए हमें उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा क्योंकि बैंकों में जितनी भी जमा राशि है उसको उपरोक्त पहलुओं पर ही व्यय किया जाना है ।

विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग की गई है । इस संबंध में मुझे कहना है कि सरकार फिलहाल ऐसा करना उचित नहीं समझती । विदेशी बैंक विशेषज्ञों की भूमिका अदा कर रहे हैं और सरकार यह वांछनीय समझती है कि वे यही भूमिका अदा करते रहें । जब भी सरकार उचित समझेगी, तब बिना किसी हिचकिचाहट के उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देगी । जहाँ तक कृषि क्षेत्रों को ऋण देने का संबंध है, इस क्षेत्र को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्राथमिकता दी गई है और इसे अधिक से अधिक ऋण दिया जा रहा है । जिस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय ऋण संबंधी खातों की संख्या 1,76,336 थी । राष्ट्रीयकरण के बाद इनमें 8 लाख की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण से पूर्व बकाया राशि 160·34 करोड़ रुपये थी जो राष्ट्रीयकरण के बाद बढ़कर 344·05 करोड़ रुपया हो गई । इसी प्रकार कृषि क्षेत्र को दिये गए ऋण की प्रतिशतता 5·3 से बढ़कर लगभग 10 प्रतिशत हो गई है । 1 अप्रैल, 1971 को ऋण गारन्टी निगम की स्थापना की गई है जिससे कृषि क्षेत्र को और अधिक ऋण दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम, बैंक तथा सरकारी संस्थान भी इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता दे रहे हैं । वित्त मंत्रालय ने इन क्षेत्रों की सहायतार्थ राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों को कुछ मार्ग निर्देशक सिद्धान्त भी बताए हैं । माननीय सदस्य ने पूछा है कि कृषि क्षेत्र में किस भाग के लिए अधिक ऋण दिया गया है । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूँ कि ऋण का अधिकांश भाग छोटे किसानों को दिया गया है । सरकार भी इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि छोटे तथा जरूरतमंद किसानों को ऋण दिया जाए । जहाँ तक 25,000 जनसंख्या के पीछे एक बैंक खोले जाने की माँग का संबंध है, मेरे विचार में पर्याप्त संख्या में बैंकों की शाखाएँ खोली गई हैं । यदि माननीय सदस्य आँकड़े चाहते हैं, तो मैं उन्हें दे सकता हूँ ·· (**व्यवधान**) । मैं तथ्यों को छिपाना नहीं चाहता । माननीय रिजर्व बैंक ने 10,000 जनसंख्या के पीछे एक शाखा खोलने का मानदण्ड बनाया है । किसी क्षेत्र विशेष की औद्योगिक और वाणिज्यिक महत्ता को देखते हुए इस संबंध में छूट भी दी जा सकती है । प्रश्न यह नहीं है कि 25,000 जनसंख्या के पीछे एक शाखा खोली जाए, प्रश्न ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंक खोले जाने का है और इसी दृष्टि से अधिक से अधिक शाखाएँ खोली जा रही हैं ।

30 जून, 1969 तक देश में बैंकों की 8,254 शाखायें थीं जोकि 31 मार्च, 1971 को बढ़ कर 11, 540 हो गई हैं और 60 से 70 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि शाखाओं का लक्ष्य-प्रधान विस्तार फलदायक नहीं रहा। इस संबंध में मैं कहना चहता हूँ कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की सहायता से ही यह समस्या दूर की जा सकती है (**व्यवधान**)।

श्री भोगेन्द्र झा : बिहार के किसी विकास खंड में बैंक की शाखा नहीं है।

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि बिहार में अपेक्षाकृत कम बैंक हैं। इस संबंध में लीड बैंक की एक योजना है। यह हर क्षेत्र की बैंकिंग आवश्यकताओं की जाँच करेगा और तदनुसार शाखाएँ खोली जाएंगी।

एक प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या आवेदन-पत्रों के निपटान में दो माह की सीमा निर्धारित की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कहना है कि सभी प्रकार की औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद भी ऋण स्वीकृत करने में दो से चार सप्ताह लग ही जाते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : आप समय-सीमा निर्धारित क्यों नहीं करते ?

श्री के० आर० गणेश : दो महीने की समय-सीमा निर्धारित करने के पीछे मुझे कोई तर्क नज़र नहीं आता।

श्री भोगेन्द्र झा : समय-सीमा निर्धारित न करने के कारण ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

श्री के० आर० गणेश : समय-सीमा निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है। महत्व-पूर्ण बात तो यह है कि आवेदन-पत्रों का शीघ्रतापूर्वक निपटान किया जाये और छोटे किसानों को ऋण दिया जाए। यदि समय-सीमा निर्धारित कर भी दी जाती है तो भी कथित भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जा सकता। मेरे विचार में मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री चन्द्रप्पन : क्या सरकार बैंकों में एक ऐसा अनुभाग खोलेगी जो स्पष्ट रूप से इस बात का पता लगा सके कि छोटे किसानों को कितना ऋण दिया गया है ?

श्री के० आर गणेश : देश में हज़ारों बैंक हैं। अतः यह पता लगाना कि कितना ऋण दिया गया, बड़ा दुःसाध्य कार्य है। हमें तो केवल इस बात का पता लगाना है कि कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला ऋण छोटे किसानों को दिया गया अथवा समृद्ध वर्ग को। मैंने स्वयं बैंकों की जाँच की है और मैंने पाया है कि ऋण का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में दिया गया है।

श्री भोगेन्द्र झा : ब्याज की अलग-अलग दरों के बारे में माननीय मंत्री का क्या विचार है ?

श्री के० आर० गणेश : इस मामले की जाँच करने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी और समिति द्वारा दी गई सिफारिशें वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या राजस्थान, गंडक और कोसी परियोजनाओं के लिए भी ऋण दिया गया है ?

श्री के० आर० गणेश : मैं यह नहीं कह सकता कि बैंक इस दिशा में पूर्णतः सफल हुए हैं । परन्तु यह कार्य माननीय सदस्यों तथा कर्मचारियों के सहयोग से ही हो सकता है । लेकिन मेरी धारणा यह है कि ऋण देने के मामले में बैंकों का रिकार्ड अच्छा रहा है ।

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 8 जुलाई, 1971/17 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 8, 1971 Asadha 17, 1893 (Saka)

New India Printing Press, Khurja